खण्ड-197, अंक-1
सोमवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(25 अगस्त, 1958 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

# विषय-सूची

## सोमवार, २५ अगस्त, १९५८


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १–५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ५–३३ |
| हाथरस, जिला अलीगढ़ में गल्ले की लूट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (विवादार्थ स्वीकृत) .. .. .. | ३४–३५ |
| लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. .. .. .. | ३५ |
| प्राक्कलन समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति की सूचना .. .. | ३५ |
| हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा .. .. | ३६ |
| यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) .. .. .. .. | ३६ |
| गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक मेज पर रखा गया) .. .. | ३७ |
| आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचार जारी) .. | ३७–४८ |
| मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के लिये समय निर्धारण .. | ४८–४९ |
| आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. | ४९–७८ |
| जौनसार-बावर (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव पर, कि विधेयक पर विचार किया जाय–विवाद जारी) .. .. .. .. | ७८–८३ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ८४–१०५ |


## मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १०७–१११ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | १११–१३५ |
| २९ जुलाई, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन .. .. .. | १३५ |
| ललितपुर सब-डिवीजन में डाकुओं के फैले हुये आतंक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. | १३६–१३७ |
| ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद की हड़ताल के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. | १३७ |
| देवरिया जनपद के कतिपय ग्रामों में हैजे के प्रकोप के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. | १३७–१३८ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| देवरिया में गंधी मक्खियों से फसल को क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. | १३८–१३९ |
| इटावा जिले में भीषण चेचक तथा हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. | १३९ |
| तहसील हलद्वानी, जिला नैनीताल के चीणालिया, नन्दकौर नदी में बाढ़ के कारण क्षति होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. .. | १४० |
| कुछ विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. .. | १४०–१४१ |
| हाथरस में गल्ले की लूट-पाट सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में गृह मंत्री का निवेदन .. .. .. .. | १४१ |
| उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. .. .. .. | १४२ |
| जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. .. | १४२–१५३ |
| इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (जारी) .. | १५३–१८३ |
| हाथरस, जिला अलीगढ़ में गल्ले की लूट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव .. | १८३–२१० |
| इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी) .. | २१० |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | २११–२१५ |


---

## बुधवार, २७ अगस्त, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | २१७–२२१ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | २२१–२४२ |
| जिला मैनपुरी, फर्रुखाबाद व गोरखपुर में कतिपय नदियों व तालाबों में बाढ़ आने से सम्पत्ति की हानि व खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | २४२ |
| प्रश्नों के समय नाम पुकारे जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना .. .. | २४३ |
| गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. .. .. .. | २४३ |
| वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | २४३ |
| सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | २४३ |
| ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, जिला मुरादाबाद की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | २४३–२४४ |
| इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी) .. | २४४–२५७ |
| श्री परमानन्द सिंह की मृत्यु के कारण सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव | २५७ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | २५८–२६८ |

## बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९५८


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | २६९–२७३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | २७३–२९३ |
| श्री परमात्मानन्द सिंह के निधन पर शोकोद्गार .. .. | २९४–२९७ |
| बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | २९७ |
| जिला इटावा व फतेहगढ़ में अन्न व महंगाई समस्या से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | २९७ |
| वाराणसी जिला परिषद् की बैठक में अवैधानिक कार्यवाही के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. | २९८ |
| कन्नौज में पुलिस द्वारा अभिकथित लाठी-चार्ज तथा गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. | २९८ |
| श्री मुहम्मद नसीब खां 'बेखुद' की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | २९८ |
| कुछ अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) | २९९ |
| २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न ४७–४८ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में श्री राजनारायण द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण .. | २९९–३०१ |
| विभिन्न जिलों में बाढ़ संबंधी सूचना .. .. .. | ३०१–३०३ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में श्री शिवप्रसाद नागर द्वारा व्यवस्था का प्रश्न .. | ३०३–३०४ |
| द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का तृतीय भाग (सदन की मेज पर रखा गया) .. .. .. | ३०४ |
| इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (जारी) .. | ३०४–३३७ |
| सिंचाई कर्मशाला मंडल, कानपुर के कृषि अभियन्ता द्वारा दिये गये कार्य में गबन की शिकायत से सम्बन्धित ११ अगस्त, १९५८ के प्रश्न ३१—३३ के विषय पर विवाद (समाप्त) .. .. .. | ३३७–३४४ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ३४५–३५१ |


---

## सोमवार, १ सितम्बर, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ३५३–३५६ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ३५७–३८२ |
| गोरखपुर, देवरिया में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | ३८२ |
| घाघरा नदी के कटाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. .. | ३८२ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| फर्रुखाबाद में सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर की तलाशी तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. | ३८३ |
| प्रतापगढ़ जिले में बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ३८३ |
| श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति सरकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | ३८३ |
| राजकीय स्कूलों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) | ३८३–३८४ |
| सदन के भावी कार्य-क्रम के विषय में जानकारी .. .. | ३८४ |
| परिवहन राज्य मंत्री द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस के सम्बन्ध में जानकारी .. | ३८४ |
| इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित) | ३८४–४१० |
| उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. .. .. | ४११–४२२ |
| उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (जारी) .. .. .. .. | ४२२–४२८ |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के १९५७ के द्वितीय सत्र में कृत कार्यों के संक्षिप्त सिंहावलोकन में छपी सूची के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण .. | ४२९ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ४३०–४३२ |


---

## मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. .. | ४३३–४३७ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ४३७–४५९ |
| कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना .. .. | ४५९ |
| सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | ४५९–४६० |
| परिवहन राज्य मंत्री द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स के सम्बन्ध में जानकारी .. | ४६०–४६१ |
| उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. .. .. | ४६१–४६६ |
| उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव पर, कि विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाय–विवाद जारी) .. .. | ४६६–५०२ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ५०३–५०५ |


---

## बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. .. | ५०७–५११ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ५११–५३१ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री चन्द्रजोत यादव तथा श्री रघुवीरराम को गिरफ्तारी की सूचना .. | ५३१ |
| मंत्री परिषद् के वि द्ध अविश्वास का प्रस्ताव (विचार जारी) .. | ५३२–५७७ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ५७८–५९० |


---

## वृहस्पतिवार, ४ सितम्बर, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ५९१–५९५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ५९५–६२१ |
| ३१ जुलाई, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५–६ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन .. .. .. | ६२१–६२२ |
| बदायूं जिले में बाजार लूटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव को सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. | ६२२ |
| मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव .. .. | ६२२–६७२ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ६७३–६७६ |


---

## सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ६७७–६८० |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ६८०–७०८ |
| अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी .. .. | ७०८ |
| सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. .. | ७०९–७१० |
| बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में कत्ल व अराजकता के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. | ७१० |
| कानपुर की सूती मिलों में तालाबन्दी के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. | ७१०–७११ |
| चन्दौली में गृह मंत्री की उपस्थिति में सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं के घसीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित) .. | ७११ |
| सदस्यों की गिरफ्तारी सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में निवेदन .. | ७११–७१२ |
| सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना—सदन में अशान्ति .. | ७१२–७१५ |
| उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (जारी) .. .. | ७१५ |
| विधान सभा में गड़बड़ी तथा सदन के परिसर के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न .. | ७१५–७१७ |
| सर्वश्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना .. .. .. | ७१७–७१८ |
| उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. | ७१८–७३० |
| उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. .. .. .. | ७३०–७३४ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (प्रस्ताव, कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय--स्वीकृत) .. | ७३४–७४७ |
| श्री कल्याणचन्द मोहिले की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना .. .. | ७४८ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ७४९–७५५ |
| मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८ | |
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ७५७–७६० |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ७६०–७७४ |
| प्रश्न संख्या ४१–४३ के सम्बन्ध में व्यवस्था .. .. .. | ७७४ |
| सदन के परिसर की परिभाषा तथा दीर्घाओं में दर्शकों के प्रवेश पर रोक के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न .. .. .. | ७७५–७७६ |
| श्री ब्रजनारायण तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना .. | ७७६–७७७ |
| दीर्घा में सेक्रेटरियों के बैठने पर आपत्ति .. .. .. | ७७७ |
| श्री राजनारायण तथा अन्य १२ सोशलिस्ट सदस्यों के वि द्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित) .. | ७७७–७८१ |
| सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अधिक शक्ति के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. .. .. | ७८१–७८६ |
| सदन से कुछ सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अधिक शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | ७८६ |
| 'स्वतंत्र भारत' के सह-सम्पादक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ७८६–७८७ |
| संगीपुर, जिला बाराबंकी में डकैती तथा कत्ल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ७८७ |
| विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में सूचना .. .. .. | ७८७–७८८ |
| विशेषाधिकार के प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. | ७८८–७९० |
| उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १९५८ (मेज पर रखी गयी) .. .. .. | ७९० |
| उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (विचार जारी) . .. | ७९०–८६४ |
| नत्थियां .. .. .. .. | ८६५–८७० |

# शासन

## राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

## मंत्रि-परिषद्

### मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर संपूर्णानन्द, बी० एस०-सी० विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल०-एल० बी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य, विद्युत शक्ति, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा माल मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान-सभा-सदस्य , न्याय, अन्न तथा वन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

आचार्य जुगल किशोर, विधान-सभा-सदस्य, श्रम तथा सामाजिक कल्याण मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य , कृषि तथा सहकारिता मंत्री ।

### मंत्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगलाप्रसाद, बी ए०, एल-एल० बी,० विधान-सभा-सदस्य, हरिजन कल्याण मंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, सामाजिक सुरक्षा मंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य मादक कर तथा परिवहन मंत्री ।

### उपमंत्री

श्री जगमोहन सिंह नेगी बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, न्याय एवं अन्न उप मंत्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान-सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री ।

*श्री परमात्मानन्दसिंह, विधान-परिषद् सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान-सभा सदस्या, सामाजिक कल्याण उपमंत्री ।

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य , नियोजन उपमंत्री ।

---

* २७ अगस्त, १९५८ को निधन ।

भारत सरकार

## सभा-सचिव

---

### मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजविहारी सिंह, विधान-सभा-सदस्य ।]

### स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

### स्वायत्त शासन-मंत्री के सभा-सचिव

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य ।

### गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

### श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य ।

### हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान-सभा-सदस्य ।

### सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | अक्षयवरसिंह, श्री .. | .. पिपराइच |
| २ | अजीज इमाम, श्री | .. कंतित |
| ३ | अनन्तराम वर्मा, श्री | .. अलीगढ़ |
| ४ | अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री | .. विनायकपुर |
| ५ | अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री | .. कोपागंज |
| ६ | अब्दुस्समी, श्री .. | .. बरौंसा |
| ७ | अभयराम यादव, श्री | .. जसवंतनगर |
| ८ | अमरनाथ, श्री .. | .. महाराजगंज |
| ९ | अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री | .. मिर्जापुर |
| १० | अमोला देवी, श्रीमती | .. अठहा |
| ११ | अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री | .. सलेमपुर (पूर्व) |
| १२ | अली जर्रार जाफ़री, श्री | .. उतरौला |
| १३ | अली जहीर, श्री सैयद | .. लखनऊ शहर (पश्चिम) |
| १४ | अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर | .. मिसरिख |
| १५ | अवधेशचन्द्रसिंह, श्री | .. भोजपुर |
| १६ | अवधेशप्रतापसिंह, श्री | .. बीकापुर (पूर्व) |
| १७ | असलम खां, श्री .. | .. रामपुर |
| १८ | अहमद बख्श, श्री .. | .. जानसंठ |
| १९ | आत्माराम गोविन्द खेर, श्री | .. झांसी |
| २० | आत्माराम पांडेय, श्री | .. सैदपुर |
| २१ | आदिराम सिंघल, श्री | .. आगरा शहर |
| २२ | आनन्दब्रह्म शाह, श्री | .. राबर्ट्सगंज |
| २३ | आर्थर सी० प्राइस, श्री | .. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय) |
| २४ | इन्दुभूषण गुप्त, श्री | .. सगरी |
| २५ | इरतजा हुसैन, श्री .. | .. सियाना |
| २६ | इस्तफा हुसन, श्री .. | .. गोरखपुर |
| २७ | उग्रसेन, श्री .. | .. सलेमपुर (पश्चिम) |
| २८ | उदयशं कर दुबे, श्री | .. बस्ती |
| २९ | उबैदुर्रहमान, श्री | .. झांसी (पूर्व) |
| ३० | उमाशंकर शुक्ल, श्री | .. कानपुर शहर |
| ३१ | उल्फतसिंह, श्री .. | .. सहसवान |
| ३२ | ऊदल, श्री .. | .. कोलासला |
| ३३ | एस० अहमद हसन, श्री | .. कानपुर शहर |
| ३४ | कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री | .. शाहाबाद |
| ३५ | कमरुद्दीन, श्री .. | .. बुधना |
| ३६ | कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी | .. करछना |
| ३७ | कमलापति त्रिपाठी, श्री | .. चन्दौली |
| ३८ | कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले | .. पुवायां |
| ३९ | कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु .. | .. इलाहाबाद शहर (दक्षिण) |
| ४० | कल्याणराय, श्री | .. शाहाबाद |

*८ सितम्बर, १९५८ से निर्वाचन अवैध ।

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ४१ | कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री | .. | महाइच |
| ४२ | कालीचरण अग्रवाल, श्री | .. | कासगंज |
| ४३ | कशीप्रसाद पांडेय, श्री, | .. | कादीपुर |
| ४४ | किशनसिंह, श्री | .. | ठाकुरद्वारा |
| ४५ | कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री .. | .. | सुल्तानपुर |
| ४६ | केशभानराय श्री .. | .. | मगहर |
| ४७ | केशव पांडेय, श्री .. | .. | मनीराम |
| ४८ | केशवराम, श्री .. | .. | बिसौली |
| ४९ | कैलाशकुमारसिंह, श्री | .. | इस्लामनगर |
| ५० | कैलाशनारायण गुप्त, श्री | .. | इलाहाबाद शहर (उत्तर) |
| ५१ | कैलाशवती, श्रीमती | .. | छिल्लुपुर |
| ५२ | कैलाशप्रकाश, श्री | .. | मेरठ शहर |
| ५३ | कोतवालसिंह भदौरिया, श्री | .. | छिबरामऊ |
| ५४ | कृपाशंकर, श्री .. | .. | नगर |
| ५५ | खजानसिंह, चौधरी | .. | उन्नाव |
| ५६ | खमानीसिंह, डाक्टर | .. | मुरादाबाद (देहात) |
| ५७ | खयालीराम, श्री .. | .. | मोहनलालगंज |
| ५८ | खुशीराम, श्री .. | .. | पिठौरागढ़ |
| ५९ | खूबसिंह, श्री .. | .. | धामपुर |
| ६० | गंगाधर जाटव, श्री | .. | एतमादपुर |
| ६१ | गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा) | .. | एटा |
| ६२ | गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा) | .. | गोंडा (दक्षिण) |
| ६३ | गंगाप्रसादसिंह, श्री | .. | रसरा |
| ६४ | गजेन्द्रसिंह, श्री .. | .. | विधूना |
| ६५ | गज्जूराम, श्री .. | .. | ललितपुर |
| ६६ | गणेशप्रसाद पांडेय, श्री | .. | बांसगांव |
| ६७ | गनेशचन्द्र काछी, श्री | .. | भोगांव |
| ६८ | गनेशीलाल चौधरी, श्री | .. | बिसवां |
| ६९ | गयाप्रसाद, श्री .. | .. | कुंडा |
| ७० | गयाबख्शसिंह, श्री | .. | इसौली |
| ७१ | गयूर अली खां, श्री | .. | भवन |
| ७२ | गरीबदास, श्री | .. | कालपी |
| ७३ | गिरधारीलाल, श्री | .. | धामपुर |
| ७४ | गुप्तारसिंह, श्री .. | .. | सरेनी |
| ७५ | गुरुप्रसादसिंह, श्री | .. | मुसाफिरखाना |
| ७६ | गुलाबसिंह, श्री .. | .. | मसूरी |
| ७७ | गंडादेवी, श्रीमती .. | .. | खलीलाबाद |
| ७८ | गेंदासिंह, श्री .. | .. | पडरौना (पूर्व) |
| ७९ | गोकुलप्रसाद, श्री .. | .. | चायल |
| ८० | गोपाली, श्री .. | .. | खुर्जा |
| ८१ | गोपीकृष्ण आजाद, श्री | .. | नारायनी |
| ८२ | गोविन्दनारायण तिवारी, श्री | .. | जालौन |
| ८३ | गोविन्दसहाय, श्री | .. | नगीना |
| ८४ | गोविन्द सिंह बिष्ट, श्री | .. | अल्मोड़ा |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ८५ | गौरीराम गुप्त, श्री | .. | फरेंदा (पश्चिम) |
| ८६ | गौरीशंकर राय, श्री | .. | बलिया |
| ८७ | घनश्याम डिमरी, श्री | .. | बद्रीनाथ |
| ८८ | घासीराम जाटव, श्री | .. | भरथना |
| ८९ | चन्द्रजीत यादव, श्री | .. | मोहम्मदाबाद गोहना |
| ९० | चन्द्रदेव, श्री | .. | पडरौना (उत्तर) |
| ९१ | चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री | .. | निजामाबाद |
| ९२ | चन्द्रसिंह रावत, श्री | .. | पौड़ी |
| ९३ | चन्द्रहास मिश्र, श्री | .. | बिलग्राम |
| ९४ | चन्द्रावती, श्रीमती | .. | बिजनौर |
| ९५ | चन्द्रिकाप्रसाद, श्री | .. | बछरावां |
| ९६ | चरणसिंह, श्री | .. | कोटना |
| ९७ | चित्तरसिंह निरंजन, श्री | .. | कौंच |
| ९८ | चिरंजीलाल जाटव, श्री | .. | जलेसर |
| ९९ | छत्तरपतिसिंह, श्री | .. | खर्जा |
| १०० | छत्रपति अम्बेश, श्री | .. | आगरा शहर |
| १०१ | छेदीलाल, श्री | .. | श्रीनगर |
| १०२ | छोटेलाल पालीवाल, श्री | .. | सिरहपुरा |
| १०३ | जंगबहादुर वर्मा, श्री | .. | हैदरगढ़ |
| १०४ | जगदीशनारायण, श्री | .. | विलारी |
| १०५ | जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री | .. | मोहम्मदी |
| १०६ | जगदीशप्रसाद, श्री | .. | हनसपुर |
| १०७ | जगदीशशरण अग्रवाल, श्री | .. | बरेली शहर |
| १०८ | जगन्नाथ चौधरी | .. | सिकन्दरपुर |
| १०९ | जगन्नाथप्रसाद, श्री | .. | धौरेहरा |
| ११० | जगन्नाथ लहरी, श्री | .. | फिरोजाबाद |
| १११ | जगपतिसिंह, श्री | .. | करवी |
| ११२ | जगमोहनसिंह नेगी, श्री | .. | गंगा सलाण |
| ११३ | जगवीरसिंह, श्री | .. | अगोटा |
| ११४ | जमुनासिंह, श्री | .. | गुन्नौर |
| ११५ | जयगोपाल, डाक्टर | .. | हरौरा |
| ११६ | जयदेवसिंह आर्य, श्री | .. | घिरोर |
| ११७ | जयराम वर्मा, श्री | .. | टांडा |
| ११८ | जरगाम हैदर, श्री सैयद | .. | बहराइच (उत्तर) |
| ११९ | जवाहरलाल, श्री | .. | मंझनपुर |
| १२० | जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर | .. | कानपुर शहर |
| १२१ | जागेश्वर, श्री | .. | किशनपुर |
| १२२ | जितेंद्रप्रताप सिंह, श्री | .. | कांठ |
| १२३ | जुगलकिशोर, आचार्य | .. | गोवर्धन |
| १२४ | जोखई, श्री | .. | मेजा |
| १२५ | ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री | .. | घाटमपुर |
| १२६ | झारखंडेराय, श्री | .. | घोसी |
| १२७ | टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री | .. | खैराबाद |
| १२८ | टीकाराम, श्री | .. | बदायूं |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| १२९ | टीकाराम पुजारी, श्री | .. | सादाबाद |
| १३० | ढूंगरसिंह, श्री | .. | राठ |
| १३१ | ताराचन्द माहेश्वरी, श्री | .. | सिधौली |
| १३२ | तारादेवी, डाक्टर | .. | मड़ियाहूं |
| १३३ | तिरमलसिंह, श्री | .. | सहावर |
| १३४ | तेजबहादुर, श्री | .. | लालगंज |
| १३५ | तेजसिंह, श्री | .. | गाजियाबाद] |
| १३६ | त्रिलोकीसिंह, श्री | .. | लखनऊ शहर (पूर्व) |
| १३७ | दत्त, श्री एस०जी० | .. | कानपुर शहर |
| १३८ | दर्शनसिंह, श्री | .. | शाहजहांपुर |
| १३९ | दशरथप्रसाद, श्री | .. | बलरामपुर |
| १४० | दाताराम, चौधरी | .. | नकुड़ |
| १४१ | दीनदयालु करुण, श्री | .. | बलरामपुर |
| १४२ | दीनदयालु शर्मा, श्री | .. | अनूपशहर |
| १४३ | दीनदयालु शास्त्री, श्री | .. | रुड़की |
| १४४ | दीपंकर, आचार्य | .. | बरौत |
| १४५ | दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री | .. | देवरिया (दक्षिण) |
| १४६ | दुर्योधन, श्री | .. | महाराजगंज |
| १४७ | देवकीनन्दन विभव, श्री | .. | आगरा शहर |
| १४८ | देवदत्तसिंह, श्री | .. | टप्पल |
| १४९ | देवनारायण भारतीय, श्री | .. | जमौर |
| १५० | देवराम, श्री | .. | शादियाबाद |
| १५१ | देवीप्रसाद मिश्र, श्री | .. | अकबरपुर |
| १५२ | द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री | .. | मुजफ्फरनगर |
| १५३ | द्वारिकाप्रसाद, श्री | .. | कन्नौज |
| १५४ | द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री | .. | फरेंदा (पूर्व) |
| १५५ | धनीराम, श्री | .. | लालगंज |
| १५६ | धनुषधारी पांडेय, श्री | .. | महुली |
| १५७ | धर्मपाल सिंह, श्री | .. | तुलसीपुर |
| १५८ | धर्मदत्त वैद्य, श्री | .. | सिरौली |
| १५९ | धर्मसिंह, श्री | .. | अनूपशहर |
| १६० | नत्थाराम रावत, श्री | .. | बाराबंकी |
| १६१ | नत्थूसिंह, श्री (बरेली) | .. | फरीदपुर |
| १६२ | नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी) | .. | करहल |
| १६३ | नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री | .. | हाथरस |
| १६४ | नन्दराम, श्री | .. | कुंडा |
| १६५ | नरदेवसिंह दतियानवी, श्री | .. | चांदपुर |
| १६६ | नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री | .. | केदारनाथ |
| १६७ | नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री | .. | पिथौरागढ़ |
| १६८ | नवलकिशोर, श्री | .. | आंवला |
| १६९ | नागेश्वरप्रसाद, श्री | .. | गरवारा |
| १७० | नारायणदत्त तिवारी, श्री | .. | नैनीताल |
| १७१ | नारायणदास पासी, श्री | .. | बीकापुर (पश्चिम) |
| १७२ | निरंजनसिंह, श्री | .. | पीलीभीत |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| १७३ | नेकराम शर्मा, श्री | .. | अतरौली |
| १७४ | पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री | .. | अतरौलिया |
| १७५ | पब्बरराम, श्री | .. | गाजीपुर |
| १७६ | परमानन्द सिनहा, श्री | .. | सोरांव (पश्चिम) |
| १७७ | परमेश्वरदीन वर्मा, श्री | .. | पुर्वा |
| १७८ | पहलवानसिंह, चौधरी | .. | बांदा |
| १७९ | प्रकाशवती सूद, श्रीमती | .. | मेरठ (छावनी) |
| १८० | प्रतापबहादुरसिंह, श्री | .. | फखरपुर |
| १८१ | प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री | .. | लहरपुर |
| १८२ | प्रतापसिंह, श्री | .. | टनकपुर |
| १८३ | प्रभावती मिश्र, श्रीमती | .. | लम्भुआ |
| १८४ | प्रभुदयाल, श्री | .. | बानगंगा (पश्चिम) |
| १८५ | फतेहसिंह राणा, श्री | .. | सरधना |
| १८६ | बंशीधर शुक्ल, श्री | .. | श्रीनगर |
| १८७ | बलदेवसिंह, श्री | .. | महदेवा |
| १८८ | बलदेवसिंह आर्य, श्री | .. | शाहाबाद |
| १८९ | बलवानसिंह, श्री | .. | अकबरपुर |
| १९० | बसन्तलाल, श्री | .. | लखनऊ (छावनी) |
| १९१ | बादामसिंह, श्री | .. | शिकारपुर |
| १९२ | बाबूराम, श्री | .. | भोजीपुरा |
| १९३ | बाबूलाल कुसुमेश, श्री | .. | प्रतापगंज |
| १९४ | बालकराम, श्री | .. | तिलहर |
| १९५ | बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री | .. | डोमरियागंज (दक्षिण) |
| १९६ | बिन्दुमती दास, श्रीमती | .. | प्रतापगंज |
| १९७ | बिशम्बरसिंह, श्री | .. | हस्तिनापुर |
| १९८ | बिहारीलाल, श्री | .. | बीसलपुर |
| १९९ | बुलाकीराम, श्री | .. | हरदोई |
| २०० | बुद्धीलाल, श्री | .. | नानपारा |
| २०१ | बुद्धीसिंह, श्री | .. | बहजोई |
| २०२ | बृजबासीलाल, श्री | .. | बीकापुर (पश्चिम) |
| २०३ | बृजरानी मिश्र, श्रीमती | .. | बिल्हौर |
| २०४ | बेचनराम, श्री | .. | ज्ञानपुर |
| २०५ | बेचनराम गुप्त, श्री | .. | ज्ञानपुर |
| २०६ | बेनीबाई, श्रीमती | .. | मऊ |
| २०७ | बैजूराम, श्री | .. | सिधौली |
| २०८ | ब्रजनारायण तिवारी, श्री | .. | पडरौना (पश्चिम) |
| २०९ | ब्रजभूषणशरण, श्री | .. | देहरादून |
| २१० | ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री | .. | कानपुर शहर |
| २११ | भगवतीप्रसाद दुबे, श्री | .. | भावापुर |
| २१२ | भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री | .. | प्रतापगढ़ (दक्षिण) |
| २१३ | भगवतीसिंह विशारद, श्री | .. | भगवन्तनगर |
| २१४ | भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री | .. | बाराबंकी |
| २१५ | भजनलाल, श्री | .. | औरैया |
| २१६ | भीखालाल, श्री | .. | हसनगंज |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| २१७ | भुवनेशभूषण शर्मा, श्री | .. | इटावा |
| २१८ | भूपकिशोर, श्री | .. | अलीगंज |
| २१९ | मगलाप्रसाद, श्री | .. | मेजा |
| २२० | मंजूरुलनबी, श्री | .. | सहारनपुर |
| २२१ | मथुराप्रसाद पांडेय, श्री | .. | नौगढ़ |
| २२२ | मदनगोपाल वैद्य, श्री | .. | अमीसन |
| २२३ | मदन पांडेय, श्री | .. | तिलपुर |
| २२४ | मदनमोहन, श्री | .. | फैजाबाद |
| २२५ | मन्नालाल, श्री | .. | मोहम्दी |
| २२६ | मलखानसिंह, श्री | .. | सिकन्दराराव |
| २२७ | मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी) | .. | मैनपुरी |
| २२८ | महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ) | .. | दसना |
| २२९ | महमूद अली खां, श्री (रामपुर) | .. | स्वार टांडा |
| २३० | महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) | .. | मुजफ्फराबाद |
| २३१ | महमूद हुसैन खां, श्री | .. | सम्भल |
| २३२ | महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री | .. | केवाई |
| २३३ | महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री | .. | लखनऊ शहर (मध्य) |
| २३४ | महीलाल, श्री | .. | बिलारी |
| २३५ | महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा | .. | बाह |
| २३६ | महेशसिंह, श्री | .. | हरदोई |
| २३७ | माताप्रसाद, श्री | .. | शाहगंज |
| २३८ | मान्धातासिंह, श्री | .. | कोपाचीत |
| २३९ | मिहरबानसिंह, श्री | .. | भरथना |
| २४० | मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री | .. | रुदौली |
| २४१ | मुक्तिनाथ राय, श्री | .. | गोपालपुर |
| २४२ | मुजफ्फर हसन, श्री | .. | चायल |
| २४३ | मुनीन्द्रपालसिंह, श्री | .. | बीसल |
| २४४ | मुबारक अली खां, श्री | .. | उसेहट |
| २४५ | मुरलीधर, श्री | .. | बिल्हौर |
| २४६ | मुरलीधर कुरील, श्री | .. | माहुल |
| २४७ | मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री | .. | सफीपुर |
| २४८ | मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री | .. | वाराणसी शहर (उत्तर) |
| २४९ | मुहम्मद फारूक चिश्ती | .. | देवरिया (उत्तर) |
| २५० | मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री | .. | बानगंगा (पूर्व) |
| २५१ | मुहम्मद हुसैन, श्री | .. | बरेली, छावनी |
| २५२ | मूलचन्द, श्री | .. | मिसरिख |
| २५३ | मोतीलाल अवस्थी, श्री | .. | कानपुर (देहात) |
| २५४ | मोहनलाल, श्री | .. | महोबा |
| २५५ | मोहनलाल गौतम, श्री | .. | कोयल |
| २५६ | मोहनलाल वर्मा, श्री | .. | संडीला |
| २५७ | मोहनसिंह मेहता, श्री | .. | दानपुर |
| २५८ | यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री | .. | रायबरेली (उत्तर) |
| २५९ | यमुनासिंह, श्री | .. | शादियाबाद |
| २६० | यशपालसिंह, श्री | .. | देवबन्द |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| २६१ | यशोदादेवी, श्रीमती | .. | बांसगांव |
| २६२ | यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा | .. | जौनपुर |
| २६३ | रऊफ जाफरी, श्री | .. | मछलीशहर |
| २६४ | रघुनाथसहाय यादव, श्री | .. | किशनपुर |
| २६५ | रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब | .. | सादुल्लानगर |
| २६६ | रघुराजसिंह चौधरी, श्री | .. | बुलन्दशहर |
| २६७ | रघुवीरराम, श्री | .. | मोहम्मदाबाद |
| २६८ | रघुवीरसिंह, श्री (एटा) | .. | जलेसर |
| २६९ | रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ) | .. | बागपत |
| २७० | रणबहादुरसिंह, श्री | .. | हरैया (पश्चिम) |
| २७१ | रमाकान्तसिंह, श्री | .. | अमेठी |
| २७२ | रमानाथ खैरा, श्री | .. | ललितपुर |
| २७३ | रमेशचन्द्र शर्मा, श्री | .. | बरसाथी |
| २७४ | राघवराम पांडेय, श्री | .. | गोंडा (दक्षिण) |
| २७५ | राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री | .. | मनकापुर |
| २७६ | राजकिशोर राव, श्री | .. | इकौना |
| २७७ | राजकुमार शर्मा, श्री | .. | चुनार |
| २७८ | राजदेव उपाध्याय, श्री | .. | सिधुवाजोबना |
| २७९ | राजनारायण, श्री | .. | कसवर सरकारी |
| २८० | राजनारायणसिंह, श्री | .. | अहरौरा |
| २८१ | राजबिहारीसिंह, श्री | .. | कसंवर राजा |
| २८२ | राजाराम शर्मा, श्री | .. | खलीलाबाद |
| २८३ | राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती | .. | डुमरियागंज (उत्तर) |
| २८४ | राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती | .. | मौदहा |
| २८५ | राजेन्द्रदत्त, श्री | .. | शिकारपुर |
| २८६ | राजेन्द्रसिंह, श्री | .. | गोंडवा |
| २८७ | राजेन्द्रसिंह यादव, श्री | .. | शमसाबाद |
| २८८ | रामअधार तिवारी, श्री | .. | प्रतापगढ़ (उत्तर) |
| २८९ | रामअभिलाख, श्री | .. | गोंडा (उत्तर) |
| २९० | रामकिंकर, श्री | .. | पट्टी |
| २९१ | रामकुमार वैद्य, श्री | .. | अमरोहा |
| २९२ | रामकृष्ण जैसवार, श्री | .. | कंतित |
| २९३ | रामकृष्ण सारस्वत, श्री | .. | फर्रुखाबाद |
| २९४ | रामचन्द्र विकल, श्री | .. | सिकन्दराबाद |
| २९५ | रामजीलाल सहायक, श्री | .. | सरधना |
| २९६ | रामजीसहाय, श्री | .. | सिलहट |
| २९७ | रामदास आर्य, श्री | .. | जानस |
| २९८ | रामदीन, श्री | .. | करहल |
| २९९ | रामनाथ पाठक, श्री | .. | दोआबा |
| ३०० | रामनारायण त्रिपाठी, श्री | .. | सुरहुरपुर |
| ३०१ | रामपाल त्रिवेदी, श्री | .. | मलीहाबाद |
| ३०२ | रामप्रसाद, श्री | .. | सलीन |
| ३०३ | रामप्रसाद देशमुख, श्री | .. | कोयल |
| ३०४ | रामप्रसाद नौटियाल, श्री | .. | लैंसडाउन |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ३०५ | रामबली, श्री | .. | मुसाफिरखाना |
| ३०६ | राममूर्ति, श्री | .. | बहेड़ी |
| ३०७ | रामरतनप्रसाद, श्री | .. | रसरा |
| ३०८ | रामरती देवी, श्रीमती | .. | अकबरपुर |
| ३०९ | रामलक्षण तिवारी, श्री | .. | बांसडीह (पूर्व) |
| ३१० | रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर) | .. | रारी |
| ३११ | रामलखन, श्री (वाराणसी) | .. | चन्दौसी |
| ३१२ | रामलखन मिश्र, श्री | .. | बांसी (पश्चिम) |
| ३१३ | रामलाल, श्री | .. | नगर |
| ३१४ | रामवचन यादव, श्री | .. | माहुल |
| ३१५ | रामशरण यादव, श्री | .. | मोहनलाल गंज |
| ३१६ | रामसनेही भारतीय, श्री | .. | बबेरु |
| ३१७ | रामसमझावन, श्री | .. | केराकत |
| ३१८ | रामसिंह चौहान वैद्य, श्री | .. | एतमादपुर |
| ३१९ | रामसुन्दर पांडेय, श्री | .. | नत्थूपुर |
| ३२० | रामसूरतप्रसाद, श्री | .. | पिपराइच |
| ३२१ | रामस्वरूप यादव, श्री | .. | जसराना |
| ३२२ | रामस्वरूप वर्मा, श्री | .. | भोगनीपुर |
| ३२३ | रामहेतसिंह, श्री | .. | छाता |
| ३२४ | रामायणराय, श्री | .. | पडरौना (दक्षिण) |
| ३२५ | रामेश्वरप्रसाद, श्री | .. | बछरावां |
| ३२६ | रुस्नुद्दीन खां, श्री | .. | कोंहडौर |
| ३२७ | रूपसिंह, श्री | .. | खेरा बजेहरा |
| ३२८ | लक्ष्मणदत भट्ट, श्री | .. | काशीपुर |
| ३२९ | लक्ष्मणराव कदम, श्री | .. | गरोठा |
| ३३० | लक्ष्मणसिंह, श्री | .. | रानीखेत (दक्षिण) |
| ३३१ | लक्ष्मीनारायण, श्री | .. | पहाड़पुर |
| ३३२ | लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री | .. | फतेहाबाद |
| ३३३ | लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री | .. | माट |
| ३३४ | लायकसिंह, चौधरी | .. | शिकोहाबाद |
| ३३५ | लालबहादुरसिंह, श्री | .. | केराकत |
| ३३६ | लुत्फ अली खां, श्री | .. | हापुड़ |
| ३३७ | लोकनाथसिंह, श्री | .. | कटेहर |
| ३३८ | वजरंगविहारीलाल रावत, श्री | .. | हैदरगढ़ |
| ३३९ | वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री | .. | जमानिया |
| ३४० | वसी नकवी, श्री | .. | रोखा |
| ३४१ | वासुदेव दीक्षित , श्री | .. | खागा |
| ३४२ | विचित्रनारायण शर्मा, श्री | .. | मोदी नगर |
| ३४३ | विजयशंकर सिंह, श्री | .. | मुहम्मदाबाद |
| ३४४ | विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती | .. | शाहाबाद |
| ३४५ | विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती | .. | देव प्रयाग |
| ३४६ | विशालसिंह, श्री | .. | भिटौली |
| ३४७ | विश्रामराय, श्री | .. | आजमगढ़ |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ३४८ | विश्वनाथसिंह गौतम, श्री | .. | करांव |
| ३४९ | विश्वेश्वरानन्द, स्वामी | .. | फतेहपुर सीकरी |
| ३५० | वीरसेन, श्री | .. | हापुड़ |
| ३५१ | वीरेन्द्र वर्मा, श्री | .. | कैराना |
| ३५२ | वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री | .. | बहराइच (दक्षिण) |
| ३५३ | वीरेन्द्रशाह, राजा | .. | कालपी |
| ३५४ | व्रजगोपाल सक्सेना, श्री | .. | महोबा |
| ३५५ | व्रजविहरी मेहरोत्रा, श्री | .. | घाटमपुर |
| ३५६ | शंकरलाल, श्री | .. | काशीपुर |
| ३५७ | शकुन्तलादेवी, श्रीमती | .. | हरौरा |
| ३५८ | शब्बीर हसन, श्री | .. | खजुहा |
| ३५९ | शमसुल इस्लाम, श्री | .. | निधपुर |
| ३६० | शम्भूदयाल, श्री | .. | संडीला |
| ३६१ | शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री | .. | हरद्वार |
| ३६२ | शिवगोपाल तिवारी, श्री | .. | सफीपुर |
| ३६३ | शिवप्रसाद, श्री (देवरिया) | .. | सिधुवाजोबना |
| ३६४ | शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी) | .. | खीरी |
| ३६५ | शिवमंगलसिंह, श्री | .. | बांसडीह (पश्चिम) |
| ३६६ | शिवमूर्तिसिंह, श्री | .. | फूलपुर |
| ३६७ | शिवराजबलीसिंह, श्री | .. | फतेहपुर |
| ३६८ | शिवराजबहादुर, श्री | .. | नवाबगंज |
| ३६९ | शिवराजसिंह यादव, श्री | .. | बिसौली |
| ३७० | शिवराम पांडेय, श्री | .. | डेरापुर |
| ३७१ | शिववचन राव, श्री | .. | सलेमपुर (दक्षिण) |
| ३७२ | शिवशंकरसिंह, श्री | .. | डलमऊ |
| ३७३ | शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री | .. | इकौना |
| ३७४ | शीतलाप्रसाद, श्री | .. | तरबगंज |
| ३७५ | शोभनाथ, श्री | .. | राबर्ट्सगंज |
| ३७६ | श्यामसनोहर मिश्र, श्री | .. | लखनऊ (छावनी) |
| ३७७ | श्यामलाल, श्री | .. | माट |
| ३७८ | श्यामलाल यादव, श्री | .. | मुगलसराय |
| ३७९ | श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी | .. | कियोर |
| ३८० | श्रीकृष्ण गोयल, श्री | .. | उझानी |
| ३८१ | श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री | .. | खैरागढ़ |
| ३८२ | श्रीनाथ, श्री | .. | मोहम्मदाबाद गोहाना |
| ३८३ | श्रीनाथ भार्गव, श्री | .. | मथुरा |
| ३८४ | श्रीनिवास, श्री | .. | गांगिरी |
| ३८५ | श्रीपालसिंह, कुंवर | .. | शाहगंज |
| ३८६ | संग्रामसिंह, श्री | .. | सोरांव (पूर्व) |
| ३८७ | सईद अहमद अन्सारी, श्री | .. | ज्वालापुर |
| ३८८ | सजीवनलाल, श्री | .. | हसनगंज |
| ३८९ | सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती | .. | शिवपुर |
| ३९० | सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती | .. | दादरी |
| ३९१ | सम्पूर्णानन्द, डाक्टर | .. | वाराणसी शहर (दक्षिण) |

| क्रम-सं० | सदस्य का नाम | | निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ३९२ | सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती | .. | सरजू |
| ३९३ | सियादुलारी, श्रीमती | .. | करवी |
| ३९४ | सीताराम, डाक्टर | .. | सिलहट |
| ३९५ | सीताराम शुक्ल, श्री | .. | हरैया (पूर्व) |
| ३९६ | सुक्खनलाल, श्री | .. | हसनपुर |
| ३९७ | सुखरानी, श्रीमती | .. | फतेहपुर |
| ३९८ | सुखरामदास, श्री | .. | टांडा |
| ३९९ | सुखलाल, श्री | .. | औरैया |
| ४०० | सुखीराम भारतीय, श्री | .. | फूलपुर |
| ४०१ | सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री | .. | अऊ |
| ४०२ | सुनीता चौहान, श्रीमती | .. | सलोन |
| ४०३ | सुन्दरलाल, श्री | .. | फरीदपुर |
| ४०४ | सुरथबहादुरशाह, श्री | .. | निघासन |
| ४०५ | सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री | .. | हमीरपुर |
| ४०६ | सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार | .. | पुवायां |
| ४०७ | सुरेशप्रकाशसिंह, श्री | .. | खीरवां |
| ४०८ | सुल्तान आलम खां, श्री | .. | कायमगंज |
| ४०९ | सूरतचन्द्र रमोला, श्री | .. | टेहरी |
| ४१० | सूर्यबली पांडेय, श्री | .. | हाटा |
| ४११ | सोहनलाल धुसिया, श्री | .. | बांसी (पूर्व) |
| ४१२ | हमीदुल्ला खां, श्री | .. | चारदा |
| ४१३ | हरकेशबहादुर, श्री | .. | पट्टी |
| ४१४ | हरदयालसिंह, श्री | .. | जलालाबाद |
| ४१५ | हरदयालसिंह पिपल, श्री | .. | हाथरस |
| ४१६ | हरदेवसिंह, श्री | .. | देवबन्द |
| ४१७ | हरिदत्त काण्डपाल, श्री | .. | रानीखेत (उत्तर) |
| ४१८ | हरिश्चन्द्रसिंह, श्री | .. | दातागंज |
| ४१९ | हरिहरबख्शसिंह, श्री | .. | पाली |
| ४२० | हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री | .. | सीतापुर |
| ४२१ | हरीसिंह, श्री | .. | खिथोर |
| ४२२ | हलीमुद्दीन (राहत मीलाई), श्री | .. | मुरादाबाद शहर |
| ४२३ | हिम्मतसिंह, श्री | .. | बेबाई |
| ४२४ | हुकुमसिंह विसेन, श्री | .. | कैसरगंज |
| ४२५ | हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री | .. | मंझनपुर |
| ४२६ | हीरालाल यादव, श्री | .. | कन्नौज |
| ४२७ | [रिक्त] | .. | रवाई |
| ४२८ | [रिक्त] | .. | अफजलगढ़ |
| ४२९ | [रिक्त] | .. | फलकपुर |
| ४३० | [रिक्त] | .. | नजीबाबाद |
| ४३१ | [रिक्त] | .. | इगलास |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## के

# पदाधिकारी

---

### अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

### उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

### सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

### सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

### सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम० एल-एल० बी० ।

### कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

### अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

### पुस्तकाध्यक्ष

श्री बृजेन्द्रनारायण सिंह ।

सत्यमेव जयते

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**सोमवार, २५ अगस्त, १९५८**

---

**विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

---

## उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफरी, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दु भूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री,
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशन सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
राम सुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूम सिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण वंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल , श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी,श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह , श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों का मेमोरेण्डम

**१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों का कोई डेपुटेशन चांसलर यूनिवर्सिटी तथा स्वास्थ्य मंत्री से ११ अगस्त, १९५८ को मिला था और उसने कोई मेमोरेन्डम पेश किया था ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--जी हां । स्वास्थ्य मंत्री से मिला था । चांसलर से मिलने का हाल नहीं मालूम है ।

**२--श्री कल्याण चन्द मोहिले--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस मेमोरेंडम में खास-खास क्या बातें थीं और सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--मेमोरेंडम की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है और उनसे यह कह दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय (लखनऊ) उस पर विचार करेगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४-८५ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कभी कोई ऐसा एनाउन्समेन्ट किया था जिस में कहा था कि आयुर्वेदिक कालेज के लड़के बगैर फीस के मेडिकल टेस्ट के लिये लिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैं प्रश्नकर्ता महोदय की तवज्जह सरकार के उस एनाउन्समेन्ट की तरफ दिलाता हूं जो २ या ३ अगस्त के अखबार में छपा था ।

श्री अध्यक्ष--कोई प्रेस-नोट छपा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अखबार में उसके बारे में क्या छपा था ?

श्री अध्यक्ष--मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर प्रेस-नोट छप चुका है तो आप स्वयं वह पढ़ लें ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मेमोरेंन्डम को लेकर माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ इस विषय में विचार-विमर्श किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत-सी राजो-नियाज की बातें होती हैं, जिनका बताना उचित नहीं होता ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि इसी तरह का प्रस्ताव सन् १९५४ में भी बी०एम०बी०एस० छात्रों के एम० बी० बी० एस० में भर्ती के बारे में आया था और जिस को मेडिकल कौंसिल ने भी स्वीकार किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी तो सूचना यह है कि डिसएग्री किया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के छात्रों के डेपुटेशन ने बी०एम०बी० एस० के सम्बन्ध में भी बातचीत की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो मेमोरेंडम टेबिल पर रख दिया गया है, उसी के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी कृपा करके उस मेमोरेंडम की मुख्य-मुख्य बातें बतलायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खास मांग यह थी कि मर्जर न किया जाय, इससे हमारे स्टेटस में फर्क पड़ जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस विद्यार्थियों के डेपुटेशन में वह विद्यार्थी भी शामिल थे जो पहले बी०एम० बी० एस० के छात्र थे और अब सरकारी आदेश के अनुसार मेडिकल कालिज के एम० बी० बी० एस० के छात्र हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह गणना मैंने नहीं की ।

## वनस्पति घी में रंग देने के संबंध में गवेषणा के लिए सुझाव

**३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वनस्पति घी में रंग देने के लिये क्या कोई खोज कराई जा रही है ? यदि हां, तो उस गवेषणा समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, परन्तु जो सुझाव सरकार के पास आते हैं, उनकी जांच कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## नगरपालिका सहारनपुर का चुनाव

**४—डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका सहारनपुर का चुनाव वह कब तक करा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा)—इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर के महीने में चुनाव कराने का विचार है ।

## गोरखपुर क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानों पर अनाज की मात्रा घटाना

**५—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सस्ते गल्ले की दूकान पर अन्न बिकने का कोटा ४० मन से घटा कर २० मन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—केवल गोंडा जिले में ही नहीं गोरखपुर रीजन के समस्त जिलों में जहां-जहां सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं, गल्ले के स्टाक की स्थिति तथा सरकार द्वारा स्वीकृत दूकानों की संख्या देखते हुये प्रत्येक दूकान से रोजाना गल्ले की बिक्री की मात्रा घटाना आवश्यक समझा गया ।

**६—श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि हजारों लोग बिना अन्न पाये वापस चले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यकता देखते हुये कोटा शीघ्र बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयदअली जहीर—यह सम्भव है कि कभी-कभी कुछ लोगों को बिना गल्ला पाये वापस जाना पड़ता हो, पर आमतौर पर ऐसा नहीं है । अगर प्रदेशीय सरकार को केन्द्र से काफी मात्रा में और गल्ला मिल गया तो कोटा अवश्य बढ़ा दिया जायगा ।

## केन्द्र से अन्न की प्राप्ति

**७—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार गल्ला देने में असमर्थता दिखाई है ?

श्री सैयदअली जहीर—जी नहीं, यह सही नहीं है । केन्द्रीय सरकार ने हमारी गल्ले की मांगों को जहां तक हो सकता था पूरा किया है ।

## तारांकित प्रश्न

## आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता

*१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७-५८ में आजमगढ़ जिले में किन-किन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—तालिका (१) संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६-८८ पर)

*२—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५७-५८ में कितने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की ओर से आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तालिका (२) संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ में कितने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अब तक Preliminary Grant नहीं मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब Preliminary Grant के नाम से कोई सहायता नहीं दी जाती। जिन विद्यालयों को अनुपालन अनुदान नहीं दिया जाता उनकी सूची तालिका (३) संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९० पर)

## डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कम्पलेंट्स, जिला गोरखपुर को प्राप्त शिकायतों के आधार पर दण्ड

*४---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में सन् १९५६ व १९५७ तथा मार्च, १९५८ तक गोरखपुर के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्पलेंट्स) के पास कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस महकमें की आईं और उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई और कितनी सच पाई गईं?

*५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अवधि में जिला गोरखपुर में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्पलेंट्स) के पास जो शिकायतें आई हैं उनके आधार पर विभाग वार कितने कर्मचारियों को क्या-क्या दण्ड दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९१-९२ पर)

## नैनीताल जिले के टनकपुर थाने के जयदत्त कास्टेबिल का लापता होना

*६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टनकपुर, जिला नैनीताल से कुछ समय पूर्व एक पुलिस कान्स्टेबिल गायब हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक इस मामले में क्या जांच हुई है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---गत १९ जनवरी, १९५८ को टनकपुर थाने का कांस्टेबिल जय दत्त रात को हाजिरी के समय अनुपस्थित पाया गया तथा अब तक लापता है। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच से पता लगा कि उक्त कांस्टेबिल उसी दिन शारदा नदी पार करके ब्रह्मदेव मंडी (नेपाल) गया था परन्तु उसके गायब होने के संबंध में कोई निश्चित बात नहीं मालूम हो सकी। यह मामला अब सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है और उनकी जांच समाप्त नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ जनवरी की इस घटना की जो जांच हुई वह कब शुरू की गयी?

श्री कैलाशप्रकाश---जांच तो जिस वक्त वह ड्यूटी पर नहीं पाया गया उसी के बाद प्रारंभ हो गयी। पहले साधारण पुलिस द्वारा जांच होती रही, अब सी० आई० डी० को वह सुपुर्द कर दी गयी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो कांस्टेबिल गायब हुआ है यह कुछ अस्त्र और गोली वगैरह लेकर भी गायब हो गया?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सी० आई० डी० को यह मामला कब सौंपा गया?

श्री कैलाशप्रकाश---तिथि तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---ब्रह्मदेव मंडी चूंकि नेपाल में है, क्या माननीय मंत्री जी ने प्रिकाशन लिया कि भारत सरकार द्वारा नैपाल सरकार को इत्तला दी जाय कि वह जांच करे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, इसकी आवश्यकता कोई महसूस नहीं हुई, इस वजह से कि पता लगाने से यहां तक पता लगा कि वह वहां से वापस आ रहा था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो अब तक जांच हुई है उसके अनुसार प्राग्दर्शन में इस पुलिस कांस्टेबिल के गायब होने के क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कारण ही के लिए तो सी० आई० डी० को जांच सुपुर्द की गई है कि बताये कि क्या कारण है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय उस गायब हुए सिपाही का नाम और उसका पता बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनका नाम है जयदत्त, जो गायब हुए हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि इस सिपाही के साथ कोई दूसरा कांस्टेबिल नैपाल की सीमा में गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, सही है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस सिपाही के द्वारा कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, उस सिपाही से भी पूछ-ताछ की गयी, लेकिन वह कुछ बता नहीं सका इस बारे में।

## बुलन्दशहर जिले के सूचना केन्द्र

*७---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने सूचना केन्द्र हैं और कहां-कहां ?

श्री कैलाशप्रकाश---सूचना विभाग की ओर से बुलन्दशहर में दो सूचना केन्द्र हैं यथा बुलन्दशहर और खुर्जा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में अन्य सूचना केन्द्र खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---८ सूचना केन्द्र तो हैं जो नियोजन विभाग की ओर से खोले गये हैं और इनके सिवा सम्प्रति और कोई योजना नहीं है ।

## घाघरा नियंत्रण योजना

*८---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि घाघरा नियंत्रण योजना ठप कर दी गई है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---घाघरा नियंत्रण योजना ठप नहीं की गई है।

*९---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न नहीं उठता ।

## राज्य में १९५७ में डाकुओं की गिरफ्तारी

*१०—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ ई० में प्रदेश में कितने डाकू पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५७ में उत्तर प्रदेश में ८,०९९ डाकू पकड़े गये ।

## हाथरस तहसील में रूदायन ग्राम के नलकूप को बिजली

*११—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई राज्य-मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सदायन गांव में बने हाथरस तहसील के नये नलकूप को कितने दिन हो गये और उस पर बिजली कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री राममूर्ति—हाथरस तहसील में सदायन नामक कोई गांव नहीं है । हां, नलकूप संख्या ४१ हाथरस ग्रुप का निर्माण गांव रूदायन, तहसील हाथरस में सितम्बर, १९५७ में हो गया था । अब इस नलकूप पर बिजली पहुंच गई है और सिंचाई के हेतु चालू है ।

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या इस कुयें की पहली कुंडी पर ही नाली तीन फीट और बाद में एक फीट और नीची कर दी गई है जिससे उसकी कमान्ड में पानी नहीं पहुंच सकेगा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ४१ नम्बर का नलकूप कब से पानी दे रहा है और अब तक कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई कर चुका है ?

श्री राममूर्ति—कितनी सिंचाई हुई है, इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस नल-कूप की नालियां अभी तक नहीं बनी हैं, क्योंकि यह सितम्बर, १९५७ में तैयार हुआ था । एक बरसात के बाद नालियां पक्की बनायी जाती हैं । जब पक्की बन जायंगी तो अच्छा काम होगा । अभी उतनी आबपाशी नहीं हुई होगी जितनी कि आम तौर पर नलकूप किया करते हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—मेरी इस सूचना पर क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कोशिश करेंगे कि १८ अगस्त तक इस नलकूप पर बिजली का मीटर नहीं था ?

श्री राममूर्ति—यह हो सकता है । मैं उसके बारे में निश्चित तो नहीं कह सकता, अगर लिखकर दे देंगे तो मालूमात करा दूंगा ।

## स्थानापन्न सब-इन्सपेक्टरों के स्थायित्व के सम्बन्ध में पूछताछ

*१३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कुल कितने स्थानापन्न सब-इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज निम्नलिखित हैं :

(१) तीन या तीन साल से ऊपर की सर्विस वाले,
(२) पांच वर्ष से ऊपर की सर्विस वाले,
(३) सात वर्ष से ऊपर की सर्विस वाले,
(४) दस वर्ष से ऊपर की सर्विस वाले ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसे सब-इंस्पेक्टररों की संख्या क्रमशः ४०, १३, ३६, ३९ है ।

*१४--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार उपरोक्त किसी अवधि तक कार्य करने वाले लोगों को स्थायी करने के बारे में विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--पुलिस रेगुलेशन के परिच्छेद ४०६ के उपबन्धों से छूट देकर निम्नतम १० वर्ष सेवाकाल वाले सशस्त्र पुलिस के सुयोग्य स्थानापन्न सबइंस्पेक्टरों तथा निम्नतम ७ वर्ष सेवाकाल वाले सिविल पुलिस के सुयोग्य स्थानापन्न सब-इंस्पेक्टरों को स्थायी किये जाने का सरकार ने आदेश दिया है ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १० वर्ष और ७ वर्ष ठीक से काम करने के बाद वह कर्मचारी स्वतः स्थायी हो जायेंगे या सेलेक्शन कमेटी द्वारा सेलेक्शन होगा तब होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी तो डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी है, जिसके सामने नाम पेश होते हैं तब स्थायी किये जाते हैं ।

*१५--श्री मुक्तिनाथ राय--[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७--श्री लक्ष्मणराव कदम--[हटा दिया गया ।]

*१८--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[हटा दिया गया ।]

## बाराबंकी जिले में मजीठा ग्राम की डकैती

*१९--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ४ मई, १९५८ तक बाराबंकी-हैदरगढ़ सड़क पर कितनी राहजनी हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में बाराबंकी-हैदरगढ़ सड़क पर कोई राहजनी की घटना नहीं हुई । एक डकैती १४, फरवरी १९५८ को पड़ी थी जिसके संबंध में जांच जारी है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह डकैती किस स्थान पर पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश--ग्राम मजीठा ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डकैती में कितने आदमी लूटे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, पूरी संख्या तो नहीं है लेकिन एक संतराम थे और उनके साथी ओंकार बख्श सिंह और राम आसरे थे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस के द्वारा कराई जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--पुलिस के द्वारा ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डकैती किस समय हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--समय की खबर नहीं है ।

[*२०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

## शिक्षा प्रसार अध्यापक

*२१—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस राज्य में शिक्षा प्रसार अध्यापकों ( Extension teacher ) की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश में प्रसार अध्यापकों की कुल संख्या २,६४० है ।

## राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत कार्य तथा कर्मचारी

*२२—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि (Govt. Estate Office) के पास मुख्यतः कौन-कौन से कार्य हैं और इस विभाग में कितने पृथक्-पृथक् नान-गजटेड एवं अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राज्य सम्पति विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यों की और विभाग के सभी दर्जों के नान गजटेड कर्मचारियों की सूचियां मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३-९५ पर )

## मैनपुरी जिले के थानों में पुराने मुन्शी

*२३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे थानेदार व हेड मोहर्रिर कितने हैं जिनको मैनपुरी जिले में रहते ६ साल हो गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैनपुरी जिले में ऐसा कोई भी थानेदार नहीं है, परन्तु ७ हेड मुहर्रिर ऐसे हैं जिनको इस जिले में ६ वर्ष से अधिक रहते हो गया है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक जिले में थाने-दार और हेड मुहर्रिर कितने दिनों तक रह सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—हेड कांस्टेबिल, श्रीमन्, दस वर्ष तक ।

## उन्नाव जिले में पुरवा परगने के नहरी कर्मचारियों के विरुद्ध श्री चन्द्र किशोर त्रिवेदी की चीफ इंजीनियर को शिकायत

*२४—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सिंचाई राज्य-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २६-११-५७ को परगना पुरवा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के नहर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध २६-११-५७ का कोई शिकायती पत्र चीफ इंजीनियर, शारदा कैनाल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र श्री चन्द्र किशोर त्रिवेदी का दिनांक २६-११-५७ का चीफ इंजीनियर महोदय को प्राप्त हुआ है ।

*२५—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति---प्रार्थना-पत्र में लिखे गये अभियोगों की मौके पर पूरी जांच की गई । यह जांच सम्बन्धित व्यक्तियों के समक्ष की गई परन्तु कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये अभियोग सिद्ध न हुये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इस शिकायती पत्र की जांच उन्हीं कर्मचारियों ने की जिनके विरुद्ध यह शिकायत की गयी थी ? यदि नहीं , तो उस शिकायत की जांच किसने की ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास यह तो इत्तला नहीं है कि किस कर्मचारी ने इसकी जांच की । लेकिन जांच हुई और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके सामने की गयी और उसमें अभियोग सिद्ध नहीं हुआ ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी अपने इस कथन को और स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि अभियोग सिद्ध न हुआ इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री राममूर्ति---टीकर रजबहा में पानी की कमी के सम्बन्ध में ग्राम अढ़ौली और मजगवां सेवक के ५० काश्तकारों ने एक दरख्वास्त दी कि पानी रजबहा में कम है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछली वर्षा में सितम्बर के महीने में पानी कम बरसा था तो मुहकमे ने उसका इंतजाम कर दिया था । एक चन्द्रकिशोर त्रिवेदी साहब थे, उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि एक कुलाबा वहां उनके लिए लगा दिया जाय। वह नहीं लगाया गया जिससे नाराज हो कर उन्होंने ओवरसियर के खिलाफ एक शिकायती चिट्ठी भेज दी, जिसकी जांच की गयी । जांच के बाद यह मालूम हुआ कि चूंकि चन्द्र-किशोर जी के कहने पर एक कुलाबा वहां नहीं लगाया गया बल्कि दो कुलाबे और जगह लगाये गये, इसलिए कुल नाराजगी की बुनियाद यह थी ।

## श्री रेवाधर चन्दोला, वकील के अपमान के विरोध में बार एसोसियेशन नैनीताल का प्रस्ताव

*२६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास बार एसोशियेशन, नैनीताल के किसी ऐसे प्रस्ताव की, जिसमें श्री रेवाधर चन्दोला, वकील को हथकड़ियां पहना कर हल्द्वानी बाजार में घुमाये जाने की निन्दा की गई है, प्रतिलिपि आई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां ।

*२७---श्री नारायणदत्त तिवारी---यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकार ने इस सम्बन्ध में एक उच्च श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण जांच करवायी जिससे प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिन उच्च मैजिस्ट्रेट साहब ने जांच की यह कौन साहब थे और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री कैलाशप्रकाश---ए० डी० एम०, नैनीताल ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---रिपोर्ट क्या दी ?

श्री कैलाशप्रकाश---रिपोर्ट का मैं उत्तर दे चुका हूं कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह नियमानुकूल थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव क्या था ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रस्ताव तो मेरे पास है। मैं सब पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष--उसको आप संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री कैलाशप्रकाश--बार एसोसिएशन ने यह लिखा है कि एक श्री आर० डी० चंदोला जी नैनीताल के प्लीडर हैं उनको हल्द्वानी में, हाथ में हथकड़ी डाल कर पैदल जेल ले जाया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मैजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने क्या कार्यवाही की थी जो नियमानुकूल हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस शिकायत की जांच ए० डी० एम० ने की। उनकी रिपोर्ट यह थी कि जो कार्यवाही की गयी वह नियमानुकूल थी क्योंकि जिन धाराओं में उनका चालान किया गया था उसमें हथकड़ी पहनाना नियमानुसार था। वह बाजार से ले जाये गये हथकड़ी पहना कर, घुमाने के इरादे से नहीं बल्कि इसलिए कि जेल जाने का वह रास्ता है उस रास्ते से उनको ले जाया गया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--वह गिरफ्तारी किस दफा में की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दफा १४७, ३३२, ३५२ और ४३५ भारतीय दंड विधान।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दफाओं का जिक्र उन्होंने किया है वह दफायें किस आधार पर लगाई गईं, क्या उनके खिलाफ कोई मामला था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उनके खिलाफ मामला यह था कि डिमरी फारेस्ट ब्लाक में उन्होंने कुछ लोगों का अनधिकार प्रवेश कराया था और उसमें कब्जा कराने की कोशिश की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस दफा में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी अपराधी को हथकड़ी अवश्य पहनाई जाय?

श्री अध्यक्ष--आप यह कानूनी बात पूछ रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हलद्वानी के थाने में, जहां उनको लाया गया वह बाजार के करीब है और जहां पर चन्दोला जी को गिरफ्तार किया गया वह बाजार में नहीं पड़ता, तो बाजार से ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जेल जाने का रास्ता बाजार से होकर ही था।

श्री श्रीकृणदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अपराध में पैदल ले जाना किस नियम के अनुकूल है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सवारी से ले जाने का नियम नहीं है। नियम तो यह है कि यदि कोई आदमी इन दफाओं में गिरफ्तार हो और वह सवारी से जाना चाहे तो उसको सवारी के लिये पैसा देना चाहिये। चन्दोला जी ने न तो इसके लिये इच्छा प्रकट की और न इस बात पर इसरार किया कि उनको सवारी से ले जाया जाय।

## डी० एस० पी० कम्पलेंट्स, जिला मैनपुरी के पास सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें

*२८—श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) हैं उन्होंने १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७

तक प्राप्त सरकारी नौकरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें जिलाधीश द्वारा सम्बन्धित विभागों के पास भेजी हैं और उनमें कितनी विभागों से वापस आई हैं और कितनी वहीं रोक ली गई हैं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**--उक्त अवधि में आई ४७ शिकायतें डी० एस० पी० (सी०) मैनपुरी ने जिलाधीश द्वारा सम्बन्धित विभागीय अध्यक्षों के पास जांच की आज्ञा प्राप्त करने हेतु भेजीं, जिनमें से ३४ वापस आईं और शेष १३ विभागीय अध्यक्षों द्वारा रोक ली गईं।

**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो १३ दरख्वास्तें रोकी गई हैं उसका क्या कारण है ?

**श्री कैलाशप्रकाश**--इसका पूरा ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन डी० एस० पी० (सी०) को जो जांच करने के लिये आदेश हैं वह यह कि यदि किसी विभाग की शिकायत उनके पास आवे तो वह उस विभाग के जो हेड हों, उनके पास उनको भेज दें और पुलिस के अतिरिक्त जो दूसरे विभाग हैं उनकी शिकायत की भी जांच एक्सटार्शन के सिलसिले में या ब्राइब के सिलसिले में, वह करते हैं।

**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो शिकायती दरख्वास्तें हैं वह जिलाधीश के पास न भेज कर कम्पलेन्ट अफसर ही उसकी जांच कर लिया करे ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--शिकायतों की जांच कम्पलेन्ट अफसर ही करते हैं। अगर दूसरे विभाग की शिकायत आती है तो उसका तरीका, जैसा कि अभी बताया यह है कि जिलाधीश के द्वारा वह विभागाध्यक्ष के पास भेज दी जाती है और जब विभाग कम्पलेन्ट अफसर को सुपुर्द करता है तब वह उसकी जांच करता है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें रोकी गई हैं उनमें कितनी कांस्टेबिलों के खिलाफ थीं, कितनी थानेदारों के खिलाफ थीं और कितनी अन्य विभागों की थीं ?

**श्री अध्यक्ष**--मूल प्रश्न को देखते हुए मैं इनका ब्यौरा पूछने की इजाजत नहीं देता हूं।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विभाग के अध्यक्षों को जो दरख्वास्तें भेजी जाती हैं तो विभाग फिर कम्पलेन्ट अफसर को भेज देते हैं या यह हो सकता है कि वह स्वयं जांच कर लेते हों ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--मेरे खयाल में जहां जांच वगैरह कराना चाहते हैं उन दरख्वास्तों को फिर वह डी० एम० के यहां भेज देते हैं कि इनकी जांच कम्पलेन्ट्स अफसर के द्वारा करा ली जाय।

*२९--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--[हटा दिया गया।]

## ग्राम सैदनपुर, जिला बाराबंकी में चोरियां

*३०--**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना सफदरगंज (बाराबंकी) में ग्राम सैदनपुर और रामपुर कटरा में १ दिसम्बर, १९५७ से २३ मार्च, १९५८ तक पृथक्-पृथक् कुल कितनी चोरियां हुईं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**--इस अवधि में ग्राम रामपुर कटरा जिला बाराबंकी में चोरी नहीं हुई और न कोई चोरी की सूचना ही संबंधित सफदरगंज थाने पर प्राप्त हुई। ग्राम सैदनपुर जिला बाराबंकी में इस अवधि में दो चोरियां हुईं।

*३१--**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल**--कितनी चोरियों का पता लगाने में पुलिस समर्थ रही और कितनी चोरियों का पता लगाने में असमर्थ रही ?

श्री कैलाशप्रकाश—उपरोक्त ग्राम सैदनपुर की दोनों चोरियों का पुलिस की तफतीश से पता नहीं चला और अन्तिम प्रतिवेदन द्वारा दोनों में तफतीश समाप्त कर दी गई।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्राम सैदन पुर उक्त चोरियां किन-किन तिथियों में हुईं?

श्री कैलाशप्रकाश—पहली चोरी १०-३-५८ को और दूसरी १३-१४ फरवरी की रात में हुई।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चोरियां नकब लगा कर हुईं अथवा अन्य किसी प्रकार से?

श्री कैलाशप्रकाश - -श्रीमन्, इसका ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस थाने सफदरगंज से कोई ऐसी दरख्वास्तें आयी हैं कि उनकी चोरी की रिपोर्ट थाने वाले नहीं लिखते?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सैदनपुर के बिशन पासी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिलाधीश को कि सैदनपुर में ६ चोरियां हुईं और थाने में नहीं लिखी गयीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

*३२-३३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) - -[२० अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ८१-८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## जौनपुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*३५—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक कितने राजनीतिक पीड़ितों ने पेन्शन पाने के लिए आवेदन-पत्र दिये? उनमें से कितनों को पेन्शनें मिलीं तथा कितने अभी बाकी हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जब से विशेषकार्याधिकारी रा० पे० के कार्यालय की स्थापना हुई तब से अब तक जौनपुर जिले के राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके आश्रितों के कुल ७६७ प्रार्थना-पत्र पेंशन इत्यादि दिये जाने के लिये प्राप्त हुए। उनमें से १२५ को मासिक पेंशन स्वीकार की गयी है और २५ प्रार्थना-पत्र अभी भी शेष हैं जिन पर विचार करना है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पेशनों के दिये जाने का आधार क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आधार तो मान्यवर, अनेक बार इस सदन में व्यक्त किया जा चुका है। कुछ उसके नियम हैं। उनमें जो लोग आते हैं उनको देते हैं।

*३६—कुंवर श्रीपालसिंह—[६ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

## सीतापुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*३७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५६ से ३१ मार्च, १९५८ तक सीतापुर जिले से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूछे गये समय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या देना सम्भव नहीं है क्योंकि प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को समयानुसार अलग नहीं रखा गया है। हां, मई सन् १९५५ से, जब से विशेष पदाधिकारी का कार्यालय खुला था, अब तक सीतापुर जिले से कुल ८९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं।

## वाराणसी जिलान्तर्गत वरद, महुआरी तथा महाइच परगनों में गांवों का ऊंचा किया जाना

*३८—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के परगना वरद, महुआरी तथा महाइच में बाढ़ से बचाव के लिये जो गांव ऊंचे किये जाने वाले थे, उनका काम समाप्त हो गया है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*३९—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन गांवों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जो ऊंचे किये जाने वाले थे?

श्री राममूर्ति—जिन ग्रामों को ऊंचा किया जाने वाला था उन ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं:—

| परगना | ग्राम |
|---|---|
| बरह .. .. .. | १—शेरपुर सरैया |
| | २—बड़गवां |
| | ३—मंलनापुर |
| | ४—नादी |
| महाइच .. .. | १—पसहटा |
| महुआरी .. .. | कोई नहीं। |

उपर्युक्त ग्राम ऊंचे किये जा चुके हैं।

*४०-४१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

## देहरादून जिले के पछुवादून क्षेत्र के एक भाग की सिंचाई के लिए मांग

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास देहरादून जिले के पछुवादून क्षेत्र के एक बड़े भाग को सींचे जाने हेतु मुहाल डूंगा नहर बनाये जाने हेतु कोई मांग आई है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री राममूर्ति—जी हां, देहरादून जिले के पछुवादून क्षेत्र में स्वर्ण नदी से डूंगा नहर बनाये जाने की मांग है। उक्त नहर के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वे व तखमीना तैयार कर लिये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस नहर के बनाये जाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसका बनाया जाना अभी सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में या तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखने पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसलिये यह मुमकिन नहीं है कि देहरादून जिले को ७,६०,००० रुपया अलाट किया गया है। इसमें से प्लानिंग कमेटी के जरिये से और बहुत सी योजनायें हैं कि जिनको प्रायरिटी मिल चुकी है और इस योजना में ७,६२,००० रुपये खर्च होने वाला है, इसलिये इसको शामिल करने की गुन्जायश नहीं है।

## जौनपुर जिले में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कान्स्टेबिल

*४३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कुल कितने पुलिस कांस्टेबिल हैं और उनमें परिगणित जाति और पिछड़ी जाति के कितने कांस्टेबिल हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जौनपुर जिले में कुल ४९० कान्सटेबुल हैं, जिनमें से ४ परिगणित जाति और ५९ पिछड़ी जाति के हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि पुलिस कांस्टेबिलों में एक भी प्रतिशत हरिजन नहीं हैं, आज्ञा देने की कृपा करेंगे कि सुरक्षित फीसदी के अनुसार उन्हें स्थान दिये जावें?

श्री कैलाशप्रकाश—समय-समय पर ऐसे आदेश दिये जाते हैं किन्तु योग्यता के अनुसार लोग न मिलने से दिक्कत होती है।

## थानों के चौकीदारों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*४४—श्री माताप्रसाद—क्या गृह मंत्री प्रदेश के थानों में कार्य करने वाले चौकीदारों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री माताप्रसाद—क्या सरकार ९५ रुपये से कम वाले कर्मचारियों के ५ रुपये वेतन बढ़ाने की सुविधा इन ५ रुपये मासिक वेतन पाने वाले चौकीदारों को भी देने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—चौकीदार अंशकालिक कर्मचारी हैं, इसलिये इनको वे तमाम सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

## जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में दफा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*४५—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ के आरम्भ से अब तक तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के कितने व्यक्ति दफा १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये? उनमें से कितनी को सजा मिली?

श्री कैलाशप्रकाश—कुल २८ व्यक्ति धारा १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। उनमें से ११ को सजा हो गई।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छूटे हुये आदमियों पर प्रचलित कार्यवाही करने के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था?

श्री कैलाशप्रकाश—न ऐसी कोई कार्यवाही की गई और न इसकी आवश्यकता समझी जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह—इन २८ आदमियों में कितने पुराने हिस्ट्रीशीटर थे और कितने नये आदमी थे?

श्री कैलाशप्रकाश—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—१०९ के मुकदमों में छूटे हुये आदमियों पर क्या पीछे निगरानी रखना आवश्यक होता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरी समझ में ऐसा आवश्यक तो शायद नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें पुलिस निगरानी करे।

लखनऊ में गुण्डा गार्ड पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां

*४६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने लखनऊ में महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व अन्य लोगों के साथ गुण्डागर्दी करने वालों को पकड़ने के लिये कुछ थानों में "गुन्डा गार्ड" नामक पुलिस दल नियुक्त किये हैं? यदि हां, तो उक्त दलों द्वारा अभी तक कितने गुन्डे पकड़े गये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ने के लिये प्रत्येक थाने में एक पुलिस दल रक्खा गया है। उक्त दलों द्वारा अभी तक १० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी के पास अन्य जिलों से भी इस तरह की गुंडागर्दी की शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो क्या वहां भी इस प्रकार की पुलिस मुकरर करने की वह कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिकायतों की बात तो इस समय मुझे याद नहीं है। लेकिन जहां कहीं इस तरह की शिकायतें आती होंगी, स्थानीय अधिकारी ऐसी कार्यवाही करते होंगे।

श्री झारखंडे राय—ये गुन्डे किन दफाओं में गिरफ्तार किये गये या किये जाते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना की आवश्यकता है लेकिन लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ करने की कोई दफा होगी जिसमें गिरफ्तार किये गये होंगे?

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—जो १० गुन्डे गिरफ्तार किये गये थे वे शहर लखनऊ के रहने वाले हैं या किसी अन्य जगह के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इतनी तफसील मैंने इस वक्त गुन्डों की जमा नहीं की है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी के पास दारुलशफा एरिया के पीछे भी कुछ गुन्डागर्दी होने की, उस बस्ती में, शिकायतें आई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी किसी खास जगह की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन लखनऊ में ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह गुन्डा गार्ड लखनऊ भर के लिये एक ही कायम किया गया है या अलग-अलग थानों के लिये अलग-अलग कायम किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गुन्डा गार्ड कोई हमारे पास नहीं है, न गुन्डा गारद है। गुन्डई को रोकने के लिये थानों में प्रबन्ध किया गया है।

श्री झारखंडे राय—जिन लोगों पर सड़क पर गुन्डई करने का शक है क्या उनके ऊपर डिटेन्शन ऐक्ट लागू करने का सरकार का विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या लखनऊ नगर में कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ लड़कियों ने लड़कों को छेड़ा है और कुछ ऐसी भी गिरफ्तारियां हुईं?

श्री अध्यक्ष—आपने तो सवाल का रूप ही उलटा कर दिया है। यह इससे नहीं पैदा होता है।

*४७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४९—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण १ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## गोंडा जिले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे

*५०—श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के अन्दर कितने ऐसे पुलिस सब इन्सपेक्टर हैं, जो तीन साल से अधिक एक ही थाने पर तैनात हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय गोंडा जिले में ऐसा कोई सब-इंस्पेक्टर नहीं है ।

*५१—श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में कुल कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस समय अदालत में मुकदमा चल रहा है और कितनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय गोंडा जिले में कुल ४ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं और ३ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है ।

## सिविलियन राइफिल ट्रेनिंग सेण्टर, इटावा

*५२—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में किसी राइफल क्लब की स्थापना हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, ४ वर्ष पूर्व एक राइफिल क्लब की स्थापना हुई थी जो इस साल से सिविलियन राइफिल ट्रेनिंग सेन्टर के नाम से विख्यात है ।

श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बतायेगी कि राइफिल क्लब कागज पर ही बना रह गया है या यह कार्यरूप में परिणत किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कागज पर क्लब बनता नहीं है, कार्यरूप में ही होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस राइफिल क्लब के द्वारा कितने आदमियों को गोली चलाने की शिक्षा दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१०३ को दी जा चुकी हैं और ४७ शिक्षा पा रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राइफिल क्लब के अन्तर्गत एक महीने में कितने बार ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो विस्तार का प्रश्न है । वैसे १०३ आदमियों को शिक्षा दी जा चुकी है और ४७ आदमी शिक्षा पा रहे हैं ।

## इटावा जिले की ग्राम रक्षा समितियां

*५३—श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के अन्तर्गत कितनी ग्राम रक्षा समितियां संगठित की गई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला इटावा में १,४८६ ग्राम रक्षा समितियां संगठित की गई हैं ।

श्री अभयराम यादव—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन रक्षा समितियों का थानेदार इत्यादि भी निरीक्षण करते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—थानेदार निरीक्षण तो करते ही हैं, वे उनमें काफी दिलचस्पी भी लेते हैं ताकि ऐसी समितियां संगठित हों । सुपरिन्टेंडेन्ट और कलेक्टर की ओर से ऐसे आयोजन भी किये जाते हैं जिनमें ग्राम रक्षा समितियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ग्राम रक्षा समितियां संगठित की गयी हैं, उनको अस्त्र संबंधी कोई सुविधा भी प्रदान की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उनको टार्च वगैरह खरीदने के लिये सहायता दी जाती है और उनमें से कुछ लोगों को जो काफी इत्मीनान के समझे जाते हैं, बन्दूक वगैरह के लाइसेंस भी दिये जाते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो यह ग्राम रक्षा समितियां संगठित हुई हैं उनमें से इत्मीनान के आदमी तलाश करने के लिये किसी की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ग्राम रक्षा समितियों ने किसी अपराधी को अभी तक पकड़ा भी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत सी ग्राम रक्षा समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई कामों में उन्होंने बड़ी बहादुरी भी दिखायी है । ग्राम रक्षा समितियों के कुछ आदमी कहीं-कहीं घायल भी हुए हैं और कहीं-कहीं मारे भी गये हैं । स्थायी रूप से जहां ग्राम रक्षा समितियां कायम हैं वहां उन्होंने पुलिस की मदद भी की है और उनसे डकैती वगैरह रोकने में बहुत बड़ी सहायता भी प्राप्त हुई है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ग्राम रक्षा समितियों को कोई शस्त्र शिक्षा भी दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी योजना भी विचाराधीन है और कहीं-कहीं उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है । इस बारे में व्यापक रूप से क्या प्रबंध किया जाय, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इटावा जिले में जिस प्रकार से समितियां स्थापित की गयी हैं उसी प्रकार सुनियोजित योजना के अनुसार दूसरे स्थानों पर भी ऐसी समितियां स्थापित की जायेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सरकार की मंशा यही है और यही आदेश भी दिया गया है और वैसे तो ८७,००० गांवों में इसका संगठन किया जा चुका है । अब कितने स्थानों पर ये पूर्ण रूप से सक्रिय हैं यह बतलाना मेरे लिये कठिन है, यद्यपि आदेश यह जारी किया गया है कि जहां कहीं भी हो वे सक्रिय किये जायं और उनमें अधिकारी जीवित दिलचस्पी भी लें, केवल कागज पर ही वह समिति न रह जाय ।

*५४–५६—श्री मोतीलाल अवस्थी—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—[४ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[हटा दिया गया ।]

## पक्की सड़कों से न मिले हुए पुरवा तहसील के पुलिस स्टेशन

*५९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील पुरवा जिला उन्नाव में कौन-कौन पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, जिन तक पक्की सड़कें नहीं पहुंचती हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—पुरवा तहसील जिला उन्नाव में दो थाने असोहा और बारासगवर ऐसे हैं जिन तक पक्की सड़कें नहीं पहुंचती हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय गृहमंत्री जी को यह जानकारी है कि इन थानों तक आवागमन के लिये पक्की सड़कें न होने के कारण वहां पर जरायम बढ़ते जा रहे हैं और उसकी रोकथाम में पुलिस असफल हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन थानों पर पक्की सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत थाने होंगे, एक दो नहीं और बहुत बड़े-बड़े क्षेत्र भी हैं जहां पर थाने तो हैं लेकिन पक्की सड़कें नहीं हैं । पर सद्यः उसके लिये कोई ऐसी योजना हो कि इतनी सड़कें बना दी जाय, यह तो संभव नहीं है ।

*६०—श्री मोतीलाल अवस्थी—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण १५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६१—६२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## बलिया जिले में नलकूपों के निकट कुंवों के सूख जाने की शिकायत

*६३—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री को विदित है कि जिला बलिया में जहां-जहां नलकूप लगे हैं उनके समीपवर्ती ग्रामों के पीने के कुंओं का जल सूख गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ग्रामों के पशुओं तथा मनुष्यों के पीने के लिये पानी का कोई उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सत्य है कि बलिया जिले में गत ग्रीष्म ऋतु में कुछ कुंएं सूख गये जिनका संबंध नलकूपों के लगने से नहीं है ।

ग्रामों में पीने के पानी के नलों का प्रबन्ध आहिस्ते आहिस्ते स्वायत्त विभाग की सहायता द्वारा हो रहा है ।

## गोरखपुर जुबली विद्यालय न टूटने की पुष्टि

*६४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार गोरखपुर जुबली विद्यालय तोड़ देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*६५-६७—श्री मदन पांडेय—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण १५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६८-७०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[हटा दिये गये ।]

## डी० एस० पी० कम्प्लेण्ट्स के पद

*७१--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह डी० एस० पी० (कम्पलेण्ट्स) के पद को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्थायी समिति ने इस प्रकार का कोई सुझाव सरकार को दिया है कि जो कम्प्लेण्ट आफिसर हैं वे एस० पी० के अधीन न रखे जाकर सीधे आई० जी० के अधीन रखे जायं ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--स्थायी समिति की रिपोर्ट इस समय तो मेरे सामने नहीं है और मुझे स्मरण भी नहीं है कि उसने क्या सुझाव दिये हैं । मुमकिन है कुछ बात हुई हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिला कप्तान के अधीन रह कर कम्पलेण्ट आफिसर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं इसलिये उनको सीधे आई० जी० के अधीन रखा जाय ताकि वे स्वतंत्रता से काम कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस समय जो व्यवस्था है, वह बड़ी सन्तोषजनक है । वे सीधे पुलिस कप्तान के मातहत भी नहीं हैं किन्तु पुलिस कप्तान के बाहर भी नहीं हैं । क्यों कि इस तरह से दोहरी अथारिटी तो नहीं चल सकती लेकिन जहां कहीं वे जांच करते हैं उसकी एक रिपोर्ट एस० पी० को देते हैं और एक रिपोर्ट सीधे डी० आई० जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं । इसलिये किस बात का डर नहीं है कि किस चीज की जांच हुई हो तो वह उनके पास ही पड़ा रह जाय और देखा न जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेण्ट्स के पद को स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी तो यह योजना प्रयोगात्मक ही है । अब यदि यह निश्चित हो जाये कि यह डिपार्टमेन्ट स्थायी किया जायेगा तो फिर उस पर विचार होगा ।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के पास फिर से कोई सुझाव आया है कि डी० वाई० एस० पी० कम्पलेण्ट्स को ए० डी० एम० की हैसियत के फिर से हाकिम परगना के मातहत ही कर दिया जाये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्यों विचार स्थगित कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे स्मरण नहीं है कि कोई ऐसा सुझाव आया हो । सम्भव है कि आदरणीय सदन में यह सुझाव दिया गया हो । सम्प्रति यह स्कीम चल रही है और सन्तोषजनक है ।

## विभिन्न विभागों द्वारा पत्र, पत्रिकाओं तथा कलेण्डरों का प्रकाशन

*७२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन Head of the Departments द्वारा कौन-कौन से पत्र व पत्रिकायें तथा कलेन्डर प्रकाशित हुये हैं ?

*७३--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में उक्त पत्र, पत्रिकाओं व कलेन्डरों की कितनी-कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई थीं तथा उन पर कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा जो पत्र, पत्रिकायें तथा कलेन्डर प्रकाशित किये जाते हैं, उनसे संबंधित वांछित सूचना का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९६-९८ पर ।)

## जालौन जिले में कनपुरा के निकट पुल से बैलगाड़ी का रास्ता बन्द होने की शिकायत

*७४--श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)--क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन, मौजा बिजदवा, परगना जालौन में माईनर गढ़िया पर स्थान कनपुरा के पास बने हुये पुल से बैलगाड़ी का रास्ता एक वर्ष से बन्द है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

श्री गरीबदास चौधरी--क्या माननीय मंत्री मेरी बात को सूचना मान कर पुनः जांच करायेंगे कि वहां पर रास्ता बिलकुल बन्द कर दिया गया है और सब सड़क को जोत कर खेत बना लिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति--यह जो पुल बनाया है यह आम रास्ते पर नहीं है । गांव के लोगों द्वारा दरख्वास्त देने पर यह पुल बनाया गया जिससे दूसरे गांव के लिये रास्ता खुल सके और जब कोई उस पार जाना चाहता है तो उस पुल को इस्तेमाल करता है । कुछ ३-४ खेत रास्ते में ऐसे पड़ते हैं जिनको आम रास्ते से मिलाने में दिक्कत होती थी । एक्जिक्यूटिव इंजीनियर ने लोगों को बुलाकर समझाया और वे राजी हो गये । उसके बावजूद भी एक डेढ़ फर्लांग की जमीन जो बीच में आती है उसको ऐक्वायर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

## दोहरी घाट तथा टांडा पम्प नहरों के निर्माण पर अनुमानित व्यय

*७५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा पम्प कैनाल से सिंचाई के लिये पानी कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति--यह आशा की जाती है कि दिसम्बर, १९५८ से दो पम्पिंग सेटों द्वारा टांडा पम्प नहर में १२० क्यूसक जल का संचालन होगा ।

*७६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट तथा टांडा पम्प नहरों में अलग-अलग अभी कितना-कितना रुपया व्यय हुआ तथा टांडा पम्प नहर कब पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--दोहरी घाट पम्प नहर के पूर्ण होने में कुल १७५ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है । तथा टांडा पम्प नहर में ८० लाख रुपये की आशा की जाती है । टांडा पम्प नहर ३१ मार्च, १९६१ तक पूर्ण हो जायेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा पम्प नहर में कुल कितने पम्पिंग सेट्स लगेंगे ?

श्री राममूर्ति--२ सेट्स ६०-६० क्यूजेक्स के लग गये हैं और बाकी ४ सेट्स ६०-६० क्यूजेक्स के और आयेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने पम्पिंग सेट्स से टांडा नहर संचालित होगी और कब से होगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी बतलाया कि १९६१ में इसका काम चालू होगा। पम्पस ऑरेन एक्सचेंज की दिक्कत से नहीं आ रहे हैं। दो पम्पस तो आ गये हैं, लेकिन उनकी ऐक्सेसरीज नहीं आ पायी हैं। इसलिये काम को बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी सामान इकट्ठा करके उस नहर को चला दिया जाय।

## सरकारी तथा असरकारी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन में समानता पर विचार

*७७—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन में समानता लाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है? अगर हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह विषय अभी विचाराधीन है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७८—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के समान चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा दे रही है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी नहीं। गैर-सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले अध्यापकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा देने हेतु योजना अब चिकित्सा विभाग के विचाराधीन है।

## डी० एस० पी० कम्प्लेण्ट्स, जिला पीलीभीत के पास पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*७९—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला पीलीभीत में डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस (कम्प्लेण्ट्स) को १५ जून, १९५७ से १५ जून, सन् १९५८ तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? इन में कितनी पुलिस डिपार्टमेंट और कितनी दूसरे डिपार्टमेंट्स के खिलाफ हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त अवधि में डी० एस० पी० (सी) पीलीभीत को ५६ शिकायतें प्राप्त हुईं जिन में से ४७ पुलिस विभाग और ९ अन्य विभागों के विरुद्ध थीं।

*८०—श्री प्रतापसिंह—प्राप्त हुई शिकायतों में कितनी शिकायतें सही पायी गईं और उक्त अधिकारी ने कितने लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाहियां कीं?

श्री कैलाशप्रकाश—प्राप्त हुई शिकायतों में १७ सही पाई गईं और इनके सम्बन्ध में चार कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे कायम किये गये, सात कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और २४ कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप दंडित किये गये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ४७ शिकायतों में से कितनी कांस्टेबिलों, कितनी दरोगा और कितनी उच्च अधिकारियों के खिलाफ थीं?

श्री कैलाशप्रकाश—पुलिस विभाग के विरुद्ध १३ शिकायतें सिद्ध हुईं और १४ शिकायतें असिद्ध रहीं।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैंने पूछा था जो ४७ शिकायतें हैं उनमें कितने कांस्टेबिल, कितने दरोगा और कितने उच्च अधिकारी हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके पूरे ब्योरे के लिए तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन २४ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हुई वह क्या हुई?

श्री अध्यक्ष—यह प्रत्येक के खिलाफ जो कार्यवाही हुई उस सम्बन्ध में ब्यौरा देने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन किस प्रकार की कार्यवाही यां हुई वह आप बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें कुछ मुअत्तल हैं, कुछ के विरुद्ध उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री की गई और किसी का ईमानदारी का इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट रोका गया और कुछ को आर्डरली रूम की सजायें दी गईं।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह-मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २४ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई उन में से पुलिस के कितने थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस विभाग की, जो ५६ शिकायतें प्राप्त हुई थीं उसमें तो पहले ही उत्तर में दिया है कि पुलिस विभाग की ४७ शिकायतें थीं और ९ अन्य विभागों की।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—इन २४ में जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो चुकी हैं उनमें पुलिस कर्मचारी कितने हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें नहर विभाग की हैं, प्लानिंग की हैं, कृषि विभाग की हैं, जंगलात की हैं और पुलिस विभाग की तो १३ शिकायतें सिद्ध हैं।

*८१—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—[हटा दिया गया।]

## लखनऊ जिले के मोहनलालगंज थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की घटनायें

*८२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में इस साल अब तक कत्ल, डकैती, राहजनी व चोरी की कितनी वारदातें हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—वांछित सूचना निम्नांकित है :

| | |
|---|---|
| कत्ल .. .. .. .. | ४ |
| डकैती .. .. .. .. | १ |
| राहजनी .. .. .. .. | ५ |
| चोरियां .. .. .. .. | १२ |

उक्त घटनाओं में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९९ पर)

श्री प्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी ने तालिका में लापता होने पर अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई बताया है, तो क्या अन्तिम रिपोर्ट लगाने से पहले फरारों को पकड़ने के लिए कोई इनाम घोषित किया गया था?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, किसी खास मुकदमे के विषय में माननीय सदस्य पूछना चाहें तो उसकी सूचना प्राप्त करके उन्हें दी जा सकती है।

## दोहरीघाट पम्प नहर के हेड पर मशीनें लगाने का आयोजन

*८३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरी घाट पम्प नहर के हेड पर जो मशीनें लगने वाली थीं उनमें अब कितनी देर है और क्यों?

---

नोट—तारांकित प्रश्न ८२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—बोहरीघाट पर आई हुई मशीनों के लगाने का कार्य सितम्बर से प्रारम्भ किया जायेगा जब नदी के पानी का स्तर नीचा हो जावेगा ।

*८४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बोहरी घाट पम्प नहर के चालू होने में क्या दिक्कतें हैं ?

श्री राममूर्ति—पम्प, मोटर व बिजली का कुछ सामान अभी विदेश से आना शेष है। इन वस्तुओं के आने पर नहर चालू हो सकेगी।

*८५-८६—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)— [८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## फर्रुखाबाद जिले के परगना व अर्जुनपुर ग्रामों से नलकूप के लिए कथित मांग

*८८—श्री रामशरण यादव—क्या फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के ग्राम परगना व अर्जुनपुर के निवासियों की ट्यूबवेल बनाने की मांग आयी है ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*८९—श्री सूरतचन्द रमोला—[हटा दिया गया।]

## इटावा जिले में अनुदान न पाने वाले मान्यता प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल

*९०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कितने ऐसे मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिन्हें अब तक सरकार की ओर से अनुदान ( Grant ) प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इटावा जिले में मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या जिन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता, केवल ५ हैं ।

## पूर्वी नहर जमुना में पानी की कमी के कारण खरीफ के लगान में छूट देने का विचार

*९१—श्री रामचन्द्र बिकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पश्चिमी जिलों में फसल खरीफ के खराब होने तथा नहरों द्वारा समय पर पानी न दिये जाने के कारण सिंचाई में छूट दिये जान पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, विभागीय रिपोर्ट है कि खरीफ फसल, पूर्वी नहर जमुना पर पानी की कमी के कारण खराब हुई। इसलिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि किस अनुपात में उस क्षत्र के किसानों को छूट दी जाय। साधारणतः यह भी विभागीय नियम है कि यदि किसी खेत या खेतों की फसल खराब हो जाय तो अधिशासी अभियन्ता छूट दिया करते हैं।

*९२-९३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[हटा दिये गये।]

## कानपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल व इन्टरमीडियेट कालेजों को अनुदान

*९४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर के समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों को १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में वार्षिक राजकीय अनुदान प्रत्येक को अलग-अलग क्या मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--†तालिका संलग्न है।

## गोरखपुर जिले में ऐउड़ ताल संबंधित कथित नहर

*९५--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में ऐउड़ ताल से निकलने वाली नहर का काम कब शुरू हुआ और अब तक उस पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ? इस नहर के बन जाने की कब तक आशा है ?

श्री राममूर्ति--गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में ऐउड़ ताल से कोई नहर नहीं निकाली गई।

*९६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नहर में कुल कितनी जमीनें किसानों की ली गई हैं और उनका मुआविजा दिया गया है कि नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न ही नहीं उठता।

## बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में पेय जल कष्ट निवारणार्थ कथित परामर्श दात्री समिति

*९७--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले की बबेरू तहसील के पाठ क्षेत्र में पीने के जल कष्ट को दूर करने के हेतु इस वर्ष गर्मी के दिनों में प्रदेशीय सरकार ने तीन इंजीनियरों को सलाहकार नियुक्त किया था ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

*९८--श्री जगपतिसिंह--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इन इंजीनियरों ने क्या रिपोर्ट दी है और इस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न नहीं उठता।

*९९--श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--[७ अगस्त, १९५८ को अल्प सूचित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

## कानपुर जिले के महाराजपुर थाना के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*१००--श्री मुरलीधर बरैल (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के महाराजपुर थाने के अन्तर्गत जनवरी, १९५७ से जून, १९५८ ई० तक हत्या, डकैती, चोरी तथा मारपीट की कितनी घटनायें हुई हैं और किन-किन गांवों में हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हत्या की ४, डकैती की १, चोरी की ३९ तथा मारपीट की १७ घटनायें हुईं। गांवों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०० पर।)

† छपी नहीं गई।

*१०१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[८ सितम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया ।]

## इलाहाबाद जिले में शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर

*१०२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में कितने इन्स्पेक्टर तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल्स ऐसे हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा कोई नहीं है ।

*१०३-१०४--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[ अस्वीकार किये गये ।]

## गोरखपुर जिले में बाढ़-नियंत्रण का कार्य न हो सकना

*१०५--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में स्थायी या अस्थायी बाढ़-नियंत्रण के क्या उपाय इस वर्ष किये गये हैं और क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

श्री राममूर्ति--गोरखपुर जिले में इस वर्ष स्थाई या अस्थाई बाढ़ नियंत्रण के कोई उपाय धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हैं ।

*१०६--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि क्या मलौरी बांध के पास नदुआ गांव को राप्ती नदी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी काट रही है ? यदि हां, तो इसके बचाव का कोई उपाय गत वर्ष की बरसात समाप्त होने के बाद ही क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति--गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राप्ती नदी ने नदुवा ग्राम को रिंग बांध की तरफ काटना शुरू किया है ।

इसके बचाव की योजना की लागत अधिक है और धनाभाव के कारण योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती ।

## कानपुर व फर्रुखाबाद जिलों की नलकूप योजना में कमी

*१०७--श्री रामशरण यादव--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर व फर्रुखाबाद जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने-कितने ट्यूब-वेल और बनने बाकी हैं ? ये ट्यूबवेल कब तक और कहां-कहां बनेंगे ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले के लिये कोई नलकूप निर्धारित नहीं किया गया, केवल फर्रुखाबाद जिले के लिये पाँच नलकूप निर्धारित किये गये थे जो कि बन चुके हैं । धन की कमी के कारण फर्रुखाबाद और कानपुर जिलों में और नलकूप बनने की आशा नहीं है ।

## बस्ती जिले में नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुने गये हरिजन अभ्यर्थी

*१०८--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला बस्ती में नार्मल ट्रेनिंग में कुल कितने उम्मीदवार चुने गये और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस वर्ष जिला बस्ती से कुल ३१ अभ्यर्थी चुने गये, उन में से ६ अभ्यर्थी हरिजन हैं ।

## कठौड़ा ताल, जिला बलिया से जल-निकास व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*१०९—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कठौड़ा ताल (बलिया) से वर्षा काल में पानी का समुचित निकास न होने से किसानों की हजारों एकड़ फसल डूब कर नष्ट हो जाती है तथा अनेकों गांव ताल के पानी से घिर जाते हैं? यदि हां, तो सरकार जल-निकास का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री राममूर्ति—कठौड़ा ताल के पानी के निकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्षाकाल में जब घघरा का पानी गांव वालों द्वारा बनाये हुये रिंग बांध के भीतर आ जाता है तो जरूर कुछ क्षति हो जाती है।

*११०—श्री जगन्नाथ चौधरी—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१११-११२—श्रीमती राजेन्द्र बेरी—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये]

*११३-११५—श्री नन्दकुमारदेव वार्ष्णेय [मान्य सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ८ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १७-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

*११६—श्री नारायणदत्त तिवारी—[मान्य सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण १ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## देवरिया जिले में बनने वाली गंडक नहर

*११७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बनाई जाने वाली गंडक नहर कितने मील लम्बी और कितने फुट चौड़ी होगी और इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी?

श्री राममूर्ति—बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गए प्रोजेक्ट के अनुसार पश्चिमी मुख्य नहर की लम्बाई ८५·६ मील है जो इस प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिलों से गुजरती है। इसमें ५८·७ मील सारन नहर भी सम्मिलित है। मुख्य पश्चिमी नहर की चौड़ाई तथा सारन नहर की चौड़ाई क्रमशः १३५ फुट और ९४ फुट है। योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए घेरा हुआ कृषि योग्य क्षेत्रफल दोनों जिलों में १० लाख एकड़ है।

*११८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गंडक (नारायणी) नहर, देवरिया जिले में बनाने का काम कब से आरंभ होगा और उस पर अनुमानित व्यय की रकम क्या होगी?

श्री राममूर्ति—गंडक (नारायणी) नहर पर काम आरंभ करने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। योजना का मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनुमानित १५ करोड़ होगा।

## देवरिया जिले में नलकूपों से सिंचाई

*११९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सिंचाई राज्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जिले में चालू ट्यूब-वेलों से अधिक से अधिक और कम से कम कितने एकड़ की सिंचाई गत तीन वर्षों में हुई है और क्या भविष्य में नया ट्यूब-वेल लगाने की योजना सरकार बन्द करने जा रही है?

श्री राममूर्ति--जिला देवरिया में चालू ट्यूब-वेलों से गत तीन वर्षों में अधिक से अधिक सिंचाई ३३,८४६ एकड़ सन् १९५७-५८ में हुई है और कम से कम २०,१६९ एकड़ सिंचाई सन् १९५६-५७ में हुई है । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ३२ नलकूप इस जिले में जो १,५०० नलकूप योजना के हैं, बनाये जा रहे हैं ।

## श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल के हत्यारे अभयराजसिंह का फर्जी मामले में चालान करने के कारण श्री लखपतसिंह, इंचार्ज, थाना खैरीघाट का निलम्बन

*१२०--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल, एम० एल० ए० के हत्यारे अभयराजसिंह को बहराइच जिले के किसी तत्कालीन थाना इंचार्ज ने धारा १०९ दण्ड विधि संहिता के अन्तर्गत जेल भेजवा दिया था ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या इन्क्वायरी हुई और क्या तथ्य पाये गये ?

*१२१--पाये गये तथ्यों के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । अभयराजसिंह को थाना खैरीघाट के स्टेशन आफिसर श्री लखपतसिंह ने धारा १०९ सी० आर० पी० सी० के एक फर्जी मामले में फर्जी नाम से चालान कर जेल भिजवा दिया था । पता चलने पर उपरोक्त धारा १०९ की कार्यवाही समाप्त कर दी गई । तत्पश्चात् श्री लखपत सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई और उन्हें मुअत्तल किया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान में श्री लखपत सिंह ने पैरा १०६ मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के अंतर्गत नौकरी से रिटायर होने की प्रार्थना की क्योंकि उनकी नौकरी के २५ वर्ष पूरे हो चुके थे । यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई क्योंकि हाईकोर्ट के एक निर्णय के अनुसार सरकारी नौकर को यह अधिकार है कि २५ वर्ष नौकरी करने के बाद वह जिस दिन से चाहे रिटायर हो सकता है । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि श्री लखपतसिंह के रिटायर होन के बाद भी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

## रुद्रपुर की थाना हवालात में अधिक अभियुक्तों को रखने की शिकायत

*१२२--श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि तारीख ८ मार्च, १९५८ को रुद्रपुर पुलिस थाने की हवालात के दो कमरों में से एक में ४४ व्यक्ति व दूसरे में १९ व्यक्ति बन्दी बना कर रखे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । वास्तव में उस दिन कुल ६२ अभियुक्त थाने पर थे जो कि मर्दाना हवालात, जनाना हवालात, सर्किल आफिसर, सर्किल इन्सपेक्टर, थाना अध्यक्ष के कार्यालय, कमरों व अन्य कमरों में रखे गये थे । इस प्रकार यह ६२ अभियुक्त ७ कमरों में थे ।

*१२३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त हवालात के दोनों कमरों की अलग-अलग लम्बाई-चौड़ाई क्या है और उनमें कितने हवालाती रखे जा सकने की व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रुद्रपुर थाने के मर्दाना हवालात व जनाना हवालात की लम्बाई-चौड़ाई क्रमशः १६ फीट × १२ फीट व १२ फीट × १० फीट है । साधारणतया मर्दाने हवालात में छः व्यक्तियों की व जनाना हवालात में चार व्यक्तियों के रखने की व्यवस्था है ।

## कृषक हायर सेकेण्डरी स्कूल महोली, जिला सीतापुर का भवन निर्माण

*१२४—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषक हायर सेकेण्डरी स्कूल, महोली, जिला सीतापुर के निर्माण के लिये ८,५०० रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जमा हैं। यदि हां, तो अब तक उस भवन का निर्माण न होने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कृषक हायर सेकेण्डरी स्कूल, महोली, सीतापुर के भवन के निर्माण के लिये प्रबंधक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर के पास ७७,२८२ रुपया जमा किया है। स्कूल की प्रबन्ध समिति ने ६ मार्च, १९५७ को ऐसा निश्चय किया कि भवन निर्माण का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से विच्छेद कर रुपया वापस ले लिया जावे। इससे कार्य बन्द हो गया था पुनः समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह काम सौंपा है। अब भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया है और यह भवन मार्च, १९५९ तक बन जाने की आशा है।

## सीतापुर जिले में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट के परीक्षार्थियों से विलम्ब शुल्क लेना

*१२५—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार यह जानती है कि सीतापुर के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों-को ५ रुपये प्रति प्रार्थना पत्र विलम्ब से दाखिल करने की फीस देनी पड़ी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के कार्यालय में कुछ असावधानी के कारण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि गलत घोषित हो गई जिस कारण चार परीक्षार्थियों को विलम्ब शुल्क देना पड़ा। विद्यार्थियों को होने वाली क्षति की पूर्ति करा दी गई।

## पीलीभीत जिले में अमरिया थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध तथा कथित गुण्डागर्दी

*१२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि २९ सितम्बर, १९५६ को ग्राम अमरिया, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में कुछ गुंडों ने सरकारी लगान वसूली के समय नायब तहसीलदार को मारा-पीटा और झगड़ा किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार ने २९ सितम्बर, १९५८ को थाना अमरिया में ६ व्यक्तियों के विरुद्ध लिखाई। अभियुक्तों का चालान हुआ और उन पर धारा ३५३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया मगर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई हमला नहीं किया गया था केवल हमला करने की तैयारी की गई थी। न्यायालय ने अभियुक्तों को मुक्त कर दिया।

*१२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को पता है कि ग्राम व थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में गुंडागर्दी बहुत फैल गयी है, जिससे इलाके की जनता बड़ी दुखी और परेशान है और गुंडों की हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं कि वह थाने के हेड कांस्टेबिल को मारपीट चुके हैं और कई सरकारी कर्मचारियों पर हमलावर हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला पीलीभीत के थाना अमरिया में गुंडागर्दी के कारण इलाके की जनता के दुखी होने का कथन निराधार है। उक्त थाने का हेड कांस्टेबुल किसी गुंडा द्वारा नहीं पीटा गया और न कोई दुर्घटना ही किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ गत तीन वर्षों में हुई है।

*१२८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में जनवरी, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक कितनी चोरियां, नकबजनी, डकैती और कत्ल की वारदातें हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में २५ चोरियां, १३ नकबजनी, २ डकैती तथा २ कत्ल की वारदातें हुई ।

## अतारांकित प्रश्न

### बदायूं जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

१--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में १ अप्रैल सन् १९५८ से ३० जून, सन् १९५८ तक कितने कत्ल, डकैतियां व राहजनी की घटनायें हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में जिला बदायूं में २१ कत्ल, ६ डकैती और १२ राहजनी की घटनाएं हुईं ।

### बाराबंकी सदर जेल के फाटक पर श्री गनेशी अहीर के पीटे जाने की शिकायत

२--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी सदर जेल के फाटक पर शिनाख्त न कर सकने के सम्बन्ध में गड़रियन के पुरवा के एक अहीर को तारीख १८ जून, सन् १९५८ को फतेहपुर के इन्चार्ज ने बुरी तरह पीटा था जिसके फलस्वरूप एस० पी० को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिनांक १८ जून, सन् १९५८ को गड़रियन पुरवा के श्री गनेशी अहीर, जो डकैती के अभियुक्तों की शिनाख्त करने गये थे ने थानाध्यक्ष फतेहपुर के विरुद्ध मारपीट की शिकायत की । शिकायत की जांच हो रही है ।

### बाराबंकी जिले में जाफरपुर निवासी सर्वश्री रामअौतार व लछमन को घायल करना

३--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी, थाना कोठी के अन्तर्गत जून, सन् १९५८ ई० में ग्राम आदमपुर और ग्राम जाफरपुर में डकैती पड़ी थी जिसमें कत्ल भी हो गया और कुछ लोगों को चोटें भी आईं ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । उक्त ग्रामों में जून, १९५८ में कोई डकैती नहीं पड़ी जिसमें कोई मारा गया अथवा किसी को चोटें आईं । ग्राम जाफरपुर में उक्त माह में एक घटना हुई । जिसमें २६/२७ जून की रात्रि में लगभग २ बजे सर्वश्री राम अौतार व लछमन जो अपने दरवाजे पर सो रहे थे ३/४ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घायल किये गये । इसकी सूचना श्री ईश्वरदीन द्वारा थाने पर सुबह ६-४५ मिनट पर हुई और चिक गैरदस्तन्दाजी नं० ९४ पर मुकदमा कायम हुआ । उसी दिन लछमन जो रामअौतार के साथ अस्पताल ले जाया जा रहा था मर गया । इस कारण मुकदमा धारा ३०४ भा० दं० वि० में परिवर्तित कर दिया गया ।

४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

## हाथरस, जिला अलीगढ़ में गल्ले की लूट के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं । उसमें से मैं पहले यह पढ़ता हूं :—

"हाथरस, जिला अलीगढ़ में बाढ़ और महंगाई के कारण तथा सरकार की दुर्लक्ष और उदासीन नीति के कारण जनता अत्यधिक परेशान है। इसके परिणामस्वरूप गत दो दिनों से अनाज की लूट प्रारम्भ हो गई । जनता में क्षोभ व्याप्त है और प्रान्त की शान्ति व सुरक्षा भंग होकर अराजकता अपना विकराल रूप धारण कर रही है ।

अतएव सदन का मत है कि इस निश्चित तथा महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने दिया है और उनके पास एक तार भी इस किस्म का हाथरस से आया है । उसके आधार पर उन्होंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। जो संबिंधित मंत्री हैं उन्हें कोई वैधानिक आपत्ति इसमें है या नहीं ? उन्हें कोई सूचना भी है ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, मेरे पास जो सूचना आयी है वह पढ़े देता हूं । सूचना यह है कि २३ अगस्त को हाथरस के आसपास गल्ले की दूकानों को लूटने की ७ घटनायें हुईं । उस सम्बन्ध में ९२ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और २५ मन लूटा हुआ गल्ला भी बरामद किया गया है । अब वहां पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है । सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस और जिलाधीश भी वहां हो आये और अब इस समय वहां शान्ति है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--मान्यवर, मैं एक निवेदन करता चाहता था.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें ।

जहां तक वाकये का सवाल है वह तो निश्चित है और महत्वपूर्ण भी है । क्या इस विषय में बहस के बारे में मंत्री जी को आपत्ति है, इन आर्डर रूल करने के बारे में आपको आपत्ति है ?

(गृह मंत्री के न उठने पर)

तो मैं इसको वैध करार देता हूं और माननीय सदस्य से यह कहता हूं कि वह सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना करें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैंने प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनों दिन प्रान्त की स्थिति सब तरफ बिगड़ती जा रही है । लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित होते जा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष--आप सिर्फ अनुमति मांगें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं श्रीमन्, वही कह रहा हूं । अगर इस प्रकार की अराजकता प्रान्त में बढ़ी और सरकार ने चेक नहीं किया और उस पर हम लोगों ने भी विचार नहीं किया तो परिस्थिति भयावह हो सकती है । इसलिये हम लोग इस पर विचार करें, इस दृष्टि से मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इसको आज्ञा दे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं इस सम्बन्ध में अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आयी है और शायद यह विषय भी ऐसा है कि जब तक इसकी पूरी रिपोर्ट न आ जाय तब तक इस पर सदन में अधिक विचार करना कदाचित् सहायक भी न हो।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस में आपत्ति तो माननीय गृह-मंत्री जी को नहीं है। सिर्फ आज के बहस के बारे में सवाल उपस्थित हो सकता है। क्योंकि किसी को आपत्ति नहीं है तो सदन की स्वीकृत तो है ही। अब इस विषय पर आज बहस हो या कल हो, यही बात रह जाती है। माननीय मंत्री जी कल तक इसकी जानकारी हासिल कर लें और आज के बजाय इसके ऊपर कल ४ बजे से ६ बजे तक बहस होगी। और जितने अन्य कामरोको प्रस्ताव आज मेरे पास भेजे गये थे उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है और वह खत्म हो गये। मतलब यह है कि वे अब सदन के सामने नहीं आयेंगे, और नियम के हिसाब से भी एक ही प्रस्ताव एक रोज में लिया जा सकता है।

मैं समझता हूं सर्वसम्मति से कल के लिये कामरोको प्रस्ताव पर बहस करना स्वीकृत हुआ। वैसे नियम यह है कि उसी रोज होना चाहिये। लेकिन चूंकि जानकारी उक्त घटना के बारे में काफी नहीं है, यह दिक्कत है तो कल के लिये बहस स्थगित की गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने अभी निवेदन किया कि मैंने सब कामरोको प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये हैं। तो एक व्यवस्था आपने पहले यह रखी थी कि अगर आज कोई कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो बाकी दूसरे दिन लेते थे....

श्री अध्यक्ष--ठीक है। लेकिन नियमानुसार मैं अपने कमरे में उन्हें अस्वीकृत कर सकता हूं। इस अस्वीकृति की मैंने सूचना दे दी क्योंकि वे ऐसे विषयों के थे जिन्हें मैं समझता हूं कि पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैंने सदन को सूचना दे दी कि वे पढ़े नहीं जावेंगे।

## लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--मैं अब एक सूचना देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निम्न सदस्य विधिवत् निर्वाचित हुये :--

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्रीमती विन्दुमती दास, श्री ब्रजभूषण शरण, श्री रामसूरत प्रसाद तथा श्री त्रिलोकी सिंह।

और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री मलिखान सिंह, श्री नवलकिशोर, श्री महावीर प्रसाद शुक्ल तथा श्री कनुद्दीन खां, विधिवत् निर्वाचित हुए।

## प्राक्कलन समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति की सूचना

श्री अध्यक्ष--प्राक्कलन समिति में जो एक रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति में श्री सूरत चन्द रमोला विधिवत् निर्वाचित हुये।

## हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष--हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये श्री एस० जी० दत्ता विधिवत् निर्वाचित हुये।

## यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम०-बी० आर०-ए० एम० ८-३८९०-४ (टी) एम-३०-१३६९ (टी) ५३, दिनांक १४ मार्च, १९५८ ई० तथा संख्या एम० बी० आर० ए० एम० (१४) ३९५३-४ (टी) एम० -३० -४८५९ (टी) --५७, दिनांक १४ मई, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। धारा १३३ की उपधारा (३) जो ऐक्ट की है उसके अनुसार जो यह विज्ञप्तियां मेज पर रखी जा रही हैं वे नियमानुसार नहीं हैं। मेरी आपत्ति है कि इनको बहुत पहले ही सदन की मेज पर आ जाना चाहिये था.....

श्री अध्यक्ष--आप की आपत्ति क्या है?

श्री भगवतीसिंह विशारद--जिस नियम के अनुसार वह यह रख रहे हैं मैं उसे पढ़ दूं वह इस प्रकार है कि :--

"All rules made under this Act by the Central Government or by the Provincial Government shall be laid for not less than 14 days before the Central or Provincial Legislature, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

यह नियम जो १४ मार्च, १९५८ के हैं वह पहले के हैं और उसके बाद के भी हैं, मैं पहले वाले ही के बारे में पहले कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष--यह आपत्ति दूसरे प्रकार की है, यह वैधानिक आपत्ति नहीं है। यह बात ठीक है कि नियम जल्द सामने आने चाहिये थे, वह नहीं आये, लेकिन यह बात नहीं है कि वह देर से भी न आयें। अगर नियम जल्द सदन के सामने नहीं लाए गए तो भी किसी न किसी वक्त तो वह आने ही चाहिये, इसके लिये कोई ऐसी विधि नहीं है कि वे बाद में नहीं आ सकते। माननीय सदस्य का कहना यह है कि वह शीघ्र ही रखने चाहिये थे। अगर कोई अड़चन जल्दी लाने में रही हो तो मंत्री जी अपना जस्टीफिकेशन, यदि कोई हो तो बता दें।

डाक्टर सीताराम--भविष्य में यदि ऐसी बात हुई तो १४ दिन के अन्दर, अमेंड होने के बाद, वह रख दिये जायंगे।

श्री अध्यक्ष--सिद्धान्त तो यह है कि जितने शीघ्र हो सकें नियम सदन के सामने लाना चाहिये, १४ रोज के लिए तो वे सदन में रखे जायंगे।

---

* छापे नहीं गये।

## गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

**कृषि मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)**--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर नियुक्त, संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन जो विधान सभा के कार्यालय में २२-८-५८ को प्राप्त हो गया था, सदन को मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थो 'ञ' आगे पृष्ठ १०१—१०५ पर।)

## †आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)††

**श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं इस विधेयक पर राय जाहिर करना चाहता हूं तो मैं यह स्पष्टतौर से अपने सामने यह नकशा रखता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज अपने प्रदेश में हैं उनके बारे में एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे जो यूनिवर्सिटी ऐक्टों में संशोधन आ रहे हैं उनको देख कर मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि जब से हमारे माननीय मंत्री जी ने इस प्रदेश की शिक्षा का भार संभाला है तब से उनकी अन्दरूनी इच्छा है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन को मजबूत किया जाय और किस तरह से वहां पर जनतांत्रिक प्रणालियों को व्यापक तौर पर लागू किया जाय। यदि आप इस दृष्टि से इस विधेयक को देखेंगे तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में सब से बड़ी बात यह है, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को लाकर सब से पहला प्रयास जो किया है वह यह है कि अपने प्रदेश की सब यूनिवर्सिटीज में डिस्पैरिटी को कैसे दूर किया जाय और उन्होंने जैसा कि लखनऊ में, गोरखपुर में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में संशोधन किये थे उन्हीं के आधार पर इस ऐक्ट के अन्दर संशोधन माननीय सदस्यों को दिखलाई पड़ते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि वह एक तरह से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो यह डिस्पैरिटी जगह-जगह पर एजूकेशन के क्षेत्र में है वह जल्दी से जल्दी दूर हों और शिक्षा की प्रगति में उन डिस्पैरिटीज के रहते हुए किसी क्षेत्र में कोई बाधा न आने पाये।

इसी ऐक्ट पर पिछले दिन बोलते हुए माननीय मोतीलाल अवस्थी और राजनारायण जी ने कहा था कि यह जो विधेयक है इसमें व्यापक सुधार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने यह कहा था कि इस में बहुत कम बातों में सुधार करने की कोशिश की गयी है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वह इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ने की कोशिश करते तो उसमें साफ दिया हुआ है कि इस विधेयक पर जो संशोधन व्यापक तौर पर लाने थे वह सन् १९५३ में लाय गये थे। अब समय के अनुकूल कार्य करने में जो भी रास्ते में कठिनाइयां आयी हैं उनको दूर करने के प्रयास से थोड़े बहुत जो इधर-उधर के संशोधन हैं वह इसमें लाने की कोशिश की गयी है। इस संशोधन का कोई ऐसा व्यापक मंशा नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी कानून को पूरे तौर से संशोधित किया जाय। इस वक्त तो जो सम्मुख संशोधन है वही लाने की चेष्टा है। जैसे कि इस ऐक्ट में एक संशोधन में यह है कि पहले यह जो यूनिवर्सिटी है वह प्रदेश के बाहर के दूसरे कालेजेज को अपने से संबद्ध करते थी, लेकिन समयानुकूल उन प्रदेशों में यूनिवर्सिटीज खुल जाने की वजह से अब यह जरूरत नहीं रही कि वहां के कालेज इस यूनिवर्सिटी से संबंधित रहें। तो ऐसी दशा में उस क्लाज को अमेंड करना जरूरी हो गया। ऐसे ही दूसरे संशोधन इस तहत में, इस ऐक्ट में माननीय मंत्री जी ने लाने का प्रयास किया। उसी दिन यह भी कहा गया था कि यह जो यूनिवर्सिटीज हैं, कालेजेज हैं और स्कूली क्षेत्र हैं इनमें मास्टरों और विद्यार्थियों

---

† १३ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा।

†† २० अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

पर सी० आई० डी० और पुलिस लगाई जाती है और यहां तक कह दिया गया था कि जो इन शिक्षा संस्थाओं के दफ्तर हैं वह पुलिस के दफ्तर बनाये जाते रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इन कहने वालों की धारणा ऐसा कैसे बन गई है। मैं समझता हूं कि अगर वह इस तरह की धारणा रखते हैं तो मंत्री जी का जो विश्वास और इच्छा है उसको धक्का देने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि कभी भी सी० आई० डी० और पुलिस को विद्यार्थियों पर या मास्टरों पर लगाने की बात नहीं आती है। मैं इस बात को मानता हूं और हर समाज सेवी और हर व्यक्ति यह चाहता है कि शिक्षा जहां तक हो एक स्वतंत्र तरीके पर हो और उसमें दखल देने की न तो सरकार की कभी मंशा ही है और न किसी की है। लेकिन जहां शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ ऐसे ऐलीमेंट्स पहुंच जाते हैं जो वहां के वातावरण को दूषित करने के लिये तैयार हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट का जिम्मेदारी हो जाती है कि वह ऐसे ऐलीमेंट्स को वहां से निष्कासित करने का प्रयास करे जिससे शिक्षा संस्थाओं का, यूनिवर्सिटीज का वातावरण शान्तमय किया जा सके। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को कोई ऐसा शौक है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में मास्टरों पर या विद्यार्थियों पर सी० आई० डी० या पुलिस लगाने की मंशा रखती हो। अगर ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति सोचता है तो मैं समझता हूं कि वह ऐसे खराब और दूषित तत्वों को प्रोत्साहित करने की बात सोचता है जिनको सरकार शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने से रोकना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि उस दिन यह भी कहा गया था और वाइस चांसलर की तकर्ररी के सम्बन्ध में राजनारायण जी ने कहा था कि इस जनतंत्र के युग में वाइस चांसलर की तकर्ररी चांसलर द्वारा कराई जानी अप्रजातांत्रिक है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपनी निगाह या तो इस ऐक्ट पर नहीं डाली या यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का चुनाव कैसे होता है इसको नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने इसके पढ़ने का प्रयास किया होता तो मुझे माफ करें कि इसमें साफ लिखा हुआ है और चांसलर को कहीं भी यह पावर्स नहीं हैं कि वह वाइस चांसलर को सीधेतौर पर मुकर्रर करे। वहां तो जो एक्जीक्यूटिव नामक एक कमेटी बनी हुई है, जो यूनिवर्सिटीज के इन्टेरेस्ट को सेफगार्ड करती है और यूनिवर्सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को संचालित करने के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होती है उसके जरिये से जिसमें आफीशियल्स और नान-आफीशियल्स दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, वह कमेटी नामों की सिफारिश करती है और चांसलर के पास ऐप्रूवल के लिये भेजती है और उसी के अन्दर से वह अप्रूव करता है। यदि वह पहले प्रिफरेन्स को उचित समझता है तो उसी को मान लेगा और उसको मुकर्रर कर देगा। अगर उसकी निगाह में वह ठीक नहीं है तो वह न तो सीधे किसी को मुकर्रर कर सकता है और न उसमें कोई चेंज कर सकता है, बल्कि फिर से कमेटी से पूछेगा। अगर दुबारा की रिकमेंडेशन को भी वह समझता है कि ठीक नहीं है तो वह यह करेगा कि उन चुने हुये लोगों में से, बाहर के किसी क्षेत्र से नहीं, किसी व्यक्ति को वाइस चांसलर बना देगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरीके के अन्दर वह जो बात कही जाती है कि वाइस चांसलर की तकर्ररी चांसलर द्वारा की जानी इस जनतंत्र के युग में अप्रजातांत्रिक है। मैं समझता हूं कि यह जो बात कह दी गयी वह इसलिए कि शायद बिल को पढ़ा नहीं गया या जैसा कि उसके चुने जाने का इसमें तरीका है उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें वायस चांसलर का चुनाव बिल्कुल प्रजातांत्रिक और जनतांत्रिक तरीके से रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल काफी प्रगतिशील है, यह मेरा निश्चित मत है। इस बिल में माननीय मंत्री जी के उन विचारों का काफी समावेश है जिनका प्रकाशन इस सदन में जब से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा का भार संभाला है उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर इस सदन में होता रहा है। उन्होंने अभी पिछली दफा भी गोरखपुर बिल में एक जगह पर ऐसी कोशिश की कि अध्यापकों में कैसे समानता लायी जाय। वह उन विचारों को हम लोगों के सामने लाये। सदन ने सहर्ष उन विचारों का स्वागत किया और उनको इस सदन से पारित

किया। इसके साथ ही साथ इस बिल में भी उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी में इस बात की कमी थी कि ९ डीन्स में केवल ६ डीन्स को एग्जिक्यूटिव में होने का अधिकार था। यह एक ऐसी खटकने वाली चीज थी कि शिक्षा क्षेत्र में और उन डीन्स में यह फीलिंग रही होगी कि सब को समान अधिकार क्यों नहीं हैं। अब सभी डीन्स को एग्जिक्यूटिव में होने का जो अधिकार मिला है मैं समझता हूं कि उनका यह विचार बहुत प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी क्षेत्र के वह अध्यापक जिन पर इसका असर पड़ने वाला है पूरे तौर से इस विचार का जो मंत्री जी ने रखा है स्वागत करेंगे। भले ही माननीय राजनारायण और माननीय मोतीलाल अवस्थी जो यद्यपि वह मेरी निगाह में काफी योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक चक्कर में पड़ कर वह इस बात को न कबूल करें। लेकिन जिनके लिए यह कानून बनाया जा रहा है वह सब विशेषतया इसका स्वागत करेंगे। मैंने पिछली दफा देखा लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयकों के मौके पर, जब अध्यापकों में समानता का स्तर लाने की कोशिश की गयी तो बाहर अध्यापकों ने इस बात का सहर्ष स्वागत किया। मुझे तो ऐसा पता है कि उन लोगों ने आकर अपनी खुशी का दिग्दर्शन मंत्री जी के पास आकर किया। तो इसमें फिर कोई कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यहां जो बिल लाया गया है वह प्रजातांत्रिक नहीं है। सिर्फ एक विरोधी के तौर पर कहने का प्रश्न रह जाता है।

साथ ही साथ अनुशासन को मजबूत बनाने के लिये इस बिल में काफी प्रयास किया गया है। इस बिल के अन्दर अभी तक यह था कि अगर कोई अध्यापकों की वेकेन्सी ६ महीने के लिये हो जाती थी तो उसको अफीलिएटेड कालेजेज अपने आप कर लेते थे। इसमें एक बड़ी भारी कटुता रहा करती थी। चाहे वह मास्टर योग्य हो या न हो, लेकिन अफीलिएटेड कालेजेज ६, ६ महीने का टर्म देकर और टेम्पोरेरी अप्वाइंटमेंट कर लेते थे और अपना काम चलाते थे। उसमें बहुत बड़ी गुंजायश इनएफिशियेन्सी और इनडिसिप्लिन की थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस तरफ इस बिल में ध्यान दिया है। उन्होंने इस बात का इसमें पूरा प्रयास किया है कि जो अध्यापकों को बैक डोर से रखने की नीति है उस पर भी किसी तरह से चेक हो। उन्होंने इस बिल में कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई अध्यापक टेम्पोरेरी रखा जायगा तो उसके लिये वाइस-चान्सलर का अप्रूवल देना जरूरी हो जायगा।, निस्संदेह एक बन्दिश इस बात पर लगाई गई है और टेम्पोरेरी टीचरों को रखने वाली, नीचे स्तर के लोगों को रखने वाली बात थी उसको रोकने का काफी इस दफा के द्वारा प्रयास किया गया है : मैं समझता हूं यह जो दफा है वह काफी प्रगतिशील ह और काफी सन्तोषजनक है।

इसके साथ-साथ हमारे अवस्थी महोदय ने उस दिन बोलते हुय किसी मिठाई का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक्जामिनर्स को जो मिठाई बटती है उसमें अब कुछ परिवर्तन किया गया है। मैं तो इस मिठाई के पाने का हकदार नहीं हो सकता, लेकिन यह मिठाई मोतीलाल जी को मिल सकती है क्योंकि वे अध्यापक हैं। मैं तो मास्टर नहीं हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में इस बात का पूरा प्रयास किया गया है। अभी तक जो एक्जामिनर्स लिये जाते थे वह बाहर के लगभग आधे लिये जाते थे। लेकिन इस बिल में इस बात का प्रयास किया गया है कि चूंकि बाहर के एक्जामिनर्स नहीं मिल पाते थे और दिक्कत होती थी इसलिये उनके कोटे को चौथाई कर दिया गया है। मेरा ऐसा अनुमान है कि चूंकि मोतीलाल जी अवस्थी बाहर के क्षेत्र के हैं और यूनिवर्सिटी क्षेत्र के नहीं हैं और बाहर के क्षेत्र के लिये इसमें कोटा कम कर दिया गया है तो उनको एतराज इस पर हो सकता है कि जो एग्जामिनरशिप की मिठाई उनके शब्दों में मिलने वाली थी उन्हें कम मिलेगी।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—मेरा वैधानिक प्रश्न है। श्रीमन्, मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा, वह वैधानिक नहीं होता।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं यह कह रहा था कि अब जो बाहर के एक्जामिनर्स होंगे उनको एक चौथाई बाहर से लिया जायगा। यह इस बिल के तहत में कर दिया गया है। एक तरह से बाहर वालों की मिकदार कम कर दी गई है। ऐसी हालत में यह आक्षेप लगाना कि सरकार अपना होल्ड एक्जामिनर्स पर रखना चाहती है या किसी तरह से उनको मिठाई बांटने में किसी तरह से सही नहीं मानता हूं। इसलिये जो तर्क उधर से दिया गया है वह तर्क उचित नहीं है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि हमारे मंत्री जी ने इस दिशा में भी कदम उठाने का प्रयास किया है कि आगरा यूनिवर्सिटी से जो छात्र या कैंडीडेट अभी तक डिग्री हासिल करते थे उनको दो तरह की डिग्री दी जाती थी। जो एफिलियेटेड कालेजेज से पढ़कर डिग्री हासिल करते थे उनको इन्टरनल डिग्री मिलती थी और जो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा बाहर रह कर डिग्री हासिल करते थे उनको एक्सटरनल डिग्री मिलती थी। यह इन डिगरियों में डिफरेन्स था। हमारे समाज में और विद्वानों के समाज में यह शोभा की बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस युग की मांग के अनुसार जहां हर दिशा में प्रगतिशील सरकार और प्रगतिशील सरकार के मंत्री इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी समाज में भिन्नता है, जहां भी समाज के किन्हीं कोनों में एकसा चीजों के बारे में फर्क है, उनको दूर किया जाय। तो यह जो प्रयास माननीय मंत्री जी ने इस नये बिल में किया है कि डिग्री का फर्क मिट जाय और जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनको और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को समान डिग्री दी जाय और कोई भेद उन में न रखा जाय, यह बहुत ही उचित है, क्योंकि दोनों के लिये इम्तहान एक से होते हैं, दोनों की शिक्षा का स्तर समान होता है, पेपर्स एक संग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में जो प्रयास है वह प्रशंसा के योग्य है। मैंने प्रदेश के कई विद्वानों को यह कहते हुये सुना और उन्होंने बहुत शान्ति के साथ इस बात की सराहना की कि इस समय प्रदेशीय सरकार का यूनिवर्सिटीज के प्रति जो रुख है समता का क्षेत्र बनाने के बारे में वह उचित है और प्रशंसा के योग्य है। तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इसी ध्येय के लिये १९५३ के बाद छोटे मोटे संशोधन कई बार यहां आये और इसी प्रकार के संशोधन इस बिल में भी हैं, जैसी की दो चार मिसालें मैंने अभी सदन में रखी हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें मुझे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है और इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने इस बिल को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और उनकी यह निश्चित धारणा होगी कि यह बिल एक प्रोग्रेसिव, समयानुकूल, व्यापक और अच्छे विचारों का संतुलन करने वाला बिल है। तो मैं नहीं समझता कि इस सदन का कोई भी सदस्य, इधर का या उधर का, क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूं जब भी शिक्षा पर बहस होती है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बहुत सी बातें दोहरा रहे हैं, आप संक्षेप में कहें।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं तो खत्म ही कर रहा हूं। उसके लिये प्रस्तावना कर रहा था। मैं यह समझता हूं कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य इस विचार से अलग न होगा कि जिस भावना के साथ यह बिल लाया गया है वह समयानुकूल है और यह इस प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के संचालन में, जनता के विचारों का ध्यान रखते हुये, उसके विचारों के अनुकूल, मदद करेगा और इसे हर प्रोग्रेसिव विचार का व्यक्ति ठीक समझेगा और बहुत कम समय में इसको पारित करने के लिय कदम उठायगा। ऐसी मुझे आशा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मोतीलाल जी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करने का सर्वप्रथम कारण तो यह है कि आज ४-५ साल के अन्दर ही इस बात की आवश्यकता स्वयं सरकार को प्रतीत हुई कि आगरा विश्वविद्यालय विधेयक में परिवर्तन किया जाय ।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब सन् १९५३ में आगरा यूनिवर्सिटी संशोधनधे वियक पर इस सदन में विचार हुआ था उस समय भी हम लोगों की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था कि जब हम इस आगरा यूनिवर्सिटी को एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं यानी वह टीचिंग और एफिलियेटिंग दोनों प्रकार की यूनिवर्सिटी हो तो हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । इसलिये उसको संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया और विषय की महत्ता को देखते हुये स्वयं मुख्य मंत्री जी ने हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया कि वह संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष बनें । एक माह तक हमने संयुक्त प्रवर समिति में बैठ कर इस संशोधन विधेयक पर विचार किया । इसलिये आज जब कि हम एक संयुवत प्रवर समिति के फैसले को बदल रहे हैं तो मेरे विचार से यह आवश्यकता महसूस होती है कि हम इस पर फिर से गंभीरतापूर्वक विचार करें और ऐसा विचार केवल प्रवर समिति के अन्दर ही संभव हो सकता है । अगर हम यहां किसी संशोधन पर दलगत दृष्टिकोण से विचार करें तो उसकी अच्छाई और बुराइयों पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं हो सकता । इसलिये एक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक सप्ताह के लिये इसको प्रवर समिति में ले जाने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्रीमन्, जब मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तो मैं इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकता कि इस विधेयक में कुछ अच्छी बातें भी रखी गयीं हैं । विशेष रूप से उस समय आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों पर आवश्यकता से अधिक शंका प्रकट की गयी थी, उसका कुछ शमन इसमें किया गया है और चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापक हों, या एफिलियेटेड कालेज के हों, उन पर अधिक विश्वास प्रकट किया गया है । इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । इसलिये जहां तक इस विधेयक के उस अनुच्छेद का सम्बन्ध है कि अध्यापकों पर अधिक विश्वास प्रकट किया गया है, मैं उसकी सराहना करता हूं ।

इसके अतिरिक्त जहां इस विधेयक में अटोनामी को सुरक्षित रखने का प्रश्न है वहां भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । उदाहरण के लिये इस विधेयक में इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि बजाय चान्सलर के अस्थायी वाइस चान्सलर की नियुक्ति का अधिकार एक्जीक्यूटिव को होगा । ६ महीने से कम के लिये एक्जीक्यूटिव स्वयं उसकी नियुक्ति कर सकती है और उसकी व्यवस्था कर सकती है । यह एक स्वागत का विषय है । यह अधिकार पहले ही एक्जीक्यूटिव को दे देना चाहिये था, लेकिन अगर आज दिया गया है तो अच्छा ही हुआ ।

एक अनुच्छेद द्वारा यह भी कहा गया है कि राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कालेजेज अब इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नहीं रहेंगे । हमने उस समय भी यह मांग की थी कि इस प्रकार के जो कालेजेज, जो हमारे प्रदेश से बाहर हैं उनको आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध करना उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय बन चुका है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय भी बन चुका है जो अपने उन कालेजेज को एफिलियेट कर सकते हैं, शायद १-२ कालेजेज की वजह से यह रक्खा गया था, लेकिन अब वह नहीं रहेगा और इस प्रकार अब से आगरा यूनिवर्सिटी केवल उत्तर प्रदेश की ही रहेगी । आगरा यूनिवर्सिटी से जो कालेज संबद्ध होंगे वे केवल उत्तर प्रदेश के ही होंगे । ऐसा जो सुधार इसमें रखा गया है वह भी उपयुक्त ही है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके अतिरिक्त इसमें एक सुधार मैं और देखता हूं वह यह है कि पहले सीनेट की संख्या १२५ रखी गयी थी । इस संख्या को निश्चित कर देना ठीक नहीं था । तो यह भी अच्छा हुआ है । साथ ही साथ इसमें जो एक प्रतिबन्ध पहले लगा था कि अध्यापकों की संख्या और जो अध्यापक नहीं हैं, उनकी संख्या सीनेट में बराबर बराबर होगी, इस प्रकार का जो विधान था वह अध्यापकों के ऊपर एक लांछन-सा था और जो वहां अध्यापक थे उन पर कुछ जरूरत से ज्यादा विश्वास की कमी थी, तो यह भी अब ठीक हो गया है । इस प्रकार आधे आधे की संख्या जो रखी थी कि अध्यापक किसी हालत में सीनेट में ज्यादा नहीं होंगे, यह भी ठीक हो गया है । हम तो इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि सिनेट में अध्यापकों का बहुमत भी हो तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है । यह एक सिद्धान्त का प्रश्न था जिसको सरकार ने "देर आयद दुरुस्त आयद" मान लिया, तो ठीक ही है ।

इसमें कुछ खराबियां भी हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी समय रहते इन खराबियों को दूर करने की चेष्टा करें । माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात के हामी हैं कि अध्यापकों का अपने समाज में जो सम्मान पहले था, उस पद पर प्रतिष्ठित किया जाय। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी प्रविधान है जिसको देख कर ऐसा लगता है कि जितना माननीय मंत्री जी अध्यापकों को पुनः महत्व प्रदान करने की चेष्टा करते हैं उतना ही अधिक आगे जाकर विधेयक में सुधारने वाली भावना को कुंठित कर दिया गया है । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति में इस विधेयक को ले जाकर विचार करने की जरूरत है क्योंकि प्रोग्रेसिव नेचर की जो सुविधायें हैं उनको आगे चलकर करटेल कर दिया गया है जिससे विधेयक का महत्व भी समाप्त हो गया है । इसलिये उस पर पुनः विचार होना जरूरी है जैसे मिसाल के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चान्सलर के नामिनी को बढ़ा दिया गया है। चांसलर महोदय पहले केवल ४ व्यक्तियों को नामजद करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ा कर ५ कर दी गयी है । पुराने विधेयक में यह था कि चान्सलर महोदय जिन ४ व्यक्तियों को नामजद करेंगे, उनमें एक इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होगा, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है कि चान्सलर महोदय जिन व्यक्तियों को नामजद करें उनमें कोई एक्सपर्ट हो, कोई विद्वान हो । सन् १९५३ में जब इस पर विचार हुआ था तो उस समय सरकार ने एक प्रकार से आश्वासन दिया था कि चान्सलर महोदय को जब कभी सरकार सलाह देगी तो एक्सपर्ट के नामजद करने की ही सलाह देगी और उसके ऊपर एक संशोधन भी स्वीकार किया गया था कि इंजीनियरिंग का एक एक्सपर्ट इस आगरा यूनिवर्सिटी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नामजद किया जायगा । तो एक तरफ तो हम चांसलर महोदय द्वारा नामजद किये जाने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी विधान कर रहे हैं कि वह कोई विद्वान ही हो, यह आवश्यक नहीं है । तो इस खंड पर पुनः विचार करने की जरूरत है क्योंकि यह सिद्धान्ततः गलत है । चूंकि चांसलर महोदय गवर्नर हैं और ऐसा हो सकता है कि सरकार गवर्नर को नामजद करने के सम्बन्ध में कुछ ऐडवाइस करे और इस प्रकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो बैलेंस है, जो सन्तुलन है वह नहीं रह सकेगा ।

राधाकृष्णन् कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सदस्यों में सन्तुलन होना आवश्यक है । चांसलर महोदय द्वारा नामजद करने की संख्या बढ़ा देने से असन्तुलन हो जायगा । इस प्रकार राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश को किंचित अवहेलना होती है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का जो सन्तुलन इस विधेयक द्वारा कम किया गया है उस पर पुनः विचार करें ।

एक दूसरे सिद्धान्त का प्रश्न यह है कि एक नयी कमेटी बनायी जायगी—"कमेटी आफ रेफरेंस" और यह कमेटी आफ रेफरेंस पुराने आगरा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम में विद्यमान थी । आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो सम्पूर्णानन्द कमेटी थी उसकी

भी राय थी कि "कमेटी आफ रेफरेंस" को समाप्त कर देना चाहिये और सन्, १९४८ में जो वाइस चांसलर्स कांफ्रेंस हुई थी उसने भी सिफारिश की थी कि "कमेटी आफ रेफरेंस" की कोई आवश्यकता नहीं है। सन् १९५३ में हम लोगों ने उस "कमेटी आफ रेफरेंस" को समाप्त कर दिया था, लेकिन आज आश्चर्य का विषय है कि उसी "कमेटी आफ रेफरेंस" को दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है? आश्चर्य का विषय तो यह है कि वित्तीय दृष्टिकोण से उनका जांच के लिये दो अलग अलग कमेटियां होने वाली हैं, डुप्लेक्स कंट्रोल होगा। फायनेन्स कमेटी जो काम करेगी वही कमेटी आफ रेफरेंस करेगी। दोनों में ५, ५ सदस्य होंगे। फाइनेंस कमेटी का काम है :—

"To advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University."

फायनेन्स कमेटी यूनीवर्सिटी की प्रापर्टी और फंड्स के बारे में सलाह देगी।

अब कमेटी आफ रिफरेंस क्या करेगी? कमेटी आफ रिफरेंस का काम होगा—

"Fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year."

कमेटी आफ रिफरेंस साल भर के टोटल रेकरिंग और नान-रेकरिंग एक्सपेंडिचर के संबंध में फायनैन्शियल एडवाइस देगी। तो मैं नहीं समझता कि कमेटी आफ रेफरेंस को अलग से रखने की क्या आवश्यकता है? फायनेन्स कमेटी ही इस काम को कर सकती है। बिना मतलब कमेटियां बढ़ाना, उनके कार्य को बढ़ाना, सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफारिश व वाइस चांसलर कान्फ्रेंस की सिफारिश की अवहेलना करना कहां तक उचित है? मैं समझता हूं कि कमेटी आफ रेफरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फायनेन्स कमेटी ठीक से कार्य कर रही है और मैं सिद्धान्ततः इस कमेटी आफ रिफरेंस के बनाये जाने के विरुद्ध हूं।

सिद्धान्त के रूप में एक और खंड पर मुझे आपत्ति है। इस विधेयक के द्वारा यह प्राविधान किया जा रहा है कि किसी आर्डिनेन्स के द्वारा किसी यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी खर्चा होगा, आमदनी के सिलसिले में या खर्च के सिलसिले में जो कुछ निश्चय होंगे बिना सरकार की स्वीकृति के फाइनलाइज नहीं होंगे यानी अगर यूनीवर्सिटी अपनी आमदनी या खर्च के बारे में कोई आर्डिनेन्स बनाती है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर कंसेन्ट लेनी होगी।

श्रीमान् जी, मुझे आशा नहीं थी कि माननीय शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय के नियमों का परिहार करने में इस प्रकार के प्राविधान में अपनी मोहर लगायेंगे, क्योंकि स्टैट्यूट्स, आर्डिनेन्स और रेगुलेशंस जो तीन प्रकार के विधान हैं ये यूनीवर्सिटी के इंटरनल मामले से संबंध रखते हैं। सेडलर कमीशन की रिपोर्ट, जो कलकत्ता रिपोर्ट के नाम से मशहूर है, जिसके आधार पर ही हमारे सारे विश्वविद्यालयों का ढांचा खड़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर हमें यूनीवर्सिटीज को आटोनामी देनी है तो उन्हें अपने स्टेट्यूट्स, आर्डिनेन्सेज तथा रेगुलेशंस बनाने में पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। उस कमीशन का कहना था कि सरकार और लेजिस्लेचर के जिम्मे केवल यह काम होना चाहिये कि वह यूनीवर्सिटी को बना दें, यूनीवर्सिटी का ऐक्ट बना दें, एक परिधि बना दें कि इसके अन्दर यूनीवर्सिटी बनेगी, इस प्रकार बनेगी, यूनीवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल इस प्रकार बनेगी, आदि-आदि। लेकिन इंटरनल जो प्राविधान है उन्हें यूनीवर्सिटी स्वयं बनायेगी और इसीलिये स्टेट्यूट्स, आर्डिनेन्सेज तथा रेगुलेशंस बनाने का अधिकार यूनीवर्सिटी को स्वयं दिया गया। अकेले आगरा यूनीवर्सिटी नहीं, बल्कि सारे देश भर में जितनी यूनीवर्सिटीज हैं उनको इंटरनल प्राविधान में इस प्रकार का अधिकार दिया गया। आर्डिनेन्सेज तो इंटरनल लेजिस्लेशन के द्वितीय श्रेणी में आते हैं। पहले स्टेट्यूट्स, फिर आर्डिनेन्सेज और रेगुलेशंस आते हैं। जो अधिकार दिया है वह स्टेट्यूट्स को दुरुस्त करने का दिया है, न कि आर्डिनेन्सेज को। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज तक कभी लेजिस्लेचर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के इतिहास में, कानून बनाने के इतिहास में किसी भी यूनिवर्सिटी के आर्डिनेन्सेज सरकार ने तैयार किये हों, मुझे अगर एक भी मिसाल माननीय मंत्री जी देंगे तो मैं उनका अनुग्रहीत हूंगा। फर्स्ट स्टेट्यूट्स तो अवश्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट किये गये हैं, लेकिन फर्स्ट आर्डिनेन्सेज या फर्स्ट रेगुलेशंस कभी भी सरकार द्वारा डाफ्ट नहीं हुए। ये हमेशा एक्जिक्यूटिव कौंसिल के द्वारा ही ड्राफ्ट हुए हैं।

श्रीमन्, इस संबंध में सिद्धान्त के रूप में सन् १९५३ में हम लोगों ने चर्चा की थी और सरकार की ओर से उसमें यह स्वीकार किया गया था कि चांसलर महोदय को अगर हम आर्डिनेंस स्वीकार करने की आज्ञा देंगे तो काफी है, इसलिये चूंकि चांसलर गवर्नर हैं और अगर यूनिवर्सिटी कोई ऐसा आर्डिनेंस बनाती है जिससे खर्चा बढ़ जाता है तो चांसलर महोदय उसे अस्वीकृत कर सकते हैं। तो जब मौजूदा अधिनियम में चांसलर को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी फाइनैनशियल आर्डिनेन्स को समाप्त कर सके, स्वीकार न करे तो क्या आवश्यकता है कि सरकार कहे कि बिना हमारी कंसेंट के कोई भी फाइनेंशल आर्डिनेंस जारी न हो? मैं समझता हूं कि यह स्वायत्तता का हनन है और इस पर अवश्य पुनर्विचार होना चाहिये।

इसके साथ-साथ एक इसमें अच्छा संशोधन भी किये जाने का विचार है जिसमें यह कहा गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी में १/४ तो बाहर के एक्जामिनर रहेंगे और ३/४ आगरा यूनिवर्सिटी के रहेंगे। यह एक अच्छी चीज है। इसमें अध्यापकों पर विश्वास प्रकट किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ पेपर सेटर्स को फिर आधा ही रखा है। उनको भी ज्यादा होना चाहिये। यह ठीक नहीं है कि एक्जामिनरों के लिये तो दूसरा सिद्धान्त रखें और पेपर सेटर्स आधे आगरा यूनिवर्सिटी के हों और आधे बाहर के हों। यह एक ही एक्जामिनेशन के सिलसिले में, एक ही परीक्षा प्रणाली के सिलसिले में दो प्रकार की व्यवस्था करना उचित नहीं प्रतीत होता।

साथ-साथ श्रीमन्, हमें ऐसा लगता है कि बहुत से हमें ऐसे भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी जिनका कि इस विधेयक में कोई स्थान नहीं है। टीचर्स के विरुद्ध जो डिसिप्लिनरी पावर्स हैं, वाइस चांसलर को, एग्जीक्यूटिव कौंसिल को, उनको कम करना होगा। हमें आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिये भी जो टू-ग्रेड-सिस्टम है उसको लागू करना होगा जिसको कि हमने इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में लागू किया है।

इसी प्रकार हमें और भी संशोधन करने होंगे। एकेडेमिक कौंसिल की शक्ति बढ़ानी होगी, सिनेट की पावर्स बढ़ानी होंगी। जब सिनेट पर हम अधिक विश्वास कर रहे हैं, सिनेट गवर्निंग बाडी नहीं है, हमें सिनेट को गवर्निंग बाडी बनाना होगा। तो इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो सकती है जिन पर कि हम प्रवर समिति में विचार कर सकते हैं। श्रीमन्, मुझे एक शिकायत और भी है। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९५३ में वर्किंग मेन्स कालेज और आटोनामस कालेजों की व्यवस्था की गई थी। हमें यह आशा थी कि सन् १९५३ में जो हमने एक नयी चीज, एक नये सिद्धान्त को स्वीकृत किया था कि हम इस प्रदेश में जो लोग विभागों में काम करते हैं उनके लिए एक नया कोर्स प्रेस्क्राइब करके एक वर्किंग मेन्स कालेज बनायेंगे, हमने यह व्यवस्था की थी कि हम आटोनामस कालेजेज बनायेंगे जैसे आगरा कालेज, आगरा, मेरठ कालेज, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर हैं जिनमें हजारों विद्यार्थी हैं, वह अपनी अलग व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की थी कि हम आटोनामस कालेज बनायेंगे। लेकिन यह बड़े दुख का विषय है कि एक भी ऐसा कालेज, आटोनामस कालेज आज तक नहीं बना, एक भी वर्किंग मेन्स कालेज नहीं बना। क्यों नहीं बना? जब मैंने इसकी जांच की, छानबीन की, तो मालूम हुआ कि जहां तक वर्किंग मेन्स कालेज और आटोनामस कालेजेज की बात है उनके स्टैट्यूट्स आज तक नहीं बन पाये। उन के लिए कोई विधान नहीं बन पाया। जब सरकार ने जिम्मेदारी ली थी इस प्रकार का विधान

बनाने की तो सरकार के लिए आवश्यक था कि वर्क मेन्स कालेज और आटोनामस कालेज के स्टेट्यूस बनाये और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कम से कम एक जगह चाहे वह मेरठ में हो, चाहे कानपुर में हो, वहां आटोनामस कालेज बनाये। आज कानपुर में मांग है कि यहां पर यूनिवर्सिटी खोली जाय, आज मेरठ में मांग है कि यहां पर यूनिवर्सिटी खोली जाय, आज कुमायूं में मांग है कि यूनिवर्सिटी खोली जाय, आज रुहेलखंड में मांग है कि यूनिवर्सिटी खोली जाय। अगर आज सरकार आर्थिक हालत के कारण सब जगह यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती तो आटोनामस कालेज तो अवश्य बना सकती है। बरेली कालेज आटोनामस कालेज हो सकता है, मेरठ कालेज आटोनामस कालेज हो सकता है, कानपुर का डी० ए० वी० कालेज आटोनामस कालेज हो सकता है। परन्तु श्रीमन्, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९५३ के सिद्धान्त की जिस प्रकार अवहेलना की गई है आटोनामस कालेज न बना कर के, मैं समझता हूं सरकार उसके लिये उत्तरदायी है और सरकार के पास शायद कोई उत्तर भी नहीं है। कम से कम एक वर्क मेन्स कालेज तो प्रदेश में स्थापित किया ही जा सकता था चाहे आगरा में हो, चाहे मेरठ में और चाहे कानपुर में। इस के संबंध में सरकार उत्तरदायी है।

तो इन सब प्रश्नों पर हम प्रवर समिति में विचार कर सकते हैं। मैं अधिक न कह कर और इशारतन इन सैद्धान्तिक प्रश्नों की ओर, जिन्हें इस विधेयक में स्थान प्राप्त है, उनकी ओर सरकार का ध्यान दिला कर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं इस विधेयक में कुछ अच्छी बातें है और कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इन बुरी बातों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि हम प्रवर समिति में विचार करें। और मुझे आशा है कि मंत्री जी प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, जो आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में संशोधन विधेयक आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझ से पहले माननीय तिवारी जी ने इसके संबंध में अपने विचार प्रकट किये, तो जहां तक उन्होंने इसका स्वागत किया मैं उनका बड़ा आभारी हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय तिवारी जी ने इस बात को महसूस किया कि जो विधेयक आज पेश हुआ है इसमें बहुत सी अच्छी बातें है और जो हमारा मूल ऐक्ट है उसके ऊपर काफी सुधार किया है और प्रगति की है। मैं उन प्वाइंट्स में नहीं जाऊंगा जिनका कि स्वागत स्वयं तिवारी जी ने किया है। उन्होंने कुछ बातों पर आपत्तियां की हैं, उनके बारे में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मेरा ऐसा विचार है और मैं यह महसूस करता हूं कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो एक्जीक्यूटिव कमेटी है आगरा विश्वविद्यालय की उसकी शक्ति को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। यह दूसरी बात है कि माननीय तिवारी जी जिस हद तक उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं यह संशोधन विधेयक उसको उस हद तक न बढ़ा पाया हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने सबसे पहले आपत्ति इस बात पर की कि इसके पहले चांसलर को एक्जीक्यूटिव में ४ आदमियों को नामिनेट करने का अधिकार था अब ५ का है। उन्होंने इसके ऊपर माननीय राधा कृष्णन जी की जो रिपोर्ट है उसका हवाला दिया। मैं यह महसूस करता हूं कि जहां तक पैरिटी का सवाल है इस संशोधन विधेयक के बावजूद भी वह पैरिटी कम नहीं होती है। पहले ६ डीन्स एक्जीक्यूटिव के मेम्बर हो सकते थे, अब ९ होंगे। यानी ३ आदमियों की तादाद टीचर्स में बढ़ायी गई। इसके बाद अब तक सीनेट से ५ मेम्बर्स चुन कर आते थे लेकिन अब ६ चुन कर आयेंगे। इस तरह से ४ आदमी बढ़ जाते हैं। उसके बदले में सिर्फ इतना किया गया है कि चांसलर को ४ के बजाय ५ आदमियों को नोमिनेट करने का अधिकार हो गया है। मैं समझता हूं कि इससे पैरिटी अपसेट नहीं हुई है। और यदि कुछ हुई भी तो टीचर्स की संख्या का जहां तक संबंध है उसमें वृद्धि ही हुई है, और मैं समझता हूं कि माननीय मोतीलाल जी अवस्थी को यह बात पसन्द आयेगी कि अगर कुछ थोड़ा-सा बैलेंस है भी तो टीचर्स ही के फेवर में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--'इंजीनियरिंग ऐक्सपर्ट' डिलीट कर दिया ।

श्री नवलकिशोर--उसको अगर डिलीट कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बगैर उसके ऐक्जीक्यूटिव के काम में दिक्कत आयेगी। काफी ऐक्सपर्ट्स हमारे यहां हैं। माननीय तिवारी जी को यह भी आपत्ति हुई कि आपने कमेटी आफ रिफरेंस को बनाकर ऐग्जीक्यूटिव की ताकत को कम किया। मैं समझता हूं कि यह कहना कुछ उचित नहीं है। जो पहले फाइनेंस कमेटी की पावर्स थीं आगरा यूनिवर्सिटी में, उसके बजाय इस विधेयक के द्वारा कमेटी आफ रिफरेंस बनायी जायेगी और उससे एक किस्म की यूनिफार्मिटी हो गई। क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वैसी ही कमेटी थी। और इसके साथ-साथ ऐग्जीक्यूटिव की एक फाइनेंस कमेटी भी इसके अन्दर बना दी गई है, जैसा कि और भी विश्वविद्यालयों के अन्दर है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी आपत्ति की बात पैदा नहीं हुई।

एक शिकायत तिवारी जी को यह हुई कि आर्डिनेन्स पावर्स यूनिवर्सिटी की कम की हैं, इस माने में कि फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में कोई आर्डिनेंस यूनिवर्सिटी नहीं निकाल सकती जब तक कि गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन उसको न मिल जाय, और उसी के संबंध में उन्होंने आटोनामी का जिक्र कर दिया। माननीय तिवारी जी आटोनामी के मामले में बड़े सेन्सिटिव हैं और खास तौर से यूनिवर्सिटी आटोनामी के मामले में, इस पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके माने यह न हो जांय कि बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी रेसट्रिक्शन के अगर हम उन्हें फाइनेन्शियल और दूसरे मामलों में पावर दे दें तो उसका नतीजा यह हो कि वह बोझ विश्वविद्यालय न उठा सके, क्योंकि आखिर में वह बोझ फिर गवर्नमेंट पर ही आता है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कहीं २५ लाख, कहीं २६ लाख, कहीं २० लाख और कहीं इससे भी अधिक का भार आखिर में गवर्नमेंट पर ही इन विश्वविद्यालयों के खर्च का आने वाला है। मूथम कमेटी ने भी स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि विश्वविद्यालय को इस तरह के अधिकार देना कि वह जो चाहें फाइनेन्शियल कमिटमेंट्स करते चाले जायं और उनका बोझ सरकार उठाती चली जाय, उचित नहीं है। इसमें आटोनामी का सवाल नहीं है, जब आखिर में बोझ सरकार पर आने वाला है तो व्यय गवर्नमेंट की स्वीकृति से ही होना चाहिये, इसमें ऐसी शंका नहीं होनी चाहिये कि इससे कोई आटोनामी का हनन होता है। जहां तक ऐकेडेमिक आटोनामी की बात है वह बात ठीक है, वह होनी चाहिये। सिर्फ इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल ही सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है जो उचित ही है।

उन्होंने यह भी कहा कि डिसिप्लीनरी पावर्स वाइस-चांसलर की कम की जायं। मान्यवर, सेन्टीमेन्टली तो बात बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि हमारे टीचर्स राष्ट्र के निर्माता हैं, वह सब कुछ हैं, क्या नहीं हैं, लेकिन हमें बड़ी मायूसी होती है यह देखकर जैसा कि आजकल का वातावरण चल रहा है। बार-बार वही चीज सामने आती है और सारा झगड़ा उठता है कि आज का जो टीचर है वह टीचर कम है और पालिटीशियन ज्यादा है। जितनी पावर्स डिसिप्लिन के सम्बन्ध में वाइस-चांसलर को दी गई हैं वह किसी माने में भी अधिक नहीं हैं और उनके कम किये जाने के लिये जो मेरे मित्र जोर देते हैं, मैं समझता हूं आज की स्थिति में वह अधिक उचित बात न होगी ।

यह भी कहा गया कि जिस तरह से कि प्रोफेसर्स और रीडर्स के अलग-अलग दो ग्रेड दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये हैं वैसे ही यहां के लिये भी होने चाहिये। मेरा विचार है कि यह बात ठीक नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी स्वयं कोई चीज नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न कालेजेज को एफीलियेट करके एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। अगर यह एक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी होती तो अलग अलग दो ग्रेड्स की बात समझ में आ सकती थी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें दो ग्रेड कर के कालेजेज को मजबूर करना फाइनेन्शियली उचित नहीं है और अच्छा भी नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि ग्रेड्स के सम्बन्ध में जो स्थिति रखी गई है वह कोई स्थायी चीज है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।

एक बात उन्होंने और कही जिससे मैं भी इत्तफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि इन कालेज में से कुछ कालेज ऐसे हैं जिनको, आटोनामस और बाद में यूनिवर्सिटी बना देना चाहिये। मैं समझता हूं उनकी यह मांग उचित है। हो सकता है कि इस मांग के पूरा करने में कुछ कठिनाइयां हों। बरेली कालेज की मांग भी है कि यूनिवर्सिटी बनाया जाय, माननीय तिवारी जी का एक नान-आफिशियल प्रस्ताव भी था, कि कुमायूं यूनिवर्सिटी बनाई जाय, मेरठ की, कानपुर की सब जगह की मांग है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाय। मैं भी महसूस करता हूं कि हमारे यहां के कुछ कालेजेज ऐसे हैं कि जिनको आज नहीं तो कल यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा। इनको आटोनामस कालेज बना दिया जाय, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी बनने के लिये एक स्टेपिंग स्टोन हैं। श्री तिवारी जी ने वर्कमेन्स कालेज का आइडिया इंगलैंड वगैरह के कालेजेज से लिया है। इस का जिक्र मैंने राधाकृष्णन रिपोर्ट में भी पढ़ा था। इस तरह का यदि एक्सपेरीमेंट यहां भी किया जाय तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, इसके लिये कानपुर ज्यादा उचित जगह हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्कर्समेन का कनसेन्ट्रेशन वहीं पर है। तो जहां तक यह बात उन्होंने कही, यह अपनी जगह पर सही है।

एक बात उन्होंने यह और बतायी कि यह जो आउटसाइड सेन्टर्स हैं इनको आधे की जगह एक चौथाई कर दिया जाय। इस चीज का तो मैंने स्वागत किया था कि बाहर के एग्जामिनर्स की तादाद एक चौथाई कर दी जाय, लेकिन बाहर के पेपर सेटर्स की तादाद के संबंध में उनकी राय से मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के हित में है कि जो पेपर सेटर्स हैं वह यूनिवर्सिटी से बाहर के हों। आज कल जिस तरह से एग्जामिनेशंस में स्कैंडल्स होते हैं वह मेरे भाई तिवारी जी मुझसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उनका वास्ता विद्यार्थियों से ज्यादा रहता है। ऐसी परिस्थिति में जहां अपने एग्जामिनर्स जो आउटसाइडर्स बना दिये थे वह कम किये यह बहुत कच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, टीचर्स की बहुत बड़ी शिकायत थी, उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन पेपर सेटर्स भी आधे के बजाय तीन चौथाई अन्दर से हों, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पेपर सेटर्स हैं वह हमारे बाहर के रहें, तभी वह यूनिवर्सिटी के हित में हो सकता है।

उनको चांसलर के बारे में बहुत शिकायत थी और चाहते थे कि उसकी पावर्स कम हों। वह समझते हैं कि चांसलर के माने गवर्नमेंट के हैं और जब तक तिवारी जी उधर बैठते हैं उनको सरकार की हर बात के ऊपर बड़ा शक रहता है। (व्यवधान) नहीं है, यह बड़ी खुशी की बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दो-चार बातें अभी ठीक बतायीं।

श्री नवलकिशोर—और बाकी बातें माननीय मंत्री जी बता देंगे। तो जहां तक चांसलर की पावर्स का ताल्लुक है, इसमें चांसलर की पावर को और भी कम किया गया है। उदाहरण के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग के लिये टीचर्स की नियुक्ति का ऐप्रूवल चांसलर के जरिये होता था, उसको डिलीट कर दिया गया है। वह सेक्शन २५ (ए) में था। इसी तरह से कुछ वाइस-चांसलर की पावर्स को बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पर जो अफिलिएटेड कालेजेज के टीचर्स का टेम्पोरेरी अप्वाइंटमेंट होगा उसका ऐप्रूवल भी वाइस-चांसलर के जरिये से होगा, क्योंकि पहले यह शिकायत थी कि ये मैनेजिंग कमेटीज बहुत गड़बड़ करती थीं, अब वह चीज नहीं रहेगी। तिवारी जी को तो इसकी ताईद करनी चाहिए थी।

मैं और बहुत सी चीजों में नहीं जाऊंगा। यह प्रवर समिति के लिए जो उन्होंने सुझाव रखा है, मैं नहीं समझ पाया कि इसमें क्या तत्व है, क्या कारण है। यह तो वह यह कहते कि इसके स्कोप को बढ़ाया जाय, लेकिन उन्होंने या तो आटोनामस कालेज या वर्कमेन्स कालेज की बात कही, और कोई बात नहीं कही। अगर वह इसके एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि जो भी थोड़ा अनुभव इन ३–४ साल में हुआ उसी के आधार पर यह संशोधन किये गये हैं और इसलिए भी संशोधन किया गया है कि जो और विश्वविद्यालयों के विधेयक हैं उनके साथ युनिफार्मिटी हो सके यह भी कोशिश की गयी है। जैसा कि और जगह है कि एग्जिक्यूटिव

[श्री नथलकिशोर]

के मेम्बर दो टर्म्स के बाद थर्ड टर्म के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे, इसमें भी उसका समावेश किया गया है। एक अन्तर हो गया है कि और विश्वविद्यालयों के संबंध में एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि मौजूदा टर्म्स खत्म होने के बाद दो टर्म की बात लागू होगी। इसमें इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि और जगह तो तीन साल का टर्म होता ह और इसमें पांच साल का होता है, तो दो टर्म्स में १० साल वैसे ही हो चुकेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा वाद-विवाद की जरूरत नहीं है।

यह छोटा सा संशोधन है और जो अब तक अनुभव हुए हैं उनके आधार पर बना है। मैं आशा करता हूं कि जिन्होंने इसके लिए सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेंगे और जैसा विधेयक है उसको ऐसा ही पास करने में सहायता करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५८ जो प्रस्तुत है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्वयं आगरा क्षेत्र से आ रहा हूं। आगरा यूनिवर्सिटी जिस आर्थिक संकट के युग से गुजर रही है वह उसके जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। अपने प्रदेश को जहां यह सौभाग्य प्राप्त है कि भारत के हर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटीज हैं, जहां लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़, स्थानीय या रजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं वहां उच्च कोटि की इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिये रुड़की जैसा विश्वविद्यालय भी है। परन्तु आगरा विश्वविद्यालय को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह एक स्थानीय विश्वविद्यालय या रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी न होकर, उसका क्षेत्र काफी वृहत् है। कुछ दिनों पूर्व तक, वह अपन प्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त राजस्थान और मध्य भारत में फैला हुआ था। स्वतंत्र भारत में जब कर्त्तव्य और अधिकार की चेतना जाग्रत हुई तो हर प्रदेश ने अपने यहां विकास करने का निश्चय किया। आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित राजस्थान और मध्य भारत के जो कालेजज थे उनके अन्दर भी प्रांतीयता की लहर आई। जिस तरह से प्रान्तीयता की यह बीमारी हमार प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में हर क्षेत्र में फैलती चली जा रही है, उसने शिक्षा के पुनीत क्षेत्र को भी डस लिया और राजस्थान तथा मध्य भारत में यह मांग उठने लगी कि हमें आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित न होकर, अपने-अपने प्रदेश में अपने-अपने विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिये। राजस्थान गवर्नमेंट ने जयपुर विश्वविद्यालय और मध्य भारत गवर्नमेंट ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करके राजस्थान और मध्य भारत के कालेजेज को जो आगरा यूनिवर्सिटी स संबंधित थे अपने-अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित कर लिया। आगरा यूनिवर्सिटी से इन कालेजेज के निकल जाने के बाद उसके ऊपर एक आर्थिक संकट आ पड़ा।

लेकिन श्रीमन्, हम दूसरे प्रदेशों की प्रांतीयता को दोष क्यों दें? उससे भी आगे तो हमारा स्थानीयपन जोर पकड़ता चला जा रहा है। विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में स्थानीयपन के जोर ने कुछ सफलता भी प्राप्त कर ली है जिसके कारण आज पूर्वी यू० पी० में गोरखपुर विश्वविद्यालय बना दिया जिसमें हमारे प्रदेश के ९ जिले सम्मिलित कर दिये गये। आगरा यूनिवर्सिटी से जहां वह कालेज चले गये वहां उसका क्षेत्र भी कम हो गया।

## मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। जो मंत्रि मंडल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया गया था और सदन द्वारा बहस की अनुमति दी गई थी उसके लिये ३ सितम्बर में तारीख निश्चित करता हूं। उस रोज उसके ऊपर विचार होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कै दिन विचार होगा? तीन दिन मिलने चाहिये। उस दफा भी तीन दिन मिल थे।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। यह निश्चय करना सदन के हाथ में है। उस रोज उपस्थित हो जायगा और उस पर विचार प्रारम्भ होगा। सदस्य उसी समय सुझाव देंगे तो जो माननीय नेता सदन और आप मिलकर तय करेंगे, उतने रोज उस पर विवाद होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, ३ सितम्बर से पहले नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। नियम के अनुसार १० दिन से पहले तो होता ही नहीं है। इस लिये मैंने जो ठीक समझा निश्चित कर दिया। १० दिन के बाद होना चाहिये और १५ दिन के बीच में होना चाहिये। इसलिये मैंने ३ सितम्बर रखी है, जिसमें और समय लोगों को विचार करने के लिये मिल जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यान्तर से पूर्व में सदन के सामने यह कह रहा था कि आगरा यूनिवर्सिटी एक आर्थिक संकट के युग से गुजर रही है। जीवन और मरण का प्रश्न उसके सामने उपस्थित है। प्रान्तीयता के जहर ने जहां राजस्थान और मध्य भारत के वह कालज जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित थे अलग कर दिये गये वहां आज अपने प्रदेश में भी इस आगरा विश्वविद्यालय पर अब चहुमुखी आक्रमण हो रहा है।

पूर्वी यू० पी० के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और आज वह ९ जिले जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आ गये हैं आगरा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र से निकल गये। पहाड़ी अंचल के लिये कुमायूं विश्वविद्यालय की मांग सदन के सम्मुख उपस्थित है। मेरठ विश्वविद्यालय की मांग भी बड़े जोरों के साथ कई वर्षों से सरकार के समक्ष आ रही हैं और कानपुर विश्वविद्यालय की मांग भी जोरों पर है। बरेली विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भी आन्दोलन किया जा रहा है और इस प्रदेश के दक्षिण भाग बुन्देलखंड में भी एक यूनिवर्सिटी की मांग है। आगरा विश्वविद्यालय जिसकी सीमा के अन्दर प्रदेश की रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज को छोड़कर प्रदेश का सभी क्षेत्र आता था और भारत की वह समस्त रियासतें जो राजस्थान और मध्य भारत में परिवर्तित हो चुकी हैं आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आती थीं, उन रियासतों के निकल जाने के बाद, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बन जाने के बाद, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आगरा विश्वविद्यालय जिसकी सारी आय विद्यार्थियों के परीक्षाशुल्क से होती है उसका आर्थिक ढांचा किस प्रकार लड़खड़ा रहा होगा। ऐसे युग में हमारा यह पुनीत कर्तव्य है, इस सदन का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय की इस गिरती हुई, लड़खड़ाती हुई आर्थिक दशा को सहारा देने के लिये इस प्रकार का प्रयास करें कि आगरा विश्वविद्यालय अपने गौरव को सदैव प्राप्त करता रहे। लेकिन प्रान्तीयता के साथ-साथ स्थानीयता की मांग जो जोर पकड़ रही है उसका भविष्य क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के स्नातकों का स्तर कायम रह सके, ग्रेजुएट होने के बाद उनका स्टैंडर्ड रह सके तो इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हमें नये-नये विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगानी चाहिये और जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उन्हीं को इस प्रकार का बल देना चाहिये कि वह अपने स्नातकों को एक उच्च श्रेणी की शिक्षा दिला सकें जब कि वैसे भी आज हमारे प्रदेश में हर सूबे से कई गुना ज्यादा विश्वविद्यालय पहले से मौजूद हैं, फिर और विश्वविद्यालय खोलने में कहां तक न्याय होगा, मैं नहीं कह सकता। श्रीमन्, मैं अब यही कहना चाहता हूं कि जब आगरा विश्वविद्यालय का ढांचा इस प्रकार लड़खड़ा रहा है उस समय सदन और सरकार का पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि आगरा यूनिवर्सिटी को पूरी-पूरी सहायता दें। इसी उद्देश्य से सरकार ने सदन के सम्मुख

[श्री जगन्नाथ लहरी]

आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ जो प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। इसके उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ अन्तिम बार १९५३ में संशोधित हुआ था। परन्तु विगत चार वर्षों के समय में संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ। अतः यह प्रस्ताव है कि अधिनियम को संशोधित करके इन कठिनाइयों को दूर किया जाय तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो अधिनियम के उपबन्धों में सुधार किया जाय। अतएव यह विधेयक पुरः-स्थापित किया जाता है। उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि विगत चार वर्षों में आगरा यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन में काफी कठिनाई अनुभव हो रही है। इसी कारण से यह (संशोधन) विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय तिवारी जी ने यह कहा था कि १९५३ में आदरणीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। उसी के अनुसार रिफरेन्स कमेटी को समाप्त कर दिया गया था। कुछ और भी संशोधन किये गये थे उस कमेटी के अनुसार जिसके कारण उस रिफरेन्स कमेटी को समाप्त कर दिया गया था लेकिन आज पुनः उसे क्यों जीवित किया जा रहा है। मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि वह उद्देश्य और कारणों पर एक बार अपनी निगाह डालने की कृपा करें। सन् १९५३ में आदरणीय सम्पूर्णानन्द जी की कमेटी के सुझावों के अनुसार आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन हुआ और उसी के अनुसार रिफरेन्स कमेटी समाप्त हुई। विगत वर्षों के अनुभवों ने यह बतला दिया है कि यह युक्तिसंगत नहीं सिद्ध हुआ। इसलिये आज पुनः इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित किया जाय तथा उन समस्त बातों का इसमें समावेश किया जाय चाहे वह पहले अलग कर दी गई थी या नहीं। इसलिये रिफरेन्स कमेटी की इन चार वर्षों के अनुभव के बाद जो आवश्यकता हुई, उसकी पुनः रचना की जा रही है।

श्रीमन्, प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटीज की तुलना में जहां आगरा यूनिवर्सिटी का क्षेत्र काफी बड़ा और जहां छात्रों की संख्या भी अधिक है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर भी एक योग्यतम व्यक्ति हो, लेकिन किसी कारणवश यदि वाइस चान्सलर ६ महीने के लिये छुट्टी पर चला जाता है या त्यागपत्र दे देता है या किसी अन्य कारण वश वाइस चान्सलर अपने स्थान की ड्यूटी देने में कुछ असमर्थ हो जाता है तो उस समय के लिये इस संशोधन विधेयक द्वारा एक्जिक्यूटिव कौंसिल को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उस अवधि के लिये वाइस चान्सलर अप्वाइन्ट करे, सिर्फ शर्त यह है कि उसकी स्वीकृति चान्सलर से ले ली जाय। इससे पूर्व अभी तक जो नियम था जिसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे पूर्व नियम यह था कि:

"Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University authorities."

यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार होता है वही वाइस चान्सलर को आफिसियेट करता है। अब जैसा मैंने आप से कहा, उस समय रजिस्ट्रार दो-दो ड्यूटी को अन्जाम देता है; रजिस्ट्रार भी होता है और आफिसियेटिंग वाइस-चान्सलर भी होता है, लेकिन जहां रजिस्ट्रार को वाइस-चान्सलर होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस ऐक्ट के मुताबिक वहां वह मीटिंग का सभापतित्व नहीं कर सकता है। सीनेट की मीटिंग या एग्जिक्यूटिव की मीटिंग में यूनिवर्सिटी के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय करने आवश्यक होते हैं वह वाइस-चान्सलर के अनुपस्थित होने के कारण रजिस्ट्रार के स्थानापन्न वाइस-चान्सलर हो जाने पर भी कभी नहीं किये जा सकते हैं आज इस कमी को देखते हुए सरकार द्वारा इस विधेयक में यह संशोधन किया जा रहा है कि स्थानापन्न वाइस-चान्सलर के लिये अब रजिस्ट्रार की नियुक्ति न करके एग्जिक्यूटिव काउन्सिल किसी अन्य योग्य व्यक्ति

को स्थानापन्न वाइस-चान्सलर नियुक्त करे और इसकी स्वीकृति चांसलर द्वारा प्राप्त कर ले। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। एक ऐसा कदम है कि जिसका हर क्षेत्र में स्वागत किया जायगा और मुझे आशा है कि सरकार के इस कदम से यूनिवर्सिटी के सफल संचालन में काफी गति मिलगी।

श्रीमन्, इस आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक द्वारा जो एग्जिक्यूटिव काउन्सिल बनाई जा रही है उसमें अभीतक जो भी प्रतिनिधित्व था उसमें काफी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। जहां अभी तक केवल ३, ४ डीन्स लिये जाते थे वहां अब सभी फैकल्टीज के डीन्स को इसका मेम्बर नियुक्त किया जायगा। चांसलर द्वारा मनोनीत किये हुये सदस्यों का स्थान जहां चार था, उनकी संख्या अब पांच कर दी गयी है। सीनेट द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या पांच के स्थान पर छः कर दी गयी है। इस तरह से डीन्स का प्रतिनिधित्व बढ़ गया, चांसलर द्वारा मनोनीत सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया, सीनेट द्वारा एलेक्टेड सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया, वहां केवल एक बात खटकने वाली है कि आगरा यूनिर्विसटी से अफिलियेटेड कालेजेज के जो प्रिन्सिपल्स थे उनके प्रतिनिधित्व की संख्या अब तक तीन थी, वह इस संशोधित विधेयक द्वारा भी तीन ही रखी गई है। जहां चहुमुखी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने वहां प्रिंसिपल्स का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की है। मैं आप के द्वारा शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रतिनिधित्व जब बढ़ाया ही जा रहा है तो अफिलिएटेड कालेज के प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व भी इसमें बढ़ना आवश्यक है।

साथ ही साथ अध्यापकों के लिये और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के लिये जो एक सुविधा दी गयी है उसका हर व्यक्ति स्वागत करेगा। इसके द्वारा अभी तक जो स्थायी कर्मचारी होते थे या स्थायी टीचर्स होते थे उन्हीं को प्राविडेन्ट फंड, इंश्योरेन्स, ग्रैच्युटी आदि की सुविधा मिलती थी, लेकिन इस संशोधन के द्वारा सरकार ने आगरा यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और अध्यापकों को, चाहे वह स्थायी तौर पर या स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किये जायं, अगर वह ६ महीने से अधिक के लिये नियुक्त होते हैं, यह सुविधा देने का निश्चय किया है। यह एक ऐसा निश्चय है कि जिसका हर कर्मचारी स्वागत करेगा मैं सरकार को इस निश्चय के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

लेकिन श्रीमन्, एक बात है। सरकार द्वारा जहां यह संशोधन किया जा रहा है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि हम देखें कि जो अस्थायी कर्मचारी या अध्यापक आ रहे हैं उनके लिये कहीं इस प्रकार की एक प्रथा न चल जाय कि जहां उनको यह सुविधा मिल रही है वहां वह टेम्पोरेरी या स्थानापन्न ही बने रहें। आवश्यकता इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के स्थायी कर्मचारियों की तरह जब उन्हें प्राविडेंट फंड और इंश्योरेंस आदि की सुविधा मिल रही है, वहां स्थानों के खाली होने पर उन्हें स्थायी स्थानों पर नियुक्त करने का विधान किया जाय, तो ज्यादा हितकर होगा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा जहां यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी से संबंधित कालेजेज के प्रोफेसर्स को परीक्षक होने की सुविधाएं बढ़ा दी गयी हैं, वहां योग्यतम व्यक्ति को ही परीक्षक नियुक्त करने का भी विधान होना चाहिये। अभी तक जहां ५० फी सदी आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापक ही परीक्षक होते थे वहां उसका अनुमान ७५ फी सदी कर दिया गया है। परीक्षक होना गौरव का पद है। किसी अध्यापक को जब परीक्षक बनाया जाता है तो वह उसकी योग्यता का सूचक तो होता ही है, लेकिन वह एक आर्थिक लाभ का पद भी बन जाता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम परीक्षकों की नियुक्ति के समय कुछ इस प्रकार का भी विधान करें कि यूनिवर्सिटी के योग्यतम अध्यापक को ही परीक्षक बनाया जाय, तो अत्युत्तम होगा।

मैं एक बार पुनः आदरणीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के हितों की रक्षा करने के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह स्वागत के योग्य है। आज इस विश्वविद्यालय के जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिये हमें इस विधेयक को जल्द से जल्द पास करना चाहिये। लेकिन हमारे कुछ भाई इसे अनावश्यक देरी से पास कराने

[श्री जगन्नाथ लहरी]
पर तुले हुये हैं । संसदीय परम्परा यह है कि कोई भी विधेयक जब वह दोनों सदनों से एक ही रूप में पारित हो जाय तभी कानून का रूप ग्रहण करता है । यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन से संशोधित होता जाता है तो वह पूर्व सदन को पुनः विचारार्थ लौटा दिया जाता है और अगर उसमें उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया तो संसदीय परम्परा यह है कि दोनों सदनों का सम्मिलित अधिवेशन बुलाकर उस पर विचार किया जाता है। उसमें जिस रूप में वह विधेयक पारित होता है उसी रूप में वह कानून बनने के लिये भेजा जाता है । यह विधेयक हमारी विधान परिषद् द्वारा पारित हो चुका है । आज इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की मांग पेश है, इसकी परिधि बढ़ाने की मांग भी है और कई संशोधन भी आये हैं। अगर इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया और प्रवर समिति ने कुछ संशोधन कर दिये और सदन ने उन्हें मान लिया तो संसदीय परम्परा के अनुसार यह आवश्यक हो जायगा कि यह विधेयक पुनः विधान परिषद् में भेजा जाय । वहां कब इस पर विचार होगा, कोई नहीं कह सकता । यदि विधान परिषद् ने इस सदन द्वारा किये गये संशोधनों को अस्वीकार कर दिया तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाने में वर्षों का समय लग सकता है । आज इस बात को आवश्यकता है कि हम इस विधेयक को जल्दी पास करें और वह तभी हो सकता है जब कि जिस रूप में यह विधान परिषद् से आया है उसी रूप में यह सदन भी इसे पास कर दे । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय की रक्षा के लिये, इसके संरक्षण के लिये, जिस यूनिवर्सिटी पर चौमुखी आक्रमण हो रहा है, उसके सम्मान और गौरव की सुरक्षा के लिये सदन का यह पुनीत कर्तव्य है कि इस विधेयक को बिना किसी विलम्ब के शीघ्र पास करे । मैं पुनः अवस्थी जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जिस रूप में वह सरकार द्वारा पेश किया गया है, हार्दिक स्वागत करता हूं, उसका समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इसे अविलम्ब पारित किया जाय ।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया) --उपाध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों से इस विधेयक का स्वागत हो रहा है, इसलिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन नारायणदत्त जी ने जो एकाध विचार प्रकट किये हैं उनपर मैं कुछ कहना चाहता हूं । उन्होंने ठीक नकशा नहीं रखा, इसलिये बोलने की आवश्यकता हुई । लहरी जी ने भी विधेयक का समर्थन किया । साथ ही हमारे भाई मोतीलाल जी प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे हैं । इसमें जितने भी सुझाव हैं वे आवश्यक हैं, तो फिर प्रवर समिति में क्या विचार होगा ? उनको इच्छा है, वह अपना सुझाव वापस लें या न लें, लेकिन वह अनावश्यक है । ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर, जैसा एक भाई ने कहा, इस तरह की मांग करना संसदीय परम्परा के अनुसार अनावश्यक ही मालूम होता है ।

जब विश्वविद्यालयों की प्रथा अपने देश में चली तो पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी कायम हुई । उससे आवश्यकता की पूर्ति न होने पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई । जिसमें केवल १० मील के कालेज सम्बद्ध हो सकते थे । इसलिये यह आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी कायम की जाय जिसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के कालेजों को सम्बद्ध किया जाय। तो १९२६ में आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआ । इसके बाद जब हमने रीजनल या जोनल विश्वविद्यालयों का सिद्धांत मान लिया तो इस बीच में लखनऊ, काशी अलीगढ़ और गोरखपुर तथा रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कायम हुए । आगरा यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कालेज भी होते हुए यह आवश्यक हुआ कि प्रदेशों का परिसीमन होने पर भिन्न-भिन्न जगहों के कालेज इसमें न रहें । नारायणदत्त जी ने कहा कि यह विधेयक पहले से आना चाहिये था । गोरखपुर विश्वविद्यालय न होने से देवरिया, बलिया और गाजीपुर में कोई डिग्री कालेज स्थापित करना होता तो उसे किस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करते ? मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विश्वविद्यालय स्थापित हो गये हैं और उन्होंने अपने-अपने कालेजेज को उनके अन्तर्गत कर दिया है । इसलिये यह सामयिक ही रहा कि

सेन्ट्रल इंडिया ऐजेन्सी के कालेजेज इसके अन्तर्गत नहीं रहे और इसको उत्तर प्रदेश से ही सीमित कर दिया गया, यह भी ठीक ही है । इस प्रकार जो यह संशोधन लाया गया है वह उचित ही है ।

इस में दो एक संशोधन ऐसे हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं । उनमें से एक अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के बारे में है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बारे में है । आजकल की जो स्थिति है उसके अनुसार इस संशोधन का इसमें समावेश होना आवश्यक ही था । १९५२-५३ में यह स्थिति नहीं थी, उस समय यह नहीं हो सकता था । इसलिये इस समय जो यह संशोधन लाया गया है वह अत्युत्तम है ।

एक बात माननीय तिवारी जी ने कही कि आगरा यूनिवर्सिटी में चान्सलर का नामीनेशन चार के बदले पांच कर दिया गया है । उसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में ही बता दिया था कि आगरा यूनिवर्सिटी में ६ फैकल्टीज हैं जिनके पहले ६ प्रतिनिधि आते थे, लेकिन अब ९ आयेंगे एग्जिक्यूटिव में । जब एक और तीन प्रतिनिधि अध्यापकों के बढ़ाये गये हैं वहां चान्सलर का केवल एक ही बढ़ाया गया है । इस हालत में भी अध्यापकों के ही प्रतिनिधि एग्जिक्यूटिव में अधिक बढ़े हैं । इसी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि टीचर्स के प्रतिनिधि अधिक बढ़ गये हैं, इसलिये गड़बड़ी हो सकती है । उन्हें इसका दुख भी हुआ । आजकल यह एक प्रथा सी हो गयी है और बार-बार यह कहा जाता है कि टीचर्स पालिटिक्स में पड़ जायेंगे । टीचर्स पालिटिशियन का लाक्षणिक अर्थ यह होता है कि अगर टीचर्स अपनी संस्थाओं में पालिटिक्स में पड़ जायेंगे तो गड़बड़ी हो जायगी । लेकिन वे पढ़े लिखे आदमी होते हैं, पालिटिक्स से वह दूर नहीं रह सकते । पालिटिक्स के वे डाक्टर होते हैं और दूसरों को भी वे पालिटिक्स सिखाते हैं । ऐसी हालत में वे उससे दूर कैसे रह सकते हैं ? वे पढ़े लिखे आदमी हैं, गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं ? इसलिये कि उनका यह कहना कि टीचर्स एग्जिक्यूटिव में ज्यादा हो गये हैं इसलिये गड़बड़ी हो सकती है, एक अनहेल्दी टिप्पणी (criticism) है । अतः शिक्षा मन्त्री जी ने जो टीचर्स को महत्ता प्रदान की है और उनकी संख्या ६ से बढ़ाकर ९ कर दी गयी है, वह बहुत ही उत्तम है । इस प्रकार से जो अध्यापकों को मान्यता दी गयी है, वह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

माननीय तिवारी जी ने रिफरेंस कमेटी का भी जिक्र किया । यह ठीक है कि कि हमारे विश्वविद्यालय धनाभाव की कठिनाई का सामना कर रहे हैं और प्रदेशीय सरकार पर उनका बहुत बोझा पड़ रहा है । माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, प्रारम्भिक, आदि और शिक्षा पर भी उसको खर्च करना होता है । अगर वह विश्वविद्यालय की शिक्षा में ज्यादा खर्च कर देती है तो उसके कारण नीचे की शिक्षा में जो कमी आयेगी वह भी सही नहीं है । इसमें जो रिफरेंस कमेटी की स्थापना की गयी, है, उसमें मुझे एक बात खटकती है । वह यह कि पहले तो गवर्नमेंट को ही हरएक यूनिवर्सिटी का चान्सलर नियुक्त किया जाता था और उसी को प्रशासन की पावर्स होती थी, लेकिन अब प्रशासन के लिये कुछ पावर्स रिफरेंस कमेटी को भी दी हैं । वैसी हालत में मैं समझता हूं कि अगर कोई सावधानी बरती नहीं गई तो रिफरेंस कमेटी और गवर्नर में क्लैश हो सकता है । उन दोनों में मतभेद हो सकता है । इसलिये हमें यह देखना होगा कि किस स्टेज पर गवर्नर का परामर्श लिया जायगा और किस स्टेज पर रिफरेंस कमेटी का । यहां एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है और मेरे खयाल से किसी भी गवर्नर चांसलर को आपत्ति हो सकती है और उसके काम में थोड़ी रुकावट हो सकती है । हालांकि वहां चांसलर को हर तरह की पावर दी गयी है, लेकिन मैं इससे मैं मतभेद रखता हूं और उससे अपनी असहमति प्रकट करता हूं ।

जहां तक परीक्षकों की बात है, पहले एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आधे होते थे और यह आवश्यक भी था क्योंकि मैं भी परीक्षक हूं और मैं समझता हूं कि इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें मुझे कुछ शंका है । और बाकी जितने संशोधन किये गये हैं वे बड़े आवश्यक हैं ।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय अवस्थी जी ने जो इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही है उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिये कि उससे केवल समय का अपव्यय ही होगा। इसलिये ऐसा आवश्यक संशोधन विधेयक जो स्वागत करने योग्य है और जिसके द्वारा हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा भारी कदम उठा रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय अवस्थी जी से निवेदन करता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रदेश में आगरा यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के रूप में बहुत बड़ी सेवा की है और माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक इस माननीय सदन में रखा गया है, उसमें जहां तक अच्छी बातें हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उदाहरणार्थ, एग्जिक्यूटिव कौंसिल के पावर को जहां तक बढ़ाया गया है और अनुशासन के मामले में एग्जिक्यूटिव कौंसिल के पावर को कम करना, साथ ही साथ एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर्स को दो टर्म्स के बाद फिर खड़े न होने के जो सुझाव हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन मान्यवर, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इस संशोधन विधेयक में आना आवश्यक था। मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उन तीन कालेजों की ओर दिलाना चाहता हूं जो राजकीय कालेज नैनीताल, ज्ञानपुर और रामपुर में हैं। मान्यवर इन कालेजों के सिलेबस, इन कालेजों के कोर्स तो आगरा यूनिवर्सिटी तय करती है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निरीक्षण इन कालेजों का कौन करता है? जहां तक मुझे सूचना है कि इन कालेजों में कोई भी ऐडवाइजरी बाडी दिन प्रति दिन के कार्य के लिये नहीं है।

एक दूसरी चीज माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह ओरिजिनल ऐक्ट बना था उस समय आगरा यूनिवर्सिटा में ऐसा कोई भा कालेज नहीं था जो सरकारी कालेज हो और जिसका कोर्स आगरा यूनिवर्सिटी तय करे। मान्यवर, मैं इसका उदाहरण माननीय सदन को इसलिये देता हूं कि अगर कोई कालेज खोलना हो तो उसको अनुमति तो आगरा यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन सरकार चाहे तो उसकी अनुमति को रोक देती है। उदाहरणार्थ आगरा यूनिवर्सिटी ने नैनीताल कालेज को ला-क्लास खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से उसको अच्छा नहीं समझा और उसकी अनुमति रोक दी। तो मेरा सुझाव यह है कि उनके दिन प्रति दिन के कार्य के लिये वहां कोई मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी नैनीताल कालेज देखने के लिये तैयार हुए, लेकिन किन्हीं वजहों से वे वहां नहीं जा सके। मैं यह नहीं कहता कि उनको वहां जाने से मना कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में वे जब वहां गये तो उन्होंने यह इच्छा प्रकट की यहां पर एक ग्रीष्मकालीन अनुसंधालय खोला जाना चाहिये जहां लोग जाकर रिसर्च करें। तो मैं चाहूंगा कि जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में प्राविजन है कि कोई जांच समिति बनायी जाय जो आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर हो।

नैनीताल के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस कालेज के जितने अच्छे-अच्छे अध्यापक हैं वे छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उस कालेज में रिसर्च के लिये कोई इक्विपमेंट नहीं है, अनुसंधानशाला के लिये कोई जगह नहीं है। माननीय कैलाश प्रकाश जी स्वयं देख आये हैं कि वह अनुसंधानशाला बरामदे में है। तो इस

संशोधन विधेयक में जहां तक अच्छी बातें हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, साथ ही साथ हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि जहां पर खामियां हैं उनको दूर करने के लिये भी हम दरख्वास्त करें।

इस प्रिंसिपल ऐक्ट में खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो भी वाइस-चांसलर हैं, वे सिनेट के मेम्बर हो सकते हैं लेकिन हमारे सामने जो संशोधन विधेयक आया है उसमें कहा गया है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो उपकुलपति हैं उनको सीनेट का मेम्बर बनने से क्यों रोका जा रहा है ? एक ओर तो हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल व सीनेट तथा एकेडेमिक कौंसिल में ऐसे लोग होने चाहिये जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य हो, वहां हम उपकुपलति को उसका मेम्बर होने से रोक रहे हैं जो कि शिक्षा के फील्ड में एक विशिष्ट ज्ञान रखते हैं।

दूसरे प्रिन्सिपल ऐक्ट की धारा २४-ए को पढ़ देना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि एक आटोनामस कालेज होगा —

"It shall be lawful for the University to grant to an affiliated college, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University, and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such college shall be determined in each case by the University. Such a college shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes."

श्री उपाध्यक्ष--इस विधेयक में इसका जिक्र कहां है ?

श्री प्रतापसिंह--विधेयक में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--इतने विस्तृत रूप से मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री प्रतापसिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के पास जाना चाहिये ताकि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके।

जहां तक इस संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ बातें जहां हम इसे इम्प्रूव करने के लिये ऐड कर रहे हैं वहां कुछ बातें छोड़ भी रहे हैं। उदाहरण के लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि इन तीनों कालेजेज के बारे में तो इसमें कोई भी चीज नहीं रखी गयी।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हम यह चाहते थे कि माननीय मंत्री जी के जमाने में संशोधन विधेयकों में कुछ विशेष संशोधन किये जाते। अबतक तीन संशोधन विधेयक, इलाहाबाद, आगरा और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं। आज यह आगरा यूनिवर्सिटी का संशोधन विधेयक आया है। यह सर्वमान्य है कि सबका रूप एक सा है। जैसा कि ट्रेजरी बेंचेज से कहा गया कि ट्यूग्रेड सिस्टम इलाहाबाद, लखनऊ व आगरा यूनिवर्सिटीज में लागू किया जा चुका है, लेकिन आगरा के लिये कहा गया कि यह मुमिकन नहीं। मैं यह मानता हूं कि आर्थिक समस्या हमारे सामने जरूर है। लेकिन स्टेटस देने में क्या दिक्कत है। अगर वहां टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर्स का स्टेटस दे दिया जाय और ग्रेड वह न दिया जाय तो इसमें क्या हानि है, इसे माननीय मंत्री जी समझाने की चेष्टा करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते रहे हैं इस सदन में कि वे अध्यापकों का दर्जा ऊंचा करना चाहते हैं और सारगर्भित, ओजस्वी व साहित्यिक भाषण वे

[श्री प्रताप सिंह]

सदन में देते हैं उससे भूखे अध्यापकों का पेट तो अवश्य भर जाता होगा। अगर आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी वही स्टेटस दे दिया जाय तो इसमें क्या कठिनाई है यह मेरी समझ में नहीं आता।

प्रोफेसरों के लिये यह आवश्यक है कि उनकी सर्विस सिक्योर हो। ये जितने कालेजेज हैं उनके अध्यापक इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि उनकी सर्विसेज सिक्योर्ड हैं। उनको डर्टी पार्टी पालिटिक्स में डाल दिया जाता है। उनकी सर्विसेज सिक्योर्ड नहीं की जातीं। इसके साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो एफिलेयेटेड करेक्टर है उसे खत्म करके उसे रेजिडेंशियल यूनीवर्सिटी बनाया जाय। उसका एसोशियेटेड रूप न हो कर फेडरेटिव रूप हो। दूसरे अध्यापकों को दूसरी यूनीवर्सिटीज की तरह लायब्रेरी और मेडिकल फेसिलिटीज मिलनी चाहिये क्योंकि वह उन्हें वहां प्राप्त नहीं हैं। मैं चाहता था कि ऐसा प्राविजन इसमें होता कि अध्यापकों को रिसर्च करने का मौका मिलता ताकि वह अपनी ओरिजिनलिटी को हमारे सामने लाते, समाज के सामने लाते। लेकिन मान्यवर, अगर मैं यह कहूं कि आज के विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनका मस्तिष्क केवल एक इन्फार्मेटिव सेंटर होता है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होती। हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आये हैं। लाइब्रेरी से राधाकृष्णन की रिपोर्ट ले आते हैं, पढ़ के कोट कर देते हैं। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिसमें कि आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही नहीं टीचर्स को भी रिसर्च करने का मौका मिले। नयी नयी चीजें साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारे सामने आ सकें।

एक चीज जिसका माननीय मंत्री जी रोज जिक्र करते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आ रही है.....

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय प्रतापसिंह जी, यह सब विषयान्तर है। जो माननीय मोतीलाल जी अवस्थी ने संशोधन पेश किया है उसमें परिधि बढ़ाने का भी जिक्र नहीं है, इसलिये मैं सारे विषयों पर जिक्र करने की इजाजत नहीं दे सकता।

**श्री प्रतापसिंह**—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक में जो भी चीजें हमने अभी कहीं उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास जाय और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके शिक्षा मंत्रित्व काल में अवश्य अध्यापकों की दशा में सुधार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन इसलिये करता हुं कि जैसा कि अभी लहरी जी ने कहा कि विश्वविद्यालय को बचाना है। वह एक आर्थिक कठिनाई में पड़ गया है। तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर यहां विचार नहीं हो सकता। यहां तो दलगत राजनीति में पड़ जाते हैं। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे कि इन सब बातों पर विचार हो सके और जो माननीय लहरी जी ने कहा या और माननीय सदस्यों ने कहा उन सब पर गौर हो सके।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

***श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि अभी कुछ ऐसी बातें कहने को रह गई हैं जिनका बतलाया जाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत्यन्त आवश्यक है। अभी इस पर बहुत कम समय मिल सका जैसे अभी मैं ही नहीं बोल सका, मैं भी बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत सी बातें रह गई हैं जिनका बताना आवश्यक है।

**श्री उपाध्यक्ष**--एक भाषण माननीय रामस्वरूप वर्मा का और हो जाय तब मैं इस प्रस्ताव को ले लूंगा। लेकिन इसका खयाल रखिए कि एक ही बात को बार-बार दोहराने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--हम तो कभी दोहराते नहीं श्रीमन्। हमारे पास तो कहने को इतना रहता है कि उतना ही कहने भर को समय नहीं मिलता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं कुछ अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकूं। मैं श्री मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैंने ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कुछ माननीय दोस्तों का भाषण सुना जैसे साथी नवलकिशोर जी का और माननीय दीप्तनारायणमणि त्रिपाठी जी का तो मुझे थोड़ी सी निराशा इस बात पर हुई कि उन्होंने इस विधेयक के उस सार अंश को जिसका असर तमाम आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों पर, आगरा यूनिवर्सिटी के आर्थिक ढांचे पर पड़ेगा, उस पर उन्होंने विचार नहीं किया और न उस सम्बन्ध में कोई अपना अच्छा मत प्रकाशन किया। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि बिल के उन अंशों को जिनको माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने भी समर्थन किया, और अच्छा बताया, उन्हीं का परिज्ञान करने में उन्होंने अपने समय को खर्च किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना महत्वपूर्ण यह विधेयक है और हम लोग यह चाहते हैं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो जाय जो प्रवर समिति में ही सम्भव है क्योंकि यह सदन उसके लिये इतना समय नहीं दे सकता है और प्रवर समिति में विचार होने के बाद जो बिल आयेगा उसमें पुनः संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन तमाम कारणों से मैं यह निवेदन कर रहा था। उदाहरण के लिये, धारा ४ में यह कहा गया है कि खंड (२) की मद (५) निकाल दी जाय। एक तरफ तो श्रीमन्, यह कहा जाता है जब कभी नामिनेशन का सवाल आता है, नामांकित करने का सरकार द्वारा प्रश्न आता है, तो यह कहा जाता है कि विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये विशेष विद्वान आदमियों को लाने के लिये हम यह कोशिश कर रहे हैं, इसलिये नामांकन की व्यवस्था इसमें रखी गई है, दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में विधिवत निर्मित विश्वविद्यालय हैं, उनके उपकुलपतियों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर क्यों दो प्रकार की जबान मंत्री जी के मुंह से निकल आयी। एक तरफ तो योग्य आदमियों को प्रतिनिधित्व दिया जाय इसलिये नामांकन करते हैं, दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालयों के उपकुलपति हैं उनमें कौन सी खामी पायी गई जिसके कारण उनका सीनेट से प्रतिनिधित्व निकाल दिया गया कि वह नहीं रह सकते? तो श्रीमन्, मैं मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक सोचने के लिये इसको प्रवर समिति को भेजा जाय।

इसी प्रकार माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि ४ आदमियों की जगह ५ आदमी नामांकित करने की बात इसलिये बढ़ा दी गई कि डीन आफ फैकल्टीज की संख्या ज्यादा हो गई और इस तरीके से कुछ सदस्य बढ़ गये तो इस वजह से सरकार को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। श्रीमन्, जहां तक मैं समझ पाया नामांकन का उद्देश्य सरकार यही बताती है कि कुछ ऐसे आदमी रखे जाते हैं जो योग्य हों और चुनाव के द्वारा न पहुंच सकें। अब श्रीमन्, विधेयक को अगर देखें तो ५ आदमी बढ़ा दिये गये, लेकिन

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

इसमें कोई विशेष प्रकार की विशेषता नहीं रखी गई कि वे किस प्रकार के होंगे। पहले यह था कि उसमें एक इंजीनियर जरूर होगा। लेकिन अब की मर्तबा जो संशोधन आया है उसमें रख दिया गया कि ५ आदमी होंगे। इसका अर्थ केवल इतना ही है, सरकार का मंशा यह है कि वह यूनीवर्सिटी का बैलेंस आफ पावर अपने कब्जे में रखे। इसलिये नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ा दो। अगर यह मकसद है कि ऐसे लोग जो योग्य हैं और यूनीवर्सिटी के प्रबन्ध में जिनकी आवश्यकता रहती है और वह चुनाव से न पहुंच सकें तो इस धारा का एक विशेष अर्थ होता और व्याख्या लगी रहती कि योग्यता के किन-किन क्षेत्रों से सरकार नामिनेट करेगी। मंशा माननीय नवलकिशोर जी के भाषण से जाहिर हो गई कि चूंकि इधर आदमी बढ़े इसलिये ४ की जगह ५ कर दिये ताकि बैलेंस आफ पावर अपने हाथ में रहे। इस विधेयक में अगर शुरू से आखीर तक देखें तो केवल सरकार के हाथ में ताकत बढ़ाने की बात इसमें सोची गई है।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने बड़ी प्रशंसा की कि ऐग्जिक्यूटिव को ताकत मिल गई। ठीक है, कुछ दूर तक मिली, लेकिन अंतिम अंश को देखें जिसमें यह लिखा गया है कि वित्तीय मसलों में एक कमेटी कोई अगर आर्डिनेंस जारी करना चाहती है तो सरकार से प्रीवियस सैंकशन ले। श्रीमन, वही हालत है कि तमाम विधेयक को पहले से देख गये, माननीय सदस्यों ने तारीफ भी कर दी लेकिन मूल मंशा नहीं देखी। मैंने जब इसको देखा तो एक अखबार का विज्ञापन याद आ गया। कुछ दिन पहले एक विज्ञापन निकलता था एक महात्मा जी पहाड़ में रहते थे, उन्होंने ऐसी दवा बनाई कि जो कोई खाये वह तन्दुरुस्त हो जाय। लेकिन किन चीजों से निर्मित हुई है उसकी एक लम्बी प्रक्रिया देते थे और वह इतनी लम्बी प्रक्रिया होती थी कि आयुर्वेद के हिसाब से मालूम होता था कि सही औषधि बनेगी, लेकिन प्रोसेस ऐसा था कि उसका बनाना एक प्रकार से मुश्किल ही था और अन्त में लिखा रहता था कि यदि आप न बना सकें तो बनी, बनाई ५ रु० की मंगा लें। जिस प्रकार भगवान ने गीता में कहा कि बुद्ध योग, कर्म योग और सांख्य योग से मोक्ष मिलेगा, लेकिन अन्त में कह दिया कि 'सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज:' सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा। यही इस विधेयक का हाल है। क्योंकि आखिर बिना पैसे के संस्था कोई संचालित होती नहीं और पैसे के मामले में अगर कोई विश्वविद्यालय आर्डिनेंस निकाले तो यह सरकार की मंजूरी पहले ले। अन्ततोगत्वा सरकार अपने हाथ में चाहती है कि यूनीवर्सिटी खुले और कोई ऐसा महत्व-पूर्ण काम न कर सके जिससे स्वतन्त्र हो कर वह अपनी सत्ता स्थापित करे। छोटी छोटी बातों को देख कर सदस्यों ने तारीफ भी कर दी कि ऐग्जीक्यूटिव को ताकत दे दो, वाइस-चांसलर के चुनाव में पहले वाइस चांसलर की जगह पर। तो यह सब ऐसी बातें हैं कि जिन की वजह से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। यह सिद्धान्त जरूर अच्छा है लेकिन अन्तिम धारा के कारण तमाम सिद्धान्त पर तुषारपात हो गया और जो लाभ होने वाला था वह अब नहीं हो सकेगा।

इस के साथ ही मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार की मंशा यह है और होनी भी चाहिये, सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा होगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के या आगरा यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी निकलें और जो यहां पर खोज हो, रिसर्च हों, जिन लोगों को डाक्टर की उपाधि मिले वह योग्यतम व्यक्ति हों और उन व्यक्तियों के द्वारा हमारा और विश्वविद्यालय का सम्मान हो। परन्तु मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों की यह राय है कि उस की शिक्षा का स्टैंडर्ड नीचा है और इस के २ मुख्य कारण हैं। उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि अध्यापकों का जो वेतन है वह बहुत कम है और वह भी वहां के विभिन्न अफीलियेटेड कालेजों में ठीक तरीके पर नहीं मिलता। इस के विषय

में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां जिक्र भी किया कि अगर लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय में २ ग्रेड हैं तो यहां भी वह होने चाहिये और आगरा को भी उनके ऐट-पार लाना चाहिये। यदि वह सिद्धान्त जो दूसरे विश्वविद्यालयों में लागू है यहां भी लागू किया जाय तो समस्या काफी हल हो सकती है। आज स्थिति यह है कि अच्छे दिमाग वहां जाने के लिये तैयार नहीं होते। यह स्थिति वहां के ग्रेड की समस्या ठीक करने पर ही बदल सकती है और ऊंचे दर्जे के लोग वहां जाने को तैयार हो सकते हैं।

दूसरा कारण यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जितने कालेजेज है उन में रिसर्च के काम के लिये ऐसे लोग नहीं जाते जो ऊंचे दर्जे के विद्वान हों।

इस में आगे लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा २५ (ए) निकाल दी जाय। इस से जो पाबन्दी थी उसको हटाया जा रहा है। कल को कोई अध्यापक नवयुवक हो सकता है और किसी को भी इजाजत दे सकता है। कैसे रोका जायेगा अध्यापक को कि वह ऐसा न करे? यह जवाब में कहा जा सकता है कि ऐसा न होगा और इजाजत नहीं दी जायगी, लेकिन जब यह चीज कानून में नहीं रहेगी कि जिससे इजाजत में कोई दखल दिया जा सके तो कैसे होगा और कौन रोक सकेगा? इस तरह से तो जो वहां के लो स्टेंडर्ड की शिकायत है वह और भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वहां से मौलिक रचनाओं और खोजों वाले लोग कम निकलते हैं, वहां पर कम वेतन के कारण योग्य लोग नहीं आते।

इसके अलावा वहां का कुछ संचालन ऐसा है कि कोर्स वगैरह के सेलेक्शन में बहुत ही लीनियेन्ट और लिबरल तरीके पर काम होता है, जिसके कारण वहां एक निश्चित मापदंड कायम नहीं हो पाता। यदि इस धारा को भी हटा दिया गया तो जो रहा सहा मापदंड है भी वह भी खत्म हो जायगा। इस तरह से चाहे किसी कालेज में योग्य स्टाफ होगा या न होगा, हर कालेज खोज के काम को अपने यहां चलाने की कोशिश करेगा और खोज एक मखौल का विषय हो जायगी। इस तरह से न तो कोई मापदंड रहेगा और न योग्य विद्यार्थी ही वहां से निकल सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अन्त में केवल एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं तिवारी जी से थोड़ा-सा मतभेद रखता हूं। यह बात कि तीन चौथाई परीक्षक या एग्जामिनर आगरा यूनिवर्सिटी के हों जिस से ज्यादा पैसे वहां के अध्यापकों को मिलेंगे यह मेरी समझ में नहीं आती। मैं निवेदन करूंगा कि अगर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और वहां के परीक्षा संबंधी नियमों का अवलोकन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आधे से कम प्रोफेसर्स को एग्जामिनर नहीं रखना चाहिये और इससे कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी व्यवस्था है। इस तरह से अगर यहां की कापियां दूसरी यूनिवर्सिटी में जायंगी तो वहां की कापियां यहां भी तो आयेंगी और इस तरह से कोई ज्यादा क्षति नहीं होती है। हां, यह हो सकता है कि कुछ लोगों का एक चौथाई नम्बर के बढ़ जाने से ज्यादा पैसा बन सके और उनको कुछ नुक्सान हो, लेकिन साथ ही साथ एक निष्पक्षता और एक मापदंड जो योग्यता का है वह इससे कायम रहेगा। तो मैं इस निश्चित मत का हूं कि इस धारा के हटने से चाहे टीचर्स को सरकार ने खुश करने की कोशिश की हो, लेकिन दूसरी तरफ जो नुक्सान होगा और जो माप-दंड यूनिवर्सिटी की योग्यता का गिरेगा, जो लोगों की एक आस्था बनी थी कि बाहर के एग्जामिनर्स होते हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी आयेगी। तो मैं इस ओर भी ध्यान दिलाते हुए, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह जानना चाहूंगा कि क्या ये सब बातें इस सदन में बैठ कर तय की जा सकती हैं? सदन के पास तो इतना समय भी नहीं है। इसके लिए तो एक ही उपाय है कि इसको प्रवर समिति में भेजें और इन सब बातों पर वहां गम्भीरतापूर्वक विचार करें ताकि इस प्रकार बार बार संशोधन लाने की आवश्यकता न रहे। एक हफ्ते में कोई धरा नहीं धंस जायेगी और न आसमान फट पड़ेगा। एक हफ्ते में प्रवर समिति से विचार होकर रिपोर्ट आ जायगी और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सब त्रुटियां दूर हो जायंगी। इस प्रकार इस प्रदेश का और खास तौर से आगरा विश्वविद्यालय का बड़ा हित होगा और तमाम जनता के लिए उचित होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करें।

*गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर एक दिन और विचार हुआ था और आज प्रातःकाल से इस समय तक इस पर विचार हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है और अवश्य ही कुछ और बातों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक समझा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। ऐसा मैं समझता हूं कि यह विधेयक कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन नहीं करता है अधिनियम में। ऐसी स्थिति में जिस विचार से और जिन चीजों को लेकर यह प्रस्तुत किया गया है उस पर दृष्टिपात करते हुए यह आवश्यकता नहीं रह जाती कि इसे किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं अवस्थी जी का आदर करता हूं और यह मानता हूं कि उन्होंने इस विचार से कि इसमें कुछ और सुधार हो, यह प्रस्ताव रखा, पर मेरी प्रार्थना उनसे यह है कि वह देखें कि इसमें जो सुधार किये गये हैं वे ऐसे नहीं हैं जिनके लिए उसमें कुछ विलम्ब करने की आवश्यकता हो। कुछ खास कारणों से वह सुधार किये जा रहे हैं। जो मूल अधिनियम के स्वरूप को रखते हुए ३–४ वर्षों में काम करने में जो कठिनाइयां हुई हैं, उनके परिहार के उद्देश्य और विचार से, यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

फिर इसकी परिधि को व्यापक करने का उनके प्रस्ताव में कोई सुझाव नहीं है। तो इसके माने तो यह होते हैं कि जितना संशोधन उपस्थित है और जो अधिनियम है उसी की सीमा के अन्दर वह विचार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जब इस विधेयक की परिधि को विस्तृत करने का उनका कोई इरादा नहीं था तब यह और भी आवश्यक नहीं रह जाता कि हम इसको किसी प्रवर समिति के सुपुर्द करें। तो मैं तो उनसे बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस कर लें और हमारे इस विधेयक को स्वीकृत हो जाने दें। इस पर विधान परिषद् में भी काफी बातचीत हुई ह और यहां भी माननीय सदस्यों ने प्रायः जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं उन पर उन्होंने अपना प्रकाश डाल दिया है।

दो-तीन-चार बातें कही गयीं, जिनके सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री नारायणदत्त जी ने यह कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो टीचर्स के खिलाफ वाइस-चांसलर को लाने का अधिकार है उसे इस बिल से निकाला नहीं गया तो मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का सैक्शन था, लखनऊ में और प्रयाग में वह पहले से ही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरे तरीके से है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं है। मुझे खेद है और बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि नारायणदत्त जी जो सदा काफी पढ़कर और सब चीजों को देखकर और समझकर किसी विषय पर बोलने के लिये उठते हैं, इस विधेयक पर सहसा आकर बोल गये। उन्होंने बहुत सी चीजें नहीं देखीं। एक के बाद दूसरी गिनाने की कोशिश करूंगा जिससे उन्हें स्वयं मालूम हो जायगा कि उन्होंने बहुत सी चीजें देखी नहीं हैं। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट जो है, उसमें से जिन सैक्शनस को हमने निकाला है वह पहले से हैं ही नहीं। इतना ही है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जहां मौजूद हैं, जिनको निकाला है, इंक्वायरी कमेटी बैठे आदि, जितने प्रावीजन्स थे वह सब लखनऊ और प्रयाग से निकाल दिये। सौभाग्य की बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में वह पहले से नहीं थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात उन्होंने यह कह दी कि तुमने पहले स्टैट्यूट्स क्यों नहीं बनाये आटोनोमस कालेजेज के ? अब मैं कैसे कहूं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन यदि वह देखें कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट का जो पहला स्टैट्यूट बना है उसमें आटोनोमस कालेजेज के नियम बने हुये हैं। हमारे मित्र प्रतापसिंह जी ने भी इसी बात को दुहरा दिया। स्टैट्यूट्स बनाने का जो काम गवर्नमेंट का था वह बने हुये हैं। उसमें लिखा हुआ है कि:—

"The management of an affiliated college desirous of obtaining privileges of an autonomous college under section 24 (A) of the Act shall apply to the Registrar specifying clearly . . . . ."

यह स्टैट्यूट्स मौजूद हैं और आटोनोमस कालेजेज के नियम दिये हुये हैं। किसी भी अफीलियेटेड कालेज का अधिकार था कि वह एप्लाई करे। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह नियम बना दिये हैं और ऐक्ट में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में यह कहना कि नियम नहीं बने, मैं समझता हूं कि कदाचित उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

एक बात उन्होंने और कही और अभी वर्मा जी भी कह रहे थे कि इंजीनियरिंग को निकाल दिया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी फैकल्टी आगरा यूनिवर्सिटी में है। अब तक वहां ६ डीन्स हुआ करते थे और ८ फैकल्टी थीं। लेकिन लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय में जितनी फैकल्टी हैं उतने ही डीन्स होते हैं। जो डीन्स होते हैं वह एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य होते हैं और जितनी फैकल्टी होती हैं उतने ही डीन्स होते हैं। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में ८ फैकल्टी थीं और ६ डीन्स थे। इसलिये ऐसा समझा गया कि वहां फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग का आदमी अलग से रखा जाय। अब जितनी वहां फैकल्टी हैं उतनी ही डीन्स की जगह कर दी गई हैं। अब ९ डीन्स हो जायेंगे। एक फैकल्टी आफ टेक्नोलोजी का और डीन हो गया है। अब सारी की सारी फैकल्टी अपने डीन्स के द्वारा रिप्रेजेन्ट हो जायंगी। अब तो नियम यह हो गया है कि जितनी फैकल्टी होंगी उतने ही डीन्स होंगे। अगर दस फैकल्टी होंगी तो दस और ग्यारह होंगी तो ११ डीन्स होंगे, तो प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों के डीन्स, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय के हों या प्रयाग के हों, सब एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हो जाते हैं। यहां भी यही नियम बना दिया गया है। अब इंजीनियरिंग का डीन भी मौजूद है। यह कि इंजीनियरिंग को निकाल दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। वर्मा जी ने भी नहीं देखा। वह भी सहसा खड़े हो गये और कई बातें ऐसी कह दीं कि उसका अध्ययन नहीं किया कि किन चीजों से उसका सम्बन्ध है और मजे में कहते चले गये। इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि वहां मौजूद है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि, साहब, चांसलर को ४ की जगह पर ५ का अधिकार दे दिया है। इसका उत्तर हमारे मित्रों ने कुछ दिया। राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट की जो बात कही जाती है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल पैरिटी की बात कही गयी है और विश्वविद्यालयों में हमने जो रिप्रेजेन्टेशन दिया है वह पैरिटी रख कर दिया है। यहां पहले ६ डीन्स हुआ करते थे। अब ९ हो जायंगे। ३ की तादाद बढ़ गयी। पैरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, इस लिए एक तो आन रोटेशन सीनियारिटी से और बढ़ा दिया। ५ की जगह ६ हो गये और जो चांसलर नामिनेट करता था ४, उसको ५ किया। तो दो उधर बढ़े, तीन इधर बढ़े। करीब करीब पैरिटी मेंटेन हो गयी, यद्यपि बैलेंस इंटरनल टीचर्स की तरफ हुआ। इसमें चांसलर के अधिकार बढ़ाने की बात नहीं हुई। आपने इससे पैरिटी मेंटेन की जिसका बैलेंस टीचर्स के हक में गया।

प्रिंसिपल्स आफ ऐफीलिएटेड कालेजेज के बारे में लहरी जी कह रहे थे। उसमें यह है कि अब तक ऐक्ट में है कि तीन प्रिंसिपल्स बाई रोटेशन, आन दि बेसिस आफ सीनियरिटी मेम्बर होते हैं। यह तब से चला आ रहा है जब कि आगरा यूनिवर्सिटी का जूरिस्डिक्शन प्रदेश के बाहर भी था, यानी राजस्थान और सेंट्रल इंडिया एजेंसी का जो हल्का था। अब करीब ३२, ३६ कालेज उनके निकल गये। प्रतिनिधित्व तीन रहा। कालेजों की संख्या कम हो गयी और प्रतिनिधित्व उतना ही रहा। इसमें और बढ़ाने की आवश्यकता समझ में नहीं आयी।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

एक बात कदाचित् खर्चे के बारे में माननीय तिवारी जी और वर्मा जी ने भी कही कि सरकार सब अपने हाथ में करना चाहती है। यह भी कह दिया कि सब कुछ बिल वगैरह पेश करके अन्त में इतना यह लगा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कोई नयी बात नहीं लगायी गयी। सिर्फ यह है कि अगर आमदनी निकालोगे तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से ऐप्रूवल ले लो। इससे आटोनामी नष्ट करने की बात तो नहीं हुई। पर यह बात अवश्य हुई कि न तो यूनिवर्सिटी को किसी प्रकार की परेशानी और न सरकार को परेशानी। ऐसा होता है, उसके लिये मैं यूनिवर्सिटीज को दोष देना नहीं चाहता, यद्यपि मूथम कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें इस बात की ओर बड़ी भारी शिकायत थी कि यूनिवर्सिटीज कमिटमेंट करती चली जाती हैं और लायबिलिटी गंवर्नमेंट के ऊपर लदती जाती हैं, वैसे ही जैसे कि हम मनमाना खर्च करते चलें और खर्चे का बिल पिता जी से अदा कराते रहें। उन बेचारों को यह भी अधिकार न हो कि यह पूछें कि इतना कैसे खर्च किया? यह आवश्यक था, क्योंकि अनुभव यह बताता है। अगर मैं भूलता नहीं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का करीब २३ लाख रुपया कर्ज पिछले सालों का है जिसको कि प्रतिवर्ष ४-५ लाख रुपया अपने बजट में स्वीकार करके अदा करना पड़ता है। उस कर्जे को जो १०, १५ वर्ष में उन्होंने कर रखा है उसको देना पड़ता है। कभी भी उस खर्चे को बढ़ाने की राय यूनिवर्सिटी ने हमसे नहीं ली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर भी २०, २२ लाख का कर्जा है, जिसको प्रति वर्ष अपने बजट में ४, ५ लाख रुपया स्वीकार करके पे करते हैं। इस तरह से ५, ६ वर्षों में इस लायबिलिटी को हम पे-आफ कर देंगे। उस जिम्मेदारी को आपको अपने ऊपर लादना पड़ा। नहीं लादते तो यूनिवर्सिटी के ऊपर यह बड़ा भारी बोझ हो जाता और वह अदा नहीं कर सकती थी। आखिर मूथम कमेटी की यह राय थी कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल मैटर में स्वतंत्र रहे और जब कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट करने लगे तो उसका ऐप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से ले ले, क्योंकि पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर कोई कर्जा लद गया तो फिर उसके लिये उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वह अदा करे या हम यूनिवर्सिटी को डिटेरियोरेट होने दें या फिर हम इसको अदा करें। इस विचार से केवल यह रखा गया है। वैसे फाइनेन्शियल मैटर में उनको इन्टरनल स्वतंत्रता है। वह अपने बजट के मुताबिक काम करें। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जब वह नया कमिटमेंट कर लेंगे, जब वह कोई लायबिलिटी लेने लगे तब सरकार का वह ऐप्रूवल ले ले। बस इतना सा मतलब है। मैं समझता हूं यह किसी तरह से नामुनासिब नहीं है। हम सब यहां पर जिम्मेदार आदमी बैठे हुये हैं। स्टेट गवर्नमेंट का सारा एक्सचेकर आपके हाथ में है। आप एक पैसे को खर्च करने की मन्जूरी देते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को आप स्वीकार करें कि यदि आपके ऊपर यूनिवर्सिटी कोई लायबिलिटी लादे तो उसकी सहमति पहले यहां से ले ले। बस इतना सा विचार है। वैसे आप देखें कि इसमें न तो कोई किसी तरह का हस्तक्षेप है और न किसी तरह से उनकी आटोनामी पर आघात है।

वाइसचांसलर की बात कही गई। मैं वर्मा जी से विशेषकर निवेदन करूंगा, क्योंकि उनकी स्पीच का सारा ट्रेन्ड इसी बात पर था कि आगरा यूनिवर्सिटी निकम्मी है और उसका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, यहां अध्यापकों को तीन चौथाई करके आप गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर के अध्यापक जो वहाँ रखना चाहते हैं उससे वहां की रिसर्च खत्म हो जायगी। एक तरह से उनका सारा का सारा ढंग ऐसा था जिससे यह मालूम होता था कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे यहां की सारी यूनिवर्सिटीज से कुछ इन्फीरियर है। मैं समझता हूं हमको ऐसा नहीं कहना चाहिये। हमारी आगरा यूनिवर्सिटी हमारे देश की कदाचित् सबसे बड़ी एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी किसी और प्रदेश में कदाचित् ही हो जो इतने कालेजेज को एफिलियेट करती हो और इतने विद्यार्थी जिसके तत्वाविधान में ऊंची प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हों। शायद कलकत्ता की हो तो हो, जो इतनी बड़ी संख्या में अफिलियेशन देती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, किसी माने में आगरा यूनिवर्सिटी उससे भी बडी है। उस यूनिव-

सिटी के बारे में यह कहना कि उसका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है और उसके परीक्षक ऐसे हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह ऐसी बातें हैं जो इतनी बड़ी संस्था की प्रतिष्ठा को घटाने वाली बातें हैं।

वाइस चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय की कोर्ट में नहीं है, प्रयाग विश्वविद्यालय में नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब रखा गया है और वह उस जमाने से रखा गया है जब से यूनिवर्सिटी ने अपना काम आरम्भ किया। मुमकिन है कि ३, ४ वर्षों के बाद आप उसको निकालना चाहें, इस वास्ते कि अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे लोगों की सहायता हो सकती है। अगर आगरा में रखें तो फिर सब जगह वाइस चांसलर रखें, लेकिन कोई जरूरत इस बात की नहीं है। २, ३ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर शुरू से ही वाइस चांसलर नहीं रहे। अगर आगरा यूनिवर्सिटी में हम रखते हैं तो उससे उसका स्तर नीचा होता है, उसकी हैसियत में कुछ कमी आती है। आज वह स्थापित विश्वविद्यालय है, उसने कोई नया काम नहीं शुरू किया है और उसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। जिस प्रकार से और विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधि हैं उसी प्रकार आगरा विश्वविद्यालय में होना चाहिये, चाहे वह कोर्ट में हों या एग्जिक्यूटिव काउन्सिल में। इस विचार से यह किया गया। वाइस चांसलर सब जगह हैं, अपने अपने यहां काम देख रहे हैं। एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं है। आगरा विश्वविद्यालय में ही यह चीज क्यों की जाय। आवश्यकता थी इसलिये रखी थी। गोरखपुर में आवश्यकता समझी जा रही है और इसलिये इसको वहां रखा जा रहा है। नयी यूनिवर्सिटी वह बन रही है। उसमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी इस इरादे से यह हटाया गया है।

रेफरेन्स कमेटी और फाइनेन्स कमेटी की बात नारायणदत्त जी ने कही। यही सही बात है कि सम्पूर्णानन्द कमेटी जो बनी थी उसने जहां तक टीचिंग यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है, यह कहा था कि रेफरेन्स कमेटी को अबालिश कर दिया जाय, मेरे सामने रिपोर्ट है, लेकिन जहांतक आगरा यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक सिफारिशें थीं, उनमें किसी रेफरेंस कमेटी का जिक्र नहीं है, अबालिश करने के बारे में। शायद वहां रही न हो इस वजह से उसका जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब उत्तर प्रदेश के वाइस-चान्सलर्स की मीटिंग हुई सम्पूर्णानन्द कमेटी के बाद, तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि "दि फाइनेंस कमेटी एण्ड दि कमेटी आफ रेफरेन्स मे कांटीन्यू ऐज ऐट प्रेजेन्ट इन दि टीचिंग यूनिवर्सिटीज।" जो संस्तुति सम्पूर्णानन्द कमेटी ने इन दोनों कमेटीज को अबालिश करने के सम्बन्ध में की थी उनके बारे में जब हमने वाइस-चान्सलर्स से उनकी राय की मांग की तो उन्होंने यह मत प्रकट किया कि यह दोनों अभी रहने दी जायं। अब रेफरेन्स कमेटी हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में भी है, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी है, गोरखपुर ने भी आपने बनाई है। इन तीनों विश्वविद्यालयों में रेफरेंस कमेटी के साथ-साथ फाइनेन्स कमेटी भी है। आगरा में फाइनेन्स कमेटी खाली थी और उसके वही तमाम फंक्शन्स थे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में रेफरेंस कमेटीज के हैं, वही अधिकार, वही जुरिस्डिक्शन, वही कार्यक्रम। जिस प्रकार प्रयाग में, लखनऊ में और गोरखपुर में आपने रेफरन्स कमेटी और फाइनेन्स कमेटी को अलग कर दिया है, उसी प्रकार आगरा में हमने कर दिया है। वाइस-चान्सलर की इसमें सिफारिश भी है। अब आप देखें कि रेफरेंस कमेटी एक इंडिपेंडेंट बाडी है जिसमें कोर्ट के सदस्य होते हैं चुने हुए, जिसमें गवर्नमेंट के नामिनी होते हैं और ऐसी कमेटी का काम यह है कि वह एक प्रकार से यूनिवर्सिटी के सारे बजट को व्यक्त किया करे। जरूरी समझे तो उसकी लिमिटेशन फिक्स करें, जहां कहीं रिवीजन की जरूरत समझे रिवीजन सजेस्ट करे। एक प्रकार से फाइनेन्स कंट्रोल रहता है, रेफरेन्स कमेटी का और इसी कारण यह बाडी इंडिपेंडेन्ट सी है। इसमें कोर्ट के रेप्रेजेन्टेटिव होते हैं चार और दो नामिनी चान्सलर के होते हैं और इसके बाद रजिस्ट्रार वगैरह उसके अधिकारी हैं। उसको आपके ऐक्ट में इंडिपेंडेंट बाडी बना रखी है। तो यह इसलिये कि यह यूनिवर्सिटी की फाइनेंशयल पोजीशन को देखती रहे, एग्जामिन करती रहे, समय-समय पर सुझाव देती रहे और आवश्यकता हो तो उन्हें आदेश दे सके कि इसमें यह कमी करो। फाइनेन्स कमेटी एक एग्जिक्यूटिव की एक्सपर्ट बाडी है

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

फाइनेंशियल मैटर्स में ऐडवाइज करने के लिये । एग्जिक्यूटिव बनाती है फाइनेन्स कमेटी को । उसका काम है कि यूनिवर्सिटी के फंड्स को देखे, डे-टु-डे एक्सपेंडीचर में जो ऐडवाइस लेना चाहे एग्जिक्यूटिव कौन्सिल, वह उन मैटर्स को फाइनेंशियल कमेटी को रेफर करती है, लेकिन वह बाडी होती है एग्जिक्यूटिव के अन्दर । यह तमाम यूनिवर्सिटीज में व्यवस्था है । फाइनेन्स कमेटी के जो अधिकार थे वही रिफेरेन्स कमेटी के कर दिये और केवल उनका नाम ही बदल दिया गया है । केवल उसका दूसरा नामकरण कर दिया गया है, वैसे उसके अधिकार वही है जो फाइनेन्स कमेटी के थे । ऐसा ही दूसरा यूनिवर्सिटीज में है । दूसरी यूनिवर्सिटीज में इसका नाम रिफेरेन्स कमेटी था । पहले आगरा विश्वविद्यालय में जो फाइनेन्स कमेटी थी उसमें ४ मेम्बर चुने हुए होते थे और दो नामिनी चान्सलर के होते थे । इस प्रकार की वह कमेटी बनी हुई थी । उसके जो राइट्स, फंक्शन और जुरिस्डिक्शन थे वह सब रिफरेन्स कमेटी को दे दिये ।

इसके साथ ही साथ एक फाइनेन्स कमेटी भी बना दी । वह एग्जिक्यूटिव को ऐक्सपेंडीचर, बजट आदि के मामले में एडवाइस करेगी । इस तरह से इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं है । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके पीछे सरकार का कोई कुचक्र हो । सरकार की ऐसी इच्छा भी नहीं है कि यहां कोई दूसरी बात की जाय जो दूसरी जगह न हो । इसमें वही बातें हैं जो प्रयाग आदि तमाम विश्वविद्यालयों में पहले से रखी गयी हैं । मै समझता हूं कि जो प्रश्न उठाये गये, उन प्रश्नों का हमने यथासंभव उत्तर दे दिया ।

एक बात माननीय दीपनारायणमणि जी ने कही कि रिफरेंस कमेटी और चान्सलर में कहीं झगड़ा न हो जाय । मालूम नहीं कहां से उनको झगड़ा का खतरा दिखायी दिया । रिफरेंस कमटी समिति की कमेटी है और उसमें चान्सलर का रिप्रेजेन्टेशन मौजूद है । कहीं भी झगड़ा दिखायी नहीं देता । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसमें खींचातानी या झगड़ा होने की गुंजाइश हो । मैं समझता हूं कि उन्होंने भी शायद इस संशोधन विधेयक को पढ़ा नहीं । अगर वे भी गौर से इसको देखते तो उन्हें मालूम होता कि ऐसा खतरा कहीं भी नहीं है और न किसी का एक दूसरे से सीमाक्षेत्र टकराता ही है ।

एक बात ग्रेड्स के बारे में कही गयी । मुझे इस विषय में थोड़ा सा निवेदन करना है । आगरा यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स की तुलना लखनऊ, प्रयाग या गोरखपुर विश्वविद्यालयों के ग्रेड्स से करना किसी प्रकार भी संगत नहीं है । इसलिये कि लखनऊ विश्वविद्यालय में और प्रयाग विश्वविद्यालय में जो टीचर्स के ग्रेड्स हैं वे टीचिंग यूनिवर्सिटीज के कालेजेज के ग्रेड्स है । लेकिन अगर उनमें कोई दूसरे कालेजेज अफिलियेटेड हैं, उनमें वे ग्रेड्स लागू नहीं है । जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय मे १२ कालेजेज अफिलियेटेड हैं जो डिग्री क्लासेज लेते हैं लेकिन पोस्ट-डिग्री कालेजेज नहीं लेते है, उनमें वे ग्रेड्स लागू नहीं है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कालेजेज में ग्रेड्स लागू हैं । इसी प्रकार से प्रयाग विश्वविद्यालय एक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है । उसका अपनी टीचिंग यूनिवर्सिटी है । केवल चार कालेजेज को उसने अफिलियेट कर लिया है । तो इन चार कालेजेज में वह ग्रेड्स नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी के कालेजेज में है ।

इसी प्रकार से गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अपना एक कालेज है । उसमें उन्होंने बी० ए०, बी० एस–सी०, एम० ए०, एम० एस–सी० की पढ़ाई शुरू कर दी है । इस यूनिवर्सिटी की कालेज में वह ग्रेड्स लागू हैं लेकिन जो और ९ जिलों के कालेजेज हैं उनमें वह ग्रेड्स लागू नहीं हैं । अब आगरा यूनिवर्सिटी का प्रश्न लीजिये । यह कोई रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं है । इसका कोई अपना कालेज नहीं है । वह तो केवल एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है । तो जब वे ग्रेड लखनऊ के अफिलियेटेड कालेजेज में लागू नहीं है, प्रयाग और गोरखपुर के अफिलियेटेड कालेजेज में लागू नहीं है तो आगरा यूनिवर्सिटी के एफिलियेटेड कालेजेज में किस प्रकार से लागू हो सकते हैं ? क्योंकि वे यूनिवर्सिटी के कालेजेज नहीं हैं, उनका तो संबंध केवल इतना ही है कि वे उसके एफि-

लियेटेड कालेज है । ऐसे एफिलियेटेड कालेजों में वह स्केल लागू नहीं है, जैसा कि मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं । यह चीज मैं मानता हूं कि एफिलियेटेड कालेजों के टीचर्स के स्केल में सुधार की आवश्यकता है । उस विषय में काफी लिखा-पढ़ी भी और सक्रिय विचार भी सरकार कर रही है । आज इन एफिलियेटेड कालेजों में, खास करके आगरा यूनिवर्सिटी के सारे के सारे कालेजों में जो कि एफिलियेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्रेजुएट्स, अन्डर ग्रेजुएट्स की पढ़ाई होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें इतने ज्यादा लड़के पढ़ते हैं जितने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जिसका जिक्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने किया, जैसे मेरठ कालेज, बरेली कालेज है या डी० ए० वी० कालेज, कानपुर है । डी० ए० वी० कालेज, कानपुर में करीब ५, साढ़े ५ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं जितना कि एक यूनिवर्सिटी में लड़के भरती होते हैं और पढ़ते हैं । तो ऐसे कालेज हैं जिनके अध्यापकों के स्केल के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है । मूलतः इस बात को किसी प्रकार से नहीं माना जा सकता है कि एक ही प्रकार की पढ़ाई के लिये स्केल में कोई बहुत बड़ा फर्क हो और यह उचित है । तो इस प्रश्न से मूलतः सहमत होते हुए हम विचार कर रहे हैं और सम्भव है कि यदि अर्थ संकट का कुछ ठीक से हम परिहार कर सके तो उधर कुछ कदम उठाया जाय। अब यह कहना कि लखनऊ की यूनिवर्सिटी में वह लागू है और आगरा यूनिवर्सिटी के कालेजों में लागू नहीं है, यह कुछ भ्रान्ति उत्पन्न करता है । बात वैसी है नहीं । मैं समझता हूं कि अब कोई ऐसा प्वाइंट नहीं रहा जो प्रस्तुत किया गया हो और जिसके विषय में मैंने नम्रतापूर्वक कुछ स्पष्टीकरण करने की चेष्टा न की हो ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—आटोनामस कालेज खोलने का, वर्कमैन कालेज खोलने का आपका विचार है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जहां तक मैं जानता हूं, वर्कमैन कालेज खोलना यूनिवर्सिटी के जिम्मे है और यूनिवर्सिटी चाहे तो उसे खोल सकती है और आपके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, आपसे इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि यद्यपि स्टेट्यूट वगैरह उसका मौजूद है, मैं इस बात को स्वयं सोचता हूं कि इस प्रकार के आटोनामस कालेज बन सकें । वर्कमैन कालेज तो बनाने की बात बाद में देखी जायगी लेकिन इसके लिये भी इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं है । वह हमारे स्टेट्यूट में है, ऐक्ट में सब चीज मौजूद है । अभी तक डिग्री कालेजों ने उधर ध्यान नहीं दिया । यदि उनको इस तरह की सुविधा दे दी जाय तो यूनिवर्सिटी की जो कठिनाई है वह कम हो सकती है । आप ने उधर जो संकेत किया है तो मैं उसकी जरूर समीक्षा करूंगा, क्योंकि यह बात कुछ ठीक सी मालूम होती है और इस बात की सम्भावना काफी है । जो यूनिवर्सिटीज की बहुत मांग हो रही है, वे तो जब बनेंगी तब बनेंगी लेकिन इन कालेजों को भी आटोनामस स्टेटस मिल जाय तो मैं समझता हूं कि उनके काम में सहूलियत पहुंच सकती है और हमारे काम में भी सहूलियत पहुंच सकती है । तो ऐसे प्रस्ताव पर मैं जरूर विचार करूंगा ।

अब एक दो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ, जैसा लहरी जी ने संकेत किया है, उसके जीवन में बड़ी भारी क्रान्ति हो रही है और वह इस माने में कि उसका जुरिस्डिक्शन कम होता जा रहा है । हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रम यूनिवर्सिटी बनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी, ग्वालियर यूनिवर्सिटी बनी और तमाम कालेजेज उधर के निकल गये । गोरखपुर यूनिवर्सिटी बन जाने से उत्तर प्रदेश में भी उसका जुरिस्डिक्शन कम हुआ । पूरब के ९ जिले उसके हाथ से निकल गये और करीब ३२, ३६ या ४० कालेज आगरा यूनिवर्सिटी के हाथ से निकल गये । इस प्रकार का विचार भी कदाचित् लोगों को हो सकता है कि एफिलियेटेड कालेजेज हम कायम करें, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी या प्रयाग यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन सीमित है और यह समझा गया है कि ये रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज ही होंगी, ये एसेंशियली एफिलियेटेड कालेज वाली यूनिवर्सिटीज न होंगी । उनके कुछ सीमित क्षेत्र के ही कालेज एफिलियेटेड होते हैं । उनका काम मुख्यतः टीचिंग का रहा है, वे रेजीडेंशियल यूनि-

[श्री कमलापति त्रिपाठी]
वर्सिटी रही हैं। फिर हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। डिग्री कालेजेज हैं, वे कहां जायं? प्रयाग या लखनऊ विश्वविद्यालय उन्हें एफिलियेट करने को तैयार नहीं, इसकी पूर्ति के लिये आगरा की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। लेकिन उसकी भी परिधि कम होती चली जा रही है। जैसा कि अभी नारायणदत्त जी कह रहे थे, कई जगहों से मांग हुई है। मेरठ रुहेलखंड और कानपुर से मांग है। मैं परसों कानपुर गया था एक ला कालेज का उद्घाटन करने के लिये। फिर वहां यह मांग की गयी कि कानपुर में एक यूनिवर्सिटी बना दी जाय। २०,००० विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। तमाम फैकल्टीज मौजूद हैं। हमको कुछ करना नहीं है। यूनिवर्सिटी बना दें तो वहां एक स्टेटस हो जायगा। कुमायूं के विश्वविद्यालय के लिये नारायणदत्त जी प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो यह प्रश्न बार-बार हमारे सामने उपस्थित होता है कि अब आगरा विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा? अगर किसी समय एकाध यूनिवर्सिटी ने और जन्म लिया। शिक्षा का प्रसार तथा विस्तार होता चला जा रहा है। जितने लड़के हाई स्कूल पास करते हैं उनमें २५ फीसदी ही इंटरमीडियेट में आते हैं। संख्या विद्यार्थियों की दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है। पहले १४, १५ या १६ फीसदी थी, अब यह २३, २४ या २५ फीसदी हो गयी है। रुचि लोगों की पढ़ने की ओर है, आप उसको रोक नहीं सकते। हायर एजूकेशन के लिये लड़कों की तादाद प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती जायगी। इससे कालेजेज की संख्या बढ़ेगी। फिर स्वाभाविक है कि इस प्रकार की मांग हो। जब एक छोटे से रीजन में १५, २० हजार लड़के हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की आवश्यकता हो ही जाती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही यह सवाल है कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी खोल दी जाय क्योंकि ५०, ६० हजार लड़कों की परीक्षा एक यूनिवर्सिटी को लेनी होती है। लिहाजा यहां भी इस बात की आवश्यकता हो सकती है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कि एक आध यूनीवर्सिटीज और खोली जायं। आगरा यूनिवर्सिटी, जिसका केवल एफिलियेटिंग कैरेक्टर है उसकी फिर क्या स्थिति होगी? जैसा लहरी जी ने संकेत किया कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना होगा। आज तो एसोशियेटेड कालेजेज होने से उनको इन्कम है, टीचिंग वहां है नहीं और ऐसोशियेटेड जो हैं वे अगर निकल जायं तो होगा क्या? इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और मैंने स्वयं विचार किया है।

टीचिंग यूनिवर्सिटी न होते हुए भी वहां दो, एक इंस्टीट्यूट्स कायम हैं, जैसे हिन्दी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज। देश में और कोई ऐसी इंस्टीट्यूट कायम नहीं है। इसके टीचिंग के स्वरूप में संभव है कि विस्तार करना पड़े। अगर इस दिशा की ओर विचार करने की आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ही जो वर्तमान अधिनियम है, जो उसका स्वरूप है, उसमें एक विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी और वैसा किये बगैर हमारा काम आगे नहीं चल सकता। यह सारा प्रश्न हमारे सामने है और इस पर सरकार विचार भी कर रही है और मुमकिन है कि इस विषय में विशेषज्ञों से राय लेने का कोई उपाय किया जाय।

इस वक्त इतना ही मैं कह सकता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसकी ओर हमारी दृष्टि न गयी हो, बल्कि बहुत सक्रियतापूर्वक हम इस सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब सोच कर कुछ निर्णय लिया जाय। अब जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसके द्वारा इसकी किसी विशेष धारा का कोई खास विरोध नहीं किया गया है और यदि कहीं कुछ उसमें थोड़ी बहुत शंका या मन में भाव उठा तो हो कि कुछ पीछे से आ कर के यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता में या उसके अधिकार में कुछ हस्तक्षेप करने की चेष्टा हम कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को हमने अधिकार दिये हैं। उनसे अधिकार लिये नहीं गये हैं और उनको दिये गये हैं। वाइस-चांसलर का जो टेम्पोरेरी एप्वाइन्टमेन्ट भी हुआ करता था एक महीने या १० दिन से लेकर, ६ महीने के बीच तक, तो सारा वाइस-चांसलर के एलेक्शन का प्रोसीजर फालो करना पड़ता था। वह हमने इसमें से निकाल दिया है। हमने कहा है कि जब तक एक टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट की बात है,

चांसलर एग्जीक्यूटिव कौंसिल से कह सकता है कि या तो कोई अरेंजमेंट कर दें या किसी को वह नामिनेट कर दें छः महीने तक के लिये। तो यह अधिकार उनको दिया गया है। उनके अधिकार को बढ़ाया है। उसमें टीचर्स को भी हमने बढ़ाया है। जैसा और जगहों में था कि दी कांजीक्यूटिव टर्म्स में ही एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर हो सकते हैं, तीसरे में नहीं हो सकते, वह भी इसमें रखा है। तो हमने अधिकार बढ़ाया है घटाया नहीं है। जो हमने इसमें रखा है उनसे किसी के साथ कुछ विशेष रिआयत तो नहीं कहते, लेकिन अगर सुविधा किसी को मिलती है तो वह अध्यापकों को मिलती है। उन्हीं की तरफ इस अधिनियम का रुख रहा है। ऐसी स्थिति में मैं तो यही निवेदन करूंगा कि और जो मौलिक बातें हैं तो उन पर विचार करने के लिये सम्भव है कि शीघ्र ही ऐसा समय आये जब कि उसके सारे मौलिक स्वरूप पर विचार करने के लिये यह विधान सभा तत्पर हो और उससे आवश्यक प्रतीत हो कि उस पर विचार किया जाय। सम्प्रति इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता प्रतीत होती हो।

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से और आपके द्वारा अवस्थी जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भला एक बात तो हमारी कभी मान लीजिये। कभी मानते नहीं, मालूम होता है कि आप अष्टम चन्द्र हैं हमारे। यह एक ऐसा विधेयक है कि इसे किसी प्रवर समिति में सात दिन के लिये भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सात दिन का समय कम नहीं होता, सात दिन में तो परीक्षित को मोक्ष हो गया, तो वह कम नहीं होता। काहे को इतना समय उसमें लेंगे। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जिसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं आपके द्वारा उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे शीघ्रता से पारित हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी, आप सिर्फ इतना बतलाइए कि आप वापस लेना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं चन्द शब्दों में इसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--जवाब देने का समय अब नहीं है? आप वापस लेना चाहें तो ले लें और वापस लेने का कारण बताना चाहें तो बता दें दो एक जुमलों में।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप पहले सुन तो लीजिये?

श्री उपाध्यक्ष--आप पहले कृपा करके बताइये कि क्या आप वापस लेना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं वापस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप कृपया बैठिये।

प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रपट एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में--२६,
विपक्ष में--१०४।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [Agra University (Amendment) Bill, 1958] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

२--आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ४ में--

(१) उपधारा (२) का स्पष्टीकरण (Explanation) निकाल दिया जाय ; तथा

(२) उपधारा (५) में अर्द्ध-विराम (commas) तथा शब्द "Rajasthan, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal" निकाल दिये जायं।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave or any cause, other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is, or is likely to last for a period exceeding six months, call upon the Executive Council to forward its recommendations ;

(ii) in cases not covered by clause (i), call upon the Executive Council either to appoint the Vice-Chancellor or to make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit subject to the approval of the Chancellor.

*Explanation*—The Executive Council in making its recommendation under clause (i) shall comply with the provisions of sub-sections (1) to (4) and (6)".

***श्री मोतीलाल अवरथे**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं :

"खंड ३ के Explanation की पंक्ति ३ में शब्द '(1) to (4)' के स्थान पर शब्द '1 to 3' रख दिये जायं।"

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मूल अधिनियम की धारा ९ की तरफ जिसके संबंध में खंड ३ है, उसमें ऐक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है--

"The Executive Council in making its recommendation under clause (i) shall comply with the provisions of sub-sections (1) to (4) and (6)."

आप देखेंगे कि इसके पहले जो स्पष्टीकरण था उसमें लास्ट में लिखा हुआ था:

"Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reasons of leave, illness or any cause other than resignation in

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Council to forward its recommendation in accordance with sub-sections (2) and (3)."

अब इस संशोधन में १ से ४ की बात कही गई। मुझे अपने संशोधन को मूव करते हुए यह कहना है कि एक्जिक्यूटिव काउन्सिल के द्वारा वाइस-चांसलर की नियुक्ति के संबंध में जो प्राविजो रखा गया है

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हम चाहते हैं कि उनको वेतन कम मिले और इस संबंध में मेरा एक संशोधन और आगे आने वाला है जिस से मेरी मंशा साफ हो जायगी कि मैं इस प्राविजो ४ को निकालना चाहता हूं। यद्यपि जो मूल ऐक्ट है उसमें इसका प्राविजो स्पष्टतः दिया है। जो नया परिवर्तन किया जा रहा है उसमें एक्जिक्यूटिव कौंसिल को कुछ नये अधिकार दिये जा रहे हैं और वाइसचांसलर के सम्बन्ध में कुछ नई बातें भी की गई हैं। मेरे संशोधन का अर्थ केवल इतना है कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल को प्राविजो १ से ३ के अन्तर्गत ही अधिकार रहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह सेक्शन ९ में अवस्थी जी ने यह संशोधन मूव किया है और उसका अर्थ यह हो जायगा कि वाइस चांसलर का जो अब २,००० रुपया वेतन है, अगर प्राविजो (४) निकाल दिया जाय तो वह वेतन २,००० नहीं रहता। इसी को आप हटाना चाहते हैं। अगर कोई वैकेन्सी ६ मास की या कम की हो तो उसको वह वेतन नहीं मिलेगा जो वाइस-चांसलर का है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया कि इस प्राविजो (४) को रखने की आवश्यकता क्या है। मैंने तो अपनी मंशा प्रकट कर दी कि आगे आने वाले संशोधन के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के Explanation की पंक्ति ३ में शब्द '(1) to (4)' के स्थान पर शब्द '(1) to (3)' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आप का दूसरा संशोधन जो है वह यहां पर ठीक चस्पां नहीं होता। धारा ९ के खंड ८ के तीसरे हिस्से में यह चस्पां नहीं होता है, क्योंकि जब धारा ९ का उपखंड (४) मौजूद है तो उसके विरोध में "Not withstanding anything in the principal Act" कहना ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती। जब आपका पहला संशोधन नामंजूर हो गया तो वह २,००० रुपए का वेतन कायम रहा। तो फिर इस 'Not withstanding' के कोई माने नहीं रह गये। इसके लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है। अगर आप को करना था तो मूल अधिनियम की धारा ९ के खंड (४) को निकालना चाहिए था। आपने यह संशोधन खंड ३ के एक्सप्लेनेशन के सिलसिले में किया, जिसमें आप नाकामयाब रहे और सदन की राय मालूम हो गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे मौका दिया जाय एक्सप्लेन करने का।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको अवैध करार दे रहा हूं, इस वक्त आपको कोई मौका नहीं दिया जा सकता। अब मैं इसके ऊपर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में—
(१) शब्द "so, however, that" निकाल दिये जायं;
(२) उप-खंड (ए) तथा (बी) निकाल दिये जायं; तथा
(३) वर्ग २ की मद (५) निकाल दी जाय ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—खंड ४ का उपखंड (३) जिसमें लिखा हुआ है कि वर्ग २ की मद (५) निकाल दी जाय, उसको निकालने के लिए मैं संशोधन रखना चाहता हूं। मूल धारा १४ के वर्ग २ की मद ५ इस प्रकार है, मैं हाउस के सामने रख देना चाहता हूं—

"The Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh".

श्रीमन्, इस १४ वीं धारा में सिनेट का विधान दिया हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि "Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members so, however, that—"

सिनेट के सदस्य कई वर्ग के सदस्य होंगे । लाइफ मेम्बर हैं, एक्स-आफिशियो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसी प्रकार से ६-७ वर्ग रखे गये हैं । इसी वर्ग २ में मद ५ में दिया हुआ है कि एक्स-आफिशियो मेम्बर्स में चांसलर के साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हों, वाइस चांसलर हों और डायरेक्टर आफ एजूकेशन हों और इसके साथ दूसरी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स भी हों । मुझे, श्रीमन्, यह आश्चर्य होता है कि इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब कि ठीक इसके पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संशोधन के संबंध में इस सदन में विवाद हो रहा था तो इसी प्रकार के एक नियम को सम्मिलित करने के लिए संशोधन में उपबन्ध था । अभी श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर में बहुत सी बातें बतायीं और उस उत्तर को मैंने बड़े ध्यान से सुना । मुझे उनके सारे उत्तर के सुनने के बाद भी यह समझ में नहीं आया कि इस सम्बन्ध में उनके तर्क क्या हैं । उनको दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइसचांसलर को बनाये रखने में क्या दिक्कत रही ? वह एक्स-आफिशियो मेम्बर्स थे और अपनी योग्यता और विद्वत्ता से कुछ सलाह दे सकते हैं, उनको बनाये रखने में क्या हर्ज होता और एक विशेष संशोधन लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? इस सम्बन्ध में वह यदि कोई औचित्य साबित कर सकें और वह हाउस को दिखाई पड़े तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत न होगी । तो मैं चाहूंगा कि वह सदन को इस बात का औचित्य साबित कर सकें कि इन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को हटाये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, अभी इसके थोड़े ही पूर्व जब मैं साधारण विवाद का उत्तर दे रहा था तो इस प्रश्न को स्पष्ट करने की चेष्टा मैंने की । किसी भी हमारे विश्व-विद्यालय में, चाहे वह प्रयाग हो या लखनऊ, वहां की सिनेट में तमाम वाइस-चांसलर्स प्रदेश भर के नहीं हैं । आगरा विश्वविद्यालय में यह चीज इस विचार से रखी गयी थी कि आगरा विश्व-विद्यालय का ढांचा नया नया चल रहा है और बहुत से कालेजेज भी एक के बाद दूसरे खुलते जा रहे हैं और उनको ऐफिलिएशन मिलता जा रहा है और वहां पर वाइस चांसलर्स को रख देने से सुविधा पहुंचेगी और कुछ मार्ग प्रदर्शन हो सकेगा आगरा विश्वविद्यालय का । अब आगरा विश्वविद्यालय काफी समय काम कर चुका है और एक स्तर और एक प्रतिष्ठा और स्थान प्राप्त कर चुका है । उसको उस स्तर पर ले आने की आवश्यकता है जिस पर लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित किये हैं । इस विचार से इसको हटाने का प्रस्ताव किया गया है । गोरखपुर विश्व-विद्यालय में इसको रखा है और जानबूझ कर रखा है, इस विचार से कि इसका जन्म अभी एक प्रकार से इसी जुलाई से हुआ है । गो कानून बन चुका था, वाइस चांसलर भी हो चुके थे लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यान्वित वह इसी साल से होने लगा है। यह सोचा गया कि सब वाइस-चांसलरों को रखने से नई नई यूनिवर्सिटी के बनाने में सहायता मिल सकेगी। इस विचार से रखा गया। जैसा कि मैंने निवेदन किया ऐसा समय आ सकता है कि जब आप समझें गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम वाइस चांसलरों के कोर्ट में रखने की आवश्यकता नहीं है और उससे सहायता न पहुंचती हो। इ स विचार से हमने संशोधन उपस्थित किया था। अवस्थी जी का जो संशोधन है उससे तो यह हो जायगा कि उसी को हम फिर से रखें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, अवस्थी जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि वह समय आ सकता है जब आगरा यूनिवर्सिटी का एक कम्प्रीहेंसिव ऐक्ट आयेगा जिसमें कई नई चीजें होंगी। तो मैं समझता हूं कि वह ऐक्ट जो १९५३ में संशोधित हुआ था उसमें हमारी इस इस्तदुआ को मान लें, क्योंकि हमने उनकी कई चीजें मानी हैं। वह सयाने हैं इसलिये उन्हें भी हमारी चीज माननी चाहिये। लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें सरकारी पक्ष के लोग हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं और यह एक ऐसी बाडी है कि जिनमें शिक्षा को ज्यादा योग्यता हो वह सीनेट के मेम्बर होने चाहिये। इसमें तो शिक्षा-शास्त्री ज्यादा होने चाहिये। इस चीज के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसमें सहृदयता दिखायें और इसको स्वीकार करें।

*श्री रामस्वरूप वर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने दलील दी है वह कुछ दलील नहीं है। उन्होंने यह कहा कि वाइस-चांसलरों के रखने से कठिनाइयां पैदा हुईं। लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों का वर्णन नहीं किया कि कौन सी कठिनाई पैदा हुई और उनके रहने से लाभ हुआ था नहीं। इस बात को, जब इतने दिनों से यह चले आ रहे थे और वाइस-चांसलर सीनेट के मेम्बर्स थे तो उनसे असुविधा हुई या हानि हुई, यह कुछ नहीं बताया और आगरा यूनिवर्सिटी को वह उस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, उसमें पहुंचाने में परेशानी आई, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इसको उसी पद पर ले जाना चाहते हैं जिस पर कि आज लखनऊ और प्रयाग यूनिवर्सिटीज हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ऐसी दलील दी कि सिवाय यह कहने के अलावा कि बिना हाड़ के कोई पुरुष बना दिया जाय तो वह कैसे काम करे, यही बात है। श्रीमन्, मंत्री जी का तर्क यह है कि अगर वाइस-चांसलर हटा दिये जायंगे तो इसका स्टैंडर्ड भी लखनऊ और इलाहाबाद के बराबर आ जायगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है और वाइस-चांसलर विद्वान होते हैं और मंत्री जी के कहने से साबित होता है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे सब से बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। कलकत्ते के सिवाय और कोई इससे बड़ी नहीं है। हम भी कहते हैं कि वह इतनी बड़ी है, तो अगर लखनऊ और इलाहाबाद में जब दूसरे वाइस-चांसलरों की जरूरत नहीं है तो इसलिये नहीं है कि उनका तमाम कालेजेज से संबंध नहीं है और ये रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेजेज हैं, इसलिये अगर विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर रहेंगे तो वह नेक सलाह दे सकेंगे और इस यूनिवर्सिटी के कालेजेज तमाम प्रदेश में फैले हुये हैं गो अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बन जाने से इसमें से ९ जिले निकल गये हैं, फिर भी तमाम प्रदेश में इसके कालेजेज फैले हुये हैं। अगर सब यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर रहेंगे तो जो उनको तजुर्बा हुआ होगा, उस ज्ञान से लाभ हुआ होगा सिनेट को और आगरा विश्वविद्यालय को हानि नहीं हुई होगी। यह मेरा निश्चित मत है। साथ ही साथ जैसा मंत्रीजी ने कहा, अगर कोई कठिनाई थी तो उस कठिनाई को वह रखते और हम भी विचार करते, चार साल के बाद, छः साल के बाद यह शिकायत हुई कि वाइस-चांसलर के रहने से यह हानि हुई तो यह बात समझ में आती। लेकिन मंत्री जी अपनी ही दलील से साबित कर गये कि जरूरत तो उसमें है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा हठ है। हां, यह बात समझ में आती है कि पुराना जो मूल अधिनियम है उसमें यह धारा थी, अब हमने संशोधन में उसको संशोधित किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो यह सम्मान का प्रश्न बन सकता है। चूंकि हमने एक बार हटा दिया इसलिए दोबारा शामिल करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे मसले पर जहां हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो सके, जहां हम बेहतरी की ओर जा सकें, ऐसी जगह पर अगर मिथ्याभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो अभिमान का प्रश्न अलग करके उसको स्वीकार करना चाहिए। इन तमाम तर्कों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने तर्क-रहित भाषण को अलग करके इन तर्कों के प्रकाश में इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं सुन कर चकित रह गया कि इस संशोधन के समर्थन और प्रतिपादन में उदारता की याचना भी कर दी गयी, हठ का लांछन भी लगा दिया गया और ऐसा लगा कि बड़े मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन इस संशोधन के द्वारा हो रहा है। मैं आपकी आज्ञा से उन मित्रों से केवल यह पूछूंगा कि अगर यह आवश्यकता थी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में सम्मिलित किया जाय तो अभी इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज के संशोधन विधेयक थोड़े समय पहले इसी सदन में आये थे। तब क्यों नहीं उन्हीं मित्रों ने इस बात की आवश्यकता समझी कि ऐसा संशोधन प्रस्तुत करते कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में वाइस-चांसलर्स रखे जायं? अगर आवश्यकता होती तो जरूर उनको ध्यान होता। मैं इतना और जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सामान्य विवाद में यह भी कहा था कि जिस समय ऐसा प्राविजन था उस समय आगरा यूनिवर्सिटी का विस्तार बहुत लम्बा था। उस वक्त यह आवश्यकता हो सकती थी कि वाइस-चांसलर्स रखे जायं। मैं इतना और निवेदन करूंगा कि उदारता केवल इसमें नहीं कि जनता का व्यय बढ़ाया जाय, आवश्यकता हो या न हो, सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय आवश्यकता हो या न हो। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि आज उसका क्षेत्र जब कम हो गया है और स्तर ऊंचा हो गया है तो वाइस-चांसलर्स रखने की आवश्यकता नहीं है; तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि इस प्राविजन को हटा दिया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री तर्क दे सकते हैं लेकिन उसका समझना तो दूसरों के हाथ में है। उसको तर्कहीन कह देने से वह तर्क कट जाय यह मेरी समझ में नहीं आया। न कोई तर्क ही उस संशोधन के समर्थन में समझ सका।

इन शब्दों के साथ मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं जिस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस संशोधन का उत्तर दिया उनके तर्कों को न सुन सका। लेकिन मेरे विचार से इस संशोधन का स्वीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें कोई ऐसी सिद्धान्त की बात भी नहीं है लेकिन एक व्यवहार-कुशलता की बात है। सिनेट जो आगरा यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बाडी है उसमें हम किस प्रकार के व्यक्तियों को सदस्य बनाएं, जो शुरू में वाइस-चांसलर रखे गये सब यूनिवर्सिटियों के वह विशेष अभिप्राय से रखे गये और वह यह कि जो कोआर्डिनेशन एजूकेशनल सिस्टम का नहीं है और जो विश्वविद्यालय के शासन में कोआर्डिनेशन नहीं है उसको प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि अगर दूसरे विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर गवर्निंग बाडी में रहें तो ज्यादा आसान कोआर्डिनेशन हो सकता है। सरकार भी कदाचित् वाइस-चांसलरों की कान्फ्रेन्स बुलाती रहती है और सारी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलरों से यूनिवर्सिटी के सुधार के विषय में परामर्श करती रहती है। तो अगर हम विश्वविद्यालय की सीनेट में जितने वाइस-चांसलरों को स्थान दें तो उनके अनुभव से सीनेट को लाभ हो सकता है। सीनेट यूनिवर्सिटी की ला मेकिंग बाडी है और कभी-कभी यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स भी इश्यू करती है। तो उसमें अगर एजूकेशन डाइरेक्टर रह सकता है, अगर उसमें हाईकोर्ट का जज सदस्य हो सकता है, डाइरेक्टर आफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंडस्ट्रीज और डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ उसके सदस्य हो सकते हैं तो फिर क्यों न इन विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों को रखा जाय ? उनको इस सम्बन्ध में काफी अनुभव प्राप्त होता है। इसलिये मैं मांग करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष जी, मैंने शिक्षा मन्त्री जी की बहस को बड़े आश्चर्य के साथ सुना। मुझे यह आश्चर्य है कि जब एक्स-आफिशियो डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर आफ पब्लिक ऐन्ड मेडिकल हेल्थ हो सकते हैं और ऐसे लोगों को उसमें शरीक किया गया है तो फिर क्या वजह है कि इन वाइस-चांसलरों को न रखा जाय ? मेरी जानकारी है कि शायद यह डाइरेक्टर बहुत कम समय के लिये शरीक होते होंगे और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को तो मौका ही न मिलता होगा। जो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिये तैयार रहते हैं उनको अवसर न दिया जाय और जो लोग वहां पर आने के लिये अवसर भी न पाते हों उनको रखा जाय यह आश्चर्य की बात है। अतः ऐसे वाइस-चांसलरों को उसमें रखना आवश्यक है जिनके लिये हम यह महसूस करते हैं कि उनका वहां होना आवश्यक है। मुझे इनकी आवश्यकता महसूस हो रही है और सदन की राय को देखते हुये भी मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय, मुझे खेद है कि मैं अवस्थी जी की बात का समर्थन करने में असमर्थ हूं। इसलिये मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि सीनेट में तमाम प्रदेशों के समस्त विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर रहें। वैसे ही पहले मैं इसको आवश्यक नहीं समझता था कि प्रयाग और लखनऊ के विश्व-विद्यालयों में इनको रखा जाय। आगरा यूनिवर्सिटी का एक जमाना था सन् १९५३ के पहले, जब इसके वाइस-चांसलर आनरेरी हुआ करते थे। उनको कोई मासिक पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उस समय आगरा विश्वविद्यालय का कार्य बड़ी ढिलाई के साथ चलता था। वह एक आनरेरी पद था, उस समय इसकी आवश्यकता समझी गई। उसको समाप्त कर दिया गया है और अब वहां का वाइस-चांसलर विश्वविद्यालय की तरह से सवेतन पद पर है और उसको वही सब अधिकार प्राप्त हैं जिस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों को प्राप्त हैं। यहां भ. यूनिवर्सिटी की कोर्ट बनेगी और सीनेट बनेगी और इनमें उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य जगह प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में इतने दिनों से काम करते-करते यह विश्वविद्यालय अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां नहीं रहनी चाहिये जिससे मालूम हो कि जो दूसरे स्थान में नहीं है वह आगरा विश्वविद्यालय में रखी गई है। मेरी एक धारणा यह है कि उससे कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। सीनेट की मीटिंग भी साल भर में एक बार होती है। थोड़े समय के लिये उसमें वाइस-चांसलर आते हैं और नहीं भी आते हैं। इस व्यवस्था से आगरा विश्वविद्यालय में वे कोई उन्नति भी नहीं कर सकते हैं, इस विचार से और इस विचार से कि इसकी आवश्यकता नहीं है और जो व्यवस्था वहां हो गयी है फुल टाइम सैलरीड वाइस-चांसलर, उसमें इस चीज की जरूरत नहीं है और इसलिये इस धारा को निकाल देने का संशोधन हमने पेश किया था और इसलिये माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है उसे माननीय, मैं सखेद स्वीकार करने में असमर्थ हूं और उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ५–११

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा १७ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(1) The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and shall consist of the following persons, namely :

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

(iii) The Deans of all the Faculties in the University;

(iv) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes ;

(v) Six members of the Senate, not being persons mentioned in clauses (i) to (iv) and who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(vi) One person, not falling under clauses (i) to (v), elected by the Academic Council in the manner prescribed by the Statutes ; and

(vii) Five persons nominated by the Chancellor ;

Provided that no member of the Executive Council shall, whether elected, selected or nominated, be eligible to become a member of the Executive Council for more than two terms in succession."

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय ; तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द "relating to the" तथा "nomination" के बीच में शब्द तथा अर्द्धविराम (commas) "Selection" रख दिये जायं ।

यू० पी० एक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (१-ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(1-A)(*a*) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the 'Finance Committee') consisting of five persons from amongst its members, out of whom at least two shall be persons not being in the service of the University or an affiliated college, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and Funds of the University.

(*b*) The Finance Committee shall elect each year from its members a chairman to carry on its business."

(२) उपधारा (२) में शब्द "Finance Committee" के स्थान पर शब्द "Committee of Reference" रख दिये जायं ।

७—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) तथा (४) में शब्द "Finance Committee" के स्थान पर शब्द "Commitee of Reference" रख दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९-२६ की धारा २० का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २०-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९-२६ की धारा २०-का संशोधन।

"20-A. (1) The Committee of Reference, shall, having due regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(2) The Committee of Reference may also, for any special reasons , revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it."

९—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (४) में शब्द "Substantive appointment" तथा "of a teacher" के बीच में शब्द "or a temporary or officiating appointment lasting for six months or more" रख दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा २५-ए निकाल दी जाय । — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २५-ए का हटाया जाना ।

११—मूल अधिनियम की धारा २७-ए की उपधारा (३) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय : — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा २७-ए का संशोधन ।

"Provided further that no Ordinance affecting the income or the expenditure of the University shall be made, amended , repealed or added to, unless prior consent in writing of the State Government to the draft of such an Ordinance has been obtained."

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मेरा एक संशोधन है खंड ५ में । मैं चाहूंगा कि उसकी इजाजत माननीय मंत्री जी दे दें ।

**श्री अध्यक्ष**—अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं ले सकता हूं । आपका संशोधन है कि खंड ५ के (१) के (iii) के अंत में शब्द "and Deans of Students Welfare" जोड़ दिये जायं ।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जी नहीं, इस समय इस पर विचार संभव नहीं है ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—हम लोग तो मान जाते हैं जिस समय इस प्रकार के संशोधन सरकार लाती है ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो तियम हैं। आप यदि विरोध कर दें तो उनके ऐसे संशोधन भी नहीं लिये जायेंगे।

प्रश्न यह है कि खंड ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११४,

विपक्ष में—२१।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १११ और ११२ की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे पास अंग्रेजी में है जो मैं पढ़ता हूं :

"111. *Proposal of Amendments*—When a motion that a Bill be taken into consideration has been agreed to by the Assembly any member may propose an amendment to the Bill.

112. *Notice of Amendments*—(1) If a notice of a proposed amendment has not been delivered to the Secretary thirty-six hours before the meeting of the Assembly at which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved :

Provided that previous notice shall not be necessary in the case of amendments of a purely verbal character or of amendments consequential upon or moved in respect of amendments which have been carried.

(2) The Secretary shall cause every notice of a proposed amendment to be printed and a copy shall be made available for the use of every member."

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैंने ये ३६ घंटे पहले दे दिये थे मगर हमें विवाद करने का मौका सदन में नहीं दिया गया। मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जब मैंने ५ से लेकर ११ तक खंडों का प्रस्ताव सदन में रखा कि ये विधेयक के अंग बन जावें उसके पहले आपने यह आक्षेप नहीं किया और वे अंग बन गये। अब तो यह सवाल पैदा नहीं होता ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं विवाद का मौका चाहता हूं। आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी मैंने सेक्रेटरी के पास जाकर सूचना प्राप्त की थी कि मेरे संशोधन छपे क्यों नहीं हैं। मुझे सूचना मिली थी कि मैं विरोध कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि आपका विरोध था, कोई संशोधन नहीं था। खंड ६ और ७ हटा दिये जावें, इस तरह का आपका विरोधात्मक संशोधन था। वह छपा नहीं था और आपने उसके बारे में कोई आक्षेप समय से मेरे सामने नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी ठीक एक मिनट पहले मैं आपके सेक्रेटरी के पास गया था और मुझे बतलाया गया कि न छपने पर भी मैं विरोध कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब देर हो गई है। लाचारी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आपसे कहूं और आप ध्यान न दें।

श्री अध्यक्ष—अब वे खंड विधेयक का अंग बन चुके हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य संशोधन देता है कि अमुक खंड निकाल दिया जाय, तो वह छपने में तो आना ही चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह छपने में आना चाहिये और आया करता था। यह मुझे आज ताज्जुब मालूम होता है कि वह क्यों छापा नहीं गया और उसकी वजह से यह गड़बड़ी हुई। नहीं तो कभी गड़बड़ी नहीं होती। अगर विरोधात्मक संशोधन छाप दिये जाते तो यह बात नहीं होती। आयन्दा ऐसे विरोधात्मक संशोधन छापे जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोधस्वरूप वाक-आउट करता हूं कि न छापा गया और न मुझे बोलने का अवसर दिया गया।

(श्री मोतीलाल अवस्थी ने सदन त्याग किया।)

खण्ड १२

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) में शब्द "as nearly as possible" के पश्चात् आने वाले शब्द "one-half" के स्थान पर शब्द "one-fourth" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ की धारा ३१ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य आपकी व्यवस्था के विरोध में वाक-आउट कर सकता है और वह भी कह कर के ?

श्री अध्यक्ष—मैंने जो व्यवस्था दी उसके ऊपर वे चुपचाप चले गये। बराबर सदस्य इस प्रकार चले जाते हैं। कोई जाते समय अपमानजनक शब्द उपयोग में वे लावें तो मैं नोटिस लेता हूं वरना नहीं। यद्यपि यह बातें नहीं होनी चाहिये, यह बात भिन्न है। लेकिन कुछ रिवाज सा पड़ गया है कि लोग चले जाते हैं। यदि हम इन छोटी-छोटी बातों का नोटिस लेना शुरू कर दें तो यह जो एक कुटुम्ब है उसका काम रुक जाय। इसमें सभी तरह के मिजाज के लोग रहते हैं। कभी-कभी किसी के मिजाज को बर्दाश्त करना पड़ता है और करते हैं।

खण्ड १३

१३—राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिये विशेषकर मूल अधिनियम के उपबन्धों से, इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस ऐक्ट के उपबन्धों को संक्रमण के सम्बन्ध में सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह माह के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर इस आधार पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि उपधारा (१) में उल्लिखित कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके दूर किये जाने की अपेक्षा नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

## आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ )

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२५ ।

### विधेयक

यह इष्टकर है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय : — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ ।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह तुरन्त प्रचिलत होगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अगारा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## जौनसार-बावर (जिला देहरादून) राजस्व पदाधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८†

*गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार-बावर (जिला देहरादून) राजस्व पदाधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

---

†७ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह बहुत साधारण सा विधेयक है । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है । हमारे पहाड़ के जिलों--कुमायूं गढ़वाल और अब टेहरी गढ़वाल में भी पुलिस की व्यवस्था एक दूसरे प्रकार की है । वहां जो माल विभाग के अधिकारी हैं उन्हीं को पुलिस के कुछ अधिकार भी प्रदान किये गये हैं । अल्मोड़ा में, कुमायूं में, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में भी वह अधिकार हम अधिनियम के द्वारा दे चुके हैं । लेकिन यह देहरादून जिले की एक तहसील है । यहां अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी । पहले यह डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड ऐक्ट में था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साधारण तहसील की तरह से यहां काम हो रहा है और अब तक वहां हमारा इस प्रकार का कानून लागू नहीं है । अब वहां के रेवेन्यू आफिसर्स को भी चाहते हैं कि वही पुलिस के अधिकार दिये जायं जैसी व्यवस्था कि सारे पहाड़ी इलाकों में की गयी है । इसके लिये ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है । मैं समझता हूं कि इसमें विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । इस कारण कि पहाड़ में हमारे यहां यही व्यवस्था चल रही है और एक प्रकार से संतोषजनक ढंग से चल रही है । वहां रेग्युलर पुलिस को कायम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा से पहाड़ के लोग मैदान के लोगों से बहुत अच्छे हैं और वहां अपराधों की संख्या भी कम है और किसी प्रकार के उपद्रव भी वहां नहीं हुआ करते हैं । इसलिये वहां एक रेग्यूलर पुलिस फोर्स की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । मुझे आशा है कि इस परगने में भी वैसे अधिकार देने की अनुमति सदन प्रदान करेगा, जैसे पहाड़ के और जिलों में हैं । इस परगने में अब भी जो तहसीलदार या एस० डी० ओज० हैं उन्हें पुलिस की पावर्स हैं । अब हम यूनिफार्म ढंग से उन पावर्स को नीचे के अधिकारियों को भी दे देना चाहते हैं जैसी कुमायूं गढ़वाल और टहरी-गढ़वाल में दी गयी हैं । इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ को जनमत संग्रह के लिये ६० दिन तक घुमाया जाय, यह संशोधन पेश करता करता हूं । श्रीमन्, यह विधेयक, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, छोटा सा है, एक अधिकार देने की बात है लेकिन अब सवाल इस बात का है, कि आया ये दो अधिकारों का सम्मिश्रण वहां के पहाड़ी इलाके के लिये हितकर होगा अथवा अहितकर होगा । श्रीमन्, आमतौर से यह हम लोगों ने देखा है और हमेशा से एक नीति भी यह रही है और समझते रहे हैं समाज के विवकशील लोग कि ज्यादा अधिकारों का संचय एक हाथ में नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, लेखपाल पहाड़ी इलाके में पटवारी है, पदधारी रेवेन्यू अधिकारी है, उनके हाथ में माल विभाग का काम है, खेतों का इन्दराज, जमीन वगैरह की पड़ताल और तमाम काम उनके हाथ में है और उन कामों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वे कुछ लोगों से नाराज भी हो जाते हों, या कुछ लोग ऐसा करते हों जिसकी वजह से उनके कामों में कुछ बाधा भी महसूस होती हो । माल विभाग का जैसा नियम बना है उसके हिसाब से वे काम करते हैं ? लेकिन यदि उनके हाथ में पुलिस शक्ति दे दी जाय और वह भी बाकायदा कानून के अनुसार दे दी जाय तो उसके बाद क्या हश्र होगा, यह चिन्तनीय विषय है । अगर हम इस सिद्धान्त को मान लें कि जब एक आदमी के हाथ में अधिक शक्ति का संचय हो जाता है तो प्रायः उसका दुरुपयोग होता है और प्रायः उससे जनता का हित कम होता है और इस कसौटी पर हम अगर इसको कसें तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सही है कि ऐसा अधिकार एक आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिये। क्योंकि पुलिस का अधिकार श्रीमन्, इतना बड़ा होता है कि मैदानी हिस्सों की दुर्दशा देख कर हम तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लेखपालों के हाथ में इस अधिकार को दे दिया जाय तो सम्भावना इस बात की है कि इसका सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है।

दूसरी बात यह जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि, यह अधिकार उस इलाके में पहले से चला आ रहा है, इस काम को तो वे करते ही हैं, लेकिन जब निश्चित अधिनियम के अनुसार उनको यह अधिकार प्राप्त हो जायगा तो उसके बाद इसका क्या नतीजा निकले, इसके सम्बन्ध में हम आज बहुत आसानी से कुछ फैसला नहीं कर सकते हैं। इसीलिये श्रीमन्, मने यह संशोधन रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये तमाम प्रदेश के लोगों में घुमाया जाय। इस विधेयक को केवल जौनसार-बावर परगने में ही घुमाने की बात मैंने नहीं रखी है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश के हर व्यक्ति की राय इसके ऊपर मिले कि इस आदमी को हम पुलिस का अधिकार देने जा रहे हैं। यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और इस अधिकार देने का परिणाम क्या होगा, इस पर प्रदेश के तमाम लोग सोचें और तमाम व्यक्ति अपनी राय दें कि जिस इलाके में यह कानून लागू होगा वहां इसका क्या हश्र होगा और जौनसार-बावर के लोग भी इस पर अपनी राय दें, क्योंकि सब की राय लेने के बाद अधिनियम बनेगा तो फिर कोई संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कारणों से मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वह गम्भीरता से विचार करे और इस बात को ध्यान में रखे कि हम यहां बैठ कर भली प्रकार से उस क्षेत्र के लोगों की राय लें, जहां के लिये यह कानून बन रहा है, कि वहां के पटवारियों का क्या काम है, किस तरह वहां के लोगों और पटवारियों के बीच में सम्बन्ध कायम हैं, किस तरह से उनके यहां आमतौर से लोगों में विचार विनमय हुआ करता है, और यह पुलिस का अधिकार न होने से उनका काम कैसे चल सकता है,और इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये जरूरत इस बात की है कि हम प्रदेश के तमाम लोगों की राय जान लें और उनकी राय को समझ लें।

श्रीमन्, एक घटना मुझे याद आ गयी। हमारे इसी सदन में एक दिन यह प्रश्न आया था कि वहाँ किसी आदमी के बन्दूक का लाइसेन्स जमा न करने के कारण उस पर गोली चली और वह जेल भेजा गया और यह भी मालूम हुआ कि ६ महीने तक लाइसेन्स रिन्यू नहीं हुआ, यों ही बना रहा। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और जब कार्यवाही हुई तो मामला इतना तूल पकड़ गया कि जान जाने तक की नौबत आ गयी। इसका एक ही नतीजा निकलता है कि पटवारी के हाथ में यह अधिकार देने से जनता का हित न हो कर अहित ही होगा।

एक बात यह भी है कि वहां पटवारी के हाथ में जो काम रेवेन्यू विभाग का है वही इतना पर्याप्त है जिसके कारण उसे और कार्य करने का अवकाश नहीं मिलेगा। इसी कारण रिन्यू नहीं करा पाया। जब यह काम भी पटवारी को दे दिया जायगा और वह इस काम को नहीं कर पायेगा तो प्रदेश के उस हिस्से में शान्ति भंग हो सकती है। इस घटना से हमको ऐसा अन्देशा होता है कि इस अधिकार का प्रयोग पता नहीं कि कहां तक जनता के हित में होगा ? ज्यादा संभावना तो यही है कि जनता के अहित में होगा।

इन तमाम बातों को और शक्ति संचय के जो सिद्धान्त हैं उनको देखते हुए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वे स्वीकार कर लें और जनमत जानने के पश्चात् अगर वे कुछ निर्णय लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन मूव कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री रूम सिंह से) अब आप अपना संशोधन पेश न करें, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि प्रजातंत्र को सबल बनाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि जनता को यह मालूम हो सके कि उसकी आवाज की भी कुछ कद्र सरकार करती है, इसलिये जनमत के लिये घुमाने का यह जो संशोधन है इसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देहात में यह कहावत मशहूर है "एक तो भूत और बांधे हुए भाला"। यह चीज पहाड़ में चरितार्थ हो जायगी। फिर पहाड़ का रास्ता भी खराब है। जो लेखपालों के अत्याचार वहां होंगे उनकी सूचना तक आपके पास नहीं आ पायेगी। अभी सीतापुर के एक कान्सटेबिल के यहां चोरी का सामान बरामद हुआ और शाहजहांपुर के जैतीपुर थाने में चोरी हुई तो....

श्री अध्यक्ष—यह आप असंगत हो रहे हैं, इस विधेयक से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रूमसिंह—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लेखपालों को जो पुलिस के अधिकार सरकार देने जा रही है वह जबर्दस्त खतरे की घंटी है। इससे वहां की जनता का अहित होगा। इसलिये माल विभाग को शासन विभाग से अलग करने का जो संशोधन आया है इसमें जनमत मालूम करने के लिये रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसे मंत्री जी स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इससे जनता को उत्साह मिलेगा कि सरकार हमारी भी राय की कद्र करने लगी है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय रूम सिंह जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि वह चाहते हैं कि इस विधेयक को जनमत के लिए भेजा जाय। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्दर कोई नया प्रश्न, कोई नयी नीति ऐसी नहीं रखी गई है और कोई नयी पद्धति वहां पर थोपी नहीं जा रही है जिसके लिए कोई जनमत जानने की आवश्यकता हो। आज भी स्थिति यह है कि स्पष्ट रूप से जो वहां का तहसीलदार होता है वह वहां का यानी जौनसार-बावर का दरोगा भी होता है। उसको वह सारी शक्ति, पुलिस आफिसर की तमाम पावर, जो कि हमारे यहां दरोगा की हैं, उसके तमाम अधिकार उसको आज भी प्राप्त हैं और उसको यह भी अधिकार है कि वह अपने किसी भी चपरासी को उसके लिए इम्पावर कर सकता है, शक्ति दे सकता है कि वह पुलिस की ड्यूटी का अन्जाम दे। तो आज भी जो सिस्टम चल रहा है जो तरीका चालू है उसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। केवल इतना है कि वहां इस बात की कोशिश है इस विधेयक को लाकर श्रीमन्, कि वहां जितना भी रेवेन्यू स्टाफ उसके अन्दर जो यह पावर्स हैं उनको एक यूनिफार्म बेसिस के आधार पर तकसीम कर दिया जाय। आज भी यों तो जाब्ते से जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके अन्दर कानूनगो को पावर दी गई है कि क्रिमिनल मामलों का इन्वेस्टीगेशन करे, और जो ज्यादा संगीन मामले हों उनको तहसीलदार देखे। लेकिन वहां यह भी है कि तहसीलदार चाहे तो अपने चपरासी को भी यह अधिकार दे सकता है। तो मैंने इसलिए इसका विरोध किया।

जहां तक एक्सपेरिमेंट की बात है तो जो और भी जिले पहाड़ के हैं उनमें इस तरह की पद्धति चल रही है। वहां इस तरह का नियम है और वहां यह नियम कामयाब साबित हुआ। लिहाजा यह सोचा गया कि बिना कोई विशेष खर्चा बढ़ाये हुए वहां के लेखपाल को और उसके साथ साथ जो और रेवेन्यू स्टाफ है उनको इन्वेस्टीगेशन के अधिकार दे दिये जायं जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, आदि जिलों में है। इस तरह से जो वहां पर एक गैप है, एक कमी है, वह पूरी हो जायगी और कोई विशेष खर्च का बोझ भी सरकार के ऊपर पड़ने वाला नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

भाई रूम सिंह जी ने कुछ भूत-वूत की बात भी कह डाली। मैं तो समझा नहीं। कोई भूत तो मुझे इसमें दिखाई पड़ा नहीं। लेकिन खैर, अक्सर उनको भूत दिखाई दे जाता है। इस मामले में ज्यादा कुछ कहने की बात भी नहीं है। मुझे अभी जौनसार-बावर क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। मैंने कुछ थोड़ा सा जौनसार-बावर की स्थिति को देखा भी। वह एक बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इतना पिछड़ा हुआ होने के बावजूद वहां पर जो क्राइम की पोजीशन है वह हमारे और हिस्सों से बहुत अच्छी है।

इन सब बातों को देखते हुए यह एक बहुत ही इन्नोसेंट विधेयक है। जो और तमाम जगह पहाड़ों पर कर रहे हैं उसी को यहां जौनसार-बावर में भी करने की बात है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भाई रूम सिंह जी ने जो अपना प्रस्ताव पेश किया है जिसकी कोई बेसिस नहीं है उसको वह वापस ले लेंगे और इसको पास करेंगे।

श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, यह जौनबार-बाबर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ जो इस समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में जो भाई रामस्वरूप जी वर्मा ने अपना संशोधन पेश किया है कि यह ६० दिन के लिए जनमत जानने के लिए घुमाया जाय,मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इस नाते करता हूं कि हमारे पहाड़ी प्रदेश के, टेहरी-गढ़वाल में इस वक्त करीब २,७०० गांव हैं। इसके ड्योढ़े गढ़वाल में है। इसी प्रकार करीब ४,००० गांव अल्मोड़े में हैं और २,०००, २,५०० के करीब नैनीताल में हैं। इन सब गांवों में यह पद्धति जारी है। जब इस पद्धति को देखते हुए सरकार ने यह समझा कि यहां पर जुर्मों का पता चलाना पुलिस के जरिये पासिबिल नहीं है, थाने अगर वहां पर खोल भी दिये जायं तो उन थानों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है जैसी कि पटवारियों के द्वारा अन्य जिलों में की जाती है, तो इसी दृष्टि से सरकार ने यह अधिनियम इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि जैसी और जिलों में कार्य प्रणाली है उसी प्रकार जौनसार बावर के ५०, ६० गांव जो हैं उनमें भी यही कार्य-प्रणाली चालू कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की कार्य-विधि से और जो पटवारियों को अधिकार आज दिया गया है उन दोनों से अच्छी तरह से परिचित हूं। जब हमारा जिला उत्तर प्रदेश में मर्ज नहीं हुआ था तब हमारे यहां पटवारियों को यह पावर मौजूद थी, लेकिन विलीनीकरण के बाद पटवारियों से यह पावर हटा ली गई और इसका नतीजा यह हुआ कि सब जगह आतंक सा हो गया और लोगों को इस प्रकार से डिस्सेटिस्फैक्शन सा हो गया कि जुर्मों का पता चलाना मुश्किल सा हो गया। आज पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तो डेढ़ महीने बाद उसकी जांच होती है। उसका नतीजा यह होता कि जुर्म का पता नहीं चलता था और अगर किसी तरह से चार्ज-शीट लगाई भी जाय तो निष्फल सा रहता था। इसी संबंध में, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमारे बूढ़ा केदार के रास्ते पर जो एक तीर्थ स्थान है एक बड़ा महाजन गया था उसके पीछे, दो-तीन डकैत लगे हुए थे। उनको कहीं मौका नहीं मिला। एक जगह पंगराना चट्टी पर ऐसा हुआ कि वह महाजन कहीं आगे निकल गया और उन डकैत ने बेचारे दूकानदार को घेर कर डाका डाला और उस डकैती में कुछ फायरिंग की और एक कुली मर गया। इस वाकये की खबर पुलिस को करीब १५ दिन के बाद लगी, क्योंकि श्रीमन्, थाना वहां से १० या १२ दिन के रास्ते पर था। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी कि कोई पुलिस में इत्तला करे। और जब १४, १५ दिन बाद पुलिस को पता चला उस समय तक कुली की लाश भी सड़ गई थी, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका। इस कारण मैं समझता हूं कि वहां इस प्रणाली के अलावा दूसरी कोई प्रणाली चल नहीं सकती है। मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कत है और वह दिक्कत दूर हो सकती है अगर इन पटवारियों को ट्रेनिंग पुलिस की इन्वेस्टीगेशन की ठीक दी जाय तो वहां काम अच्छी तरह से चलेगा और इसमें मेरे खयाल से सदन को कोई गुरेज न होना चाहिये कि यह प्रस्तुत विधेयक तुरन्त इसी प्रकार पारित करे।

**श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल यहां पेश किया है मैं उसका सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं। लेकिन इस बिल पर और इन अधिकारों पर प्रकाश डालने से पहले पर्वतीय इलाकों में रेवेन्यू सिस्टम क्या है और रेवेन्यू आफिसर्स क्या हैं इन सब को देखना होगा। जहां हम पटवारियों को पुलिस अधिकार देने जा रहे हैं, जैसा अभी माननीय सदन में कहा गया कि पटवारियों को पुलिस अधिकार देने से कुछ नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, मान्यवर, कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि पटवारियों की जगह रेगुलर पुलिस लायी जाय। मैं अभी कुमायूं लाज कमेटी को आपके सम्मुख कोट करूंगा। उनका कहना है कि रेगुलर पुलिस न लाई जाय बल्कि पटवारी सिस्टम चले।

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं अब आप कल बोलें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
२५ अगस्त, १९५८।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर ।)

To

THE CHIEF MINISTER,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

SIR,

WE the students of M. G. Medical College have learnt with deep regret and apprehension your recent announcement that the students of the State Ayurvedic College will have the option to join our college without a pre-medical test. We were all the more surprised to hear of it because it was generally known to all concerned that the sole purpose of this agitation was to procure admission in the Medical College without a pre-medical test.

We wish to bring to your notice that the standards of medical education and examination in this country are laid down by the Indian Medical Council and it is because of this recognition by the Indian Medical Council that we can join the medical services of any State in the country, we can secure admission to any post-graudate courses throughout this country in any Medical Institution. It is through the Indian Medical Council that our degrees are recognized in foreign countries particularly in Great Britain where large number of our graduates study every year for higher training and seek temporary employment for the same purpose.

In the past the merger of the M. B. B. S. students without the pre-medical test had led to a severe criticism of the standard of M. B. B. S. training in our college and after that experience it was hoped that no such steps will be taken in future which might lead to withdrawal of recognition of our M. B. B. S. degree by the Indian Medical Council. The latest announcement regarding the fresh entry of a large number of Ayurvedic students without a pre-medical test is bound to lead to still more severe criticism and jeopardize the recognition of our degree. Any such step can only mean a disaster for thousands of medical graduates of our University.

We may, here, also point out that throughout the country and many institutions in Great Britain, medical authorities ridicule and criticize us for graduating from a college where hundreds of Ayurvedic students were admitted without a pre-medical test. It has already done great harm to the prestige of our college and these remarks are sometimes made to our graduates who appear before State Public Service Commissions in different States.

It is perhaps because of similar reason that several institutions in U. K. no longer recognize the training we receive in Gandhi Memorial and Associated Hospitals and we have to spend Rs.10,000 extra per student for taking one year's training for becoming eligible to appear in post-graduate examination there.

We would also like to bring to your notice that considering the number of students already studying in our college, there is a paucity of beds and laboratory equipments. In many instances an instrument or a microscope is provided between two students and any further increase in the number of students without any possibility of immediate availability of instruments because of restrictions of foreign exchange can only lead to further overcrowding and conseqeunt difficulties in our training. The number of students is so large that it is difficult for us to obtain adequate clinical training because so many students have to attend a clinic taken on any one patient.

Here, again, according to the standards laid down by the Indian Medical Council the number of beds should be at least five per clinical clerk or dresser and the number of students in clinical classes is never less than five hundred. This would mean that we should have at least 2,000 beds for purposes of teaching in our hospital and we are already falling short of this standard.

We have nothing against the students of State Ayurvedic College but we still fail to see what special qualifications they have acquired that they should be admitted to our college without a pre-medical test while their unfortunate brethren who chose to join the medical group in the Faculty of Science of this University should be asked to join only through the pre-medical test.

We are convinced that students of medical group in the B.Sc. classes are more suited to prosecute medical studies than those who have only been studying Ayurved during these years.

It is often argued that because of the failure of State Government to provide adequate facilities to the Ayurvedic students they should be compensated by their admission to the Medical College. We fail to see the logic in this argument because compensation on the part of the State should not mean sacrificing educational standards and policies.

Under these circumstances we would request you that, in the interest of educational policies and standards of medical education and interests of thousands of medical students, entry to this college should be allowed only through the usual pre-medical test.

Yours faithfully,
*Students of K. G. Medical College,*
*Lucknow.*

*Dated August* 9, 1953.

## नत्थी ख

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

तालिका संख्या १

| क्र० | उ० मा० वि० का नाम | पोषण अनुदान | मंहगाई अनुदान | विशेष वेतन वृद्धि अनुदान | क्षतिपूर्ति कक्षा ६ में निःशुल्क करने के कारण | अनुदान जमींदारी उन्मूलन के कारण | पोषक पूरक अनुदान | महंगाई पूरक अनुदान | उपस्कार अनुदान | पुस्तकालय अनुदान | छात्रावास अनुदान | क्रीड़ास्थल अनुदान | भवन साधारण योजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | रु० न० पै० | | | | | | |
| १ | शिवली नेशनल | १८,१०८ | ५८० | ६९६ | ६५१ | १,५०० | ४,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २ | एस० के० पी० | १५,६९६ | ६६० | ९१६ | ४२० | २,४०० | ३,००० | ३७·८१ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३ | बेसले | २३,१०० | ८४० | २६४ | १,०५० | .. | १,२०० | .. | ४०० | .. | .. | .. | .. |
| ४ | स्मिथ, अजमतगढ़ | १६,३५६ | ५४० | ५१६ | १०५ | ७०० | .. | ७१·४४ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ५ | डी० ए० वी० | १७,८२० | ६६० | १,३८० | ९४५ | ८०० | २,००० | .. | ४०० | .. | .. | .. | .. |
| ६ | तेरही, कैप्टेन-गंज .. | ५,०४० | २८० | .. | २१० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ७ | श्री कृष्ण गीता, लालगंज .. | ५,४१२ | ५४० | .. | ६०९ | ३०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ८ | शान्तानन्द स्वतंत्र भारत, अमिला | ५,४८४ | २२५ | .. | ७९८ | ३०० | .. | .. | ५०० | .. | .. | .. | १,००० |
| ९ | गान्धी, मलतारी | ६,९०० | ३६० | .. | ४८३ | १,१०० | २,००० | .. | ५०० | .. | .. | .. | .. |
| १० | जनता शिक्षा निकेतन, दुवारी | ५,१७२ | ३०० | .. | ५२५ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ११ | सुभाष, करखिया | ५,२९२ | ४२० | .. | ३५७ | ५०० | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

प्रतिलिपि सभा

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ विन्देश्वरी, तुलसी नगर, खन्दौरा | ६,७३२ | ४२० | .. | ३३६ | १,४०० | २,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १३ महराजगंज, महराजगंज .. | ८,३७६ | ३४० | .. | २९४ | ८०० | २,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १४ चौरा बेलहा, तरवा | ६,७६८ | ४२० | .. | .. | २,२०० | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १५ जीवनराम, मऊनाथ भंजन .. | १४,०४० | ४८० | १३२ | ५०४ | १,१०० | २,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १६ बापू, कोपागंज | ७,३९२ | ३७० | .. | २३१ | ८०० | १,५०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १७ मुस्लिम, मऊनाथ-भंजन .. | ९,६८४ | ३४० | .. | ५६७ | ९०० | १,५०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १८ गान्धी विद्यालय, मारुफपुर .. | ८,४२४ | ४२० | .. | ५७८ | १,००० | .. | .. | ५०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| १९ श्री दुर्गा जी चंदे – सर .. | १९,००८ | ९६० | ७२ | ९६६ | १,००० | .. | .. | १,५०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| २० डी० ए० वी०, मऊनाथ भंजन | १२,३१२ | ५०० | ६० | २९४ | २,३०० | २,००० | .. | ४०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| २१ हीरालाल मेमोरियल, भरौली .. | १०,२६० | ४२० | .. | ६०९ | .. | .. | .. | ५०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| २२ विक्ट्री, दोहरीघाट | ११,५५६ | ४६० | .. | ४२० | १,१०० | .. | .. | ५०० | २,५०० | .. | .. | .. | .. |
| २३ गयादीन जायसवाल, जायसवाल नगर | १२,३९६ | ४२० | १४४ | .. | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २४ जनता, रानीपुर | ५,४१२ | ६०० | .. | ७५६ | ९०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २५ टाउन, मुहम्मदाबाद .. | ६,२०४ | ३६० | .. | .. | .. | २,५०० | .. | ५०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| २६ श्री शहीद, मधुबन | ११,५०८ | ५४० | .. | ४६२ | २,७०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २७ गान्धी कूबा, नेवादा | ७,८१२ | ३६० | .. | ३७८ | १,००० | .. | .. | ५०० | .. | .. | .. | .. | .. |
| २८ श्री शंकर, दीहा | .. | .. | .. | ७३५ | २,३०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | उ० मा० वि० का नाम | पोषण अनुदान | महंगाई अनुदान | विशेष वेतन वृद्धि अनुदान | क्षतिपूर्ति अनुदान कक्षा ६ जमींदारी में: निशुल्क उन्मूलन करने के के कारण कारण | पोषक पूरक अनुदान | महंगाई पूरक अनुदान | उपस्कर अनुदान | पुस्तकालय अनुदान | छात्रावास अनुदान | क्रीड़ास्थल अनुदान | भवन अनुदान | साधारण योजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २९ | गान्धी स्मारक, बरदह .. | १,०४४ | ३६० | .. | .. | ४७२ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३० | पटेल, अतरौलिया | .. | .. | .. | .. | ३१५ | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३१ | सुखनन्दन मठ, मुहम्मदपुर .. | .. | .. | .. | .. | ३१५ | १,८०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३२ | श्री शंकर जी, पुष्पनगर .. | .. | .. | .. | .. | ४४१ | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३३ | गान्धी गुरुकुल, भवननाथ .. | .. | .. | .. | .. | २३१ | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३४ | ग्राम समाज, जिजनी मेहनगर .. | .. | .. | .. | .. | ४४१ | ४०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३५ | श्री गान्धी महा-विद्यालय, बागली पिंजरा .. | .. | .. | .. | .. | २९४ | २०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३६ | सर्वोदय नगर, सर्वो-दयनगर .. | .. | .. | .. | .. | .. | ३०० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३७ | पंचायत गौरा, मेंहनगर .. | .. | .. | .. | .. | ४६२ | १,००० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

## तालिका संख्या (२)

वर्ष १९५७-५८ में आर्थिक सहायता (प्रारम्भिक अनुदान ) हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाली शिक्षा संस्थाओं (उच्चतर माध्यमिक स्कूलों) की सूची :—

१ - पी० एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतरौलिया, आजमगढ़ ।

२ - के० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सर्वोदयनगर, आजमगढ़ ।

३ —ग्राम समाज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयनगर, आजमगढ़ ।

४—शंकर जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुष्पनगर, आजमगढ़ ।

५—रामरक्षा दास अनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़ ।

संसद पुस्तकालय

## मत्थी घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

### तालिका संख्या (३)

आजमगढ़ जिले के उन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तालिका जिन्हें वर्ष १९५७-५८ तक प्रारम्भिक अनुदान (Preliminary Grant) नहीं प्रदान किया गया :

१--श्री शंकर जी, पुष्पनगर

२--पटेल मेमोरियल, अतरौलिया, आजमगढ़

३--कृषक विद्यालय, सर्वोदयनगर, खुरहन

४--गांधी गुरुकुल, भंवरनाथ

५--श्री शंकर, डोहा

६--पंचायत, गौरा, मेंहनगर

७--सुखनन्दन, मुहम्मदपुर मठ, मऊनाथ भंजन

८--ग्राम समाज महाविद्यालय, जयनगर, जियनी

९--जनता, अहरौली

१०--राम रक्षा दास अनाथ उद्योग, कोयलसा

११--ब्रह्मर्षि रामकृष्ण, बलोदपुर

१२--तरुण, कुण्डा कुचाई, बीबीपुर

१३--पंचायत, रेंडा, कम्हरिया ।

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४-५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

| विभाग | सन् १९५६ व ५७ तथा मार्च, १९५८ तक गोरखपुर के डी० एस० पी० (सी) के पास आई शिकायतों की संख्या | जांच की गई शिकायतों की संख्या | सही पाई गई शिकायतों की संख्या | कर्मचारियों को दिये गये दंड का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १—पुलिस .. | ३९१ | ३२५ | ८१ | १ एस० आई०, ३ हे० कां० तथा २ कां० पदच्युत किये गये एवं २ एस० आई०, १ हे० कां० तथा १५ कां० के वेतन कमकर दिये गये। ३ एस० आई०, ४ हे० कां० तथा २४ कां० के सच्चरित्रता के प्रमाण-पत्र रोके गये तथा १२ एस० आई०, ३ हे० कां० और ३ कां० की चरित्रावलियों में भ्रष्टाचरण आलेख्य किये गये। २ एस० आई० की सालाना तरक्की रोकी गई तथा ५ एस० आई, २ हे० कां० एवं १२ कां० को अन्य रूप में दंड दिया गया। |
| २—जिला बोर्ड .. | १ | .. | .. | .. |
| ३—रेलवे .. | ७ | .. | .. | .. |
| ४—माल .. | ३१ | १७ | ५ | २ चौकीदारों को दलेल दी गई और १ के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। २ चौकीदार दोषी नहीं पाये गये। |
| ५—नियोजन .. | १९ | ३ | १ | १ पंचायत सेक्रेटरी की चरित्रावली में भ्रष्टाचरण आलेख्य किया गया। |
| ६—एक्साइज .. | ९ | ५ | १ | १ एक्साइज इंस्पेक्टर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है। |
| ७—सप्लाई .. | ७ | १ | १ | १ इन्सपेक्टर विभागीय कार्यवाही के पश्चात् जिलाधीश के यहां से दोषी नहीं पाया गया। |

| विभाग | सन् १९५६ व ५७ तथा मार्च, १९५८ तक गोरखपुर के डी० एस० पी० (सी) के पास आई शिकायतों की संख्या | जांच की गई शिकायतों की संख्या | सही पाई गई शिकायतों की संख्या | कर्मचारियों को दिये गये दंड का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| ८—बाढ़ | ५ | .. | .. | .. |
| ९—शिक्षा | २ | .. | .. | .. |
| १०—पी० डब्ल्यू० डी० | ४ | १ | .. | .. |
| ११—फारेस्ट | १ | .. | .. | .. |
| १२—सिंचाई | ४ | .. | .. | .. |

# नत्थी 'च'

(देखिय तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

## राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यों की सूची

१--उन इमारतों में, जिसकी सरकार स्वयं मालिक है तथा पट्टे पर उठाई गई इमारतों में जिसमें सम्पूर्ण राज्य के सर्किट हाउस भी सम्मिलत हैं। किये जाने वाले निर्माण कार्यों से संबद्ध सभी प्रस्ताव की प्रशासकीय जांच, तखमीने की प्रशासकीय स्वीकृति और छोटे तथा क्षुद्र निर्माण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव के अधिकार में रखी गयी सुरक्षित धनराशियों में से इन मांगों के लिये कोष नियत करना।

२--मंत्रियों, उप मन्त्रियों, सभा सचिवों और विधान मंडल के अफसरों के आवासों को सजाने आदि के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये सभी तखमीनों की प्रशासकीय जांच और उनके लिये कोष नियत करना।

३--लखनऊ में मध्यम-वर्ग-गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों का प्रशासकीय नियंत्रण और लखनऊ में इस योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों का आबंटन।

४--१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी अहातों (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनिमय (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३९, १९५२ ई०) का प्रवर्तन।

५--लखनऊ में विधान मंडल के सदस्यों के लिये इस्टेट विभाग के आवासों की स्थापना से संबद्ध सभी मामले और नैनीताल स्थित नैनीताल क्लब और सचिवालय के भवन और सचिवालय के स्टाफ कारों के ड्राइवर जिसमें मंत्रियों की मोटर गाड़ियों के ड्राइवर भी सम्मिलित हैं।

६--लखनऊ और नैनीताल में ऐसी इमारतों में जिनकी सरकार स्वयं मालिक है और ऐसी इमारतों में जो सरकार द्वारा पट्टे पर उठाई गई हैं आवास और कार्यालय सम्बन्धी स्थान का बंटवारा।

७--लखनऊ और नैनीताल में विधान मंडल के सदस्यों के ठहरने के लिये प्रबन्ध।

८--लखनऊ में राजकीय अतिथियों के ठहरने और परिवहन की व्यवस्था।

९--विधायक निवास में और सचिवालय में जलपान आदि के प्रबन्ध।

१०--सचिवालय में आग से बचाव का प्रबन्ध।

११--मंत्रियों की मोटर गाड़ियों और स्टाफ कारों की मरम्मत, चलने के व्यय आदि के लिये लेखों का रखना।

१२--लखनऊ में विधायक निवास और नैनीताल में नैनीताल क्लब के किराया लेखों का रखना।

१३--स्टेट विभाग के सम्पूर्ण कर्मचारिवर्ग के वेतन, यात्रिक भत्ते और आकस्मिक व्ययों के लेखों का रखना। इनमें विभिन्न साधनों से होने वाली आय के लेखे भी सम्मिलित हैं।

१४--सरकार द्वारा अपेक्षित स्थान की खरीद, पट्टे पर उठाना और उसे प्राप्त करना।

१५--स्टाफ कारों की जिसमें मन्त्रियों की मोटर गाड़ियां भी सम्मिलित हैं खरीद और उनका बंटवारा।

१६--सचिवालय में उपयोग के लिये बिजली के सभी सामानों की खरीद, उनका रख-रखाव और वितरण।

१७--आफिसर्स रेस्ट हाउस और स्टेट गेस्ट हाउस।

## राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी नानगजटेड कर्मचारियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| **विभाग में—** | | |
| प्रवर वर्ग सहायक | .. | ८ |
| कोषाध्यक्ष एवं एकाउन्टेन्ट | .. | १ |
| एकाउन्टेंट .. | .. | २ |
| संदर्भ कर्ता .. | .. | ३ |
| अवर वर्ग सहायक | .. | १२ |
| ड्राइवर .. | .. | २९ |
| दफ्तरी .. | .. | १ |
| चपरासी .. | .. | ४ |
| मेहतर .. | .. | ४ |
| चौकीदार .. | .. | १ |
| फायरगार्ड .. | .. | ५ |
| | | ७० |
| **विधायक निवास—** | | |
| अवधाता .. | .. | ४ |
| इन्क्वायरी क्लर्क तथा रिसेप्शनिस्ट | | ३ |
| टेलीफोन अटेन्डेन्ट | .. | १२ |
| चपरासी .. | .. | ४ |
| माली तथा माली मजदूर | .. | १५ |
| भिश्ती .. | .. | ८ |
| चौकीदार .. | .. | १८ |
| फर्राश .. | .. | ६२ |
| मेहतर .. | .. | १५ |
| बढ़ई .. | .. | १ |
| हेड माली .. | .. | २ |
| लिफ्टमैन .. | .. | ४ |
| इलेक्ट्रिशियन | .. | १ |
| बैरा .. | .. | १ |
| वाटर-मैन .. | .. | २ |
| साइकिल चौकीदार | .. | २ |
| | | १६४ |
| **नैनीताल क्लब, नैनीताल—** | | |
| अवधाता .. | .. | १ |
| फायरमैन .. | .. | २ |
| चौकीदार .. | .. | ४ |
| रूम चपरासी | .. | २ |
| मेहतर .. | .. | २ |
| माली .. | .. | २ |
| बिलियर्ड मार्कर | .. | १ |
| | | १४ |

स्टेट गेस्ट हाउस—

| | | |
|---|---|---|
| सहायक अवधाता | .. | १ |
| बैरा एवं फर्राश | .. | ३ |
| रसोइया .. | .. | १ |
| चौकीदार .. | .. | १ |
| मेहतर .. | .. | १ |
| | | ७ |

आफीसर्स रेस्ट हाउस—

| | | |
|---|---|---|
| सहायक अवधाता | .. | १ |
| चौकीदार एवं फर्राश | .. | २ |
| रसोइया .. | .. | १ |
| मेहतर .. | | १ |
| | | ५ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२–७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

## पत्र, पत्रिकायें एवं कलैन्डरों के प्रकाशन का विवरण

| क्रम-संख्या | विभागों के नाम जिनसे प्रकाशन होता है | पत्र, पत्रिकाओं व कैलेन्डरों के नाम | विवरण | सन् १९५५–५६ में प्रकाशित प्रतियां | सन् १९५५–५६ में प्रकाशित पत्र आदि पर व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | | | | | रु० आने पाई | |
| १ | शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश .. | (क) शिक्षा | हिन्दी त्रैमासिक | ८,८०० | १८,०२६ १२ ६ | |
| | | (ख) शिक्षा की प्रगति (समीक्षा) | .. .. | २,५०० | १,२९५ ५ ० | |
| | | (ग) शिक्षा की प्रगति (आंकड़े) | .. | | | |
| | | (घ) नव-ज्योति .. | हिन्दी मासिक | २१,००० | ५,६६२ ६ ० | केवल सन् १९५६–५७ में कैलेन्डर का प्रकाशन हुआ। |
| | | (च) कैलेन्डर (१९५७ ई०) .. | | .. | .. | |
| २ | संचालक, विकास अन्वेषणालय, उत्तर प्रदेश .. | (क) नवयुवक * .. | हिन्दी मासिक | .. | .. | *पत्रिका का प्रकाशन १५ अगस्त, ५६ से प्रारम्भ हुआ। |
| ३ | संचालक, पंचायत राज विभाग | (क) साप्ताहिक पंचायत समाचार। | हिन्दी साप्ताहिक | ३२,५०७ | १,०१७ १० ० | |
| ४ | संचालक, अर्थ एवं संख्या विभाग | (क) मन्थली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स। | मासिक | ५,५२० | १०,५०० | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश | (क) कृषि और पशु पालन | हिन्दी मासिक | ३५,६१७ | २३,७४४ | | |
| | | (ख) एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हसबैन्डरी | अंग्रेजी मासिक | ७,७४९ | ७,७४९ | | |
| | | (ग) कैलन्डर (कृषि) | .. | १४,५६२ | ७,२८१ | | |
| ६ | गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश | (क) कैलेन्डर .. | .. | १४,००० | ६,००० | | धन का आधा रुपया इन्डियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी, दिल्ली, ने दिया था। |
| ७ | रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश | (क) अधीनस्थ अदालतों के लिये कैलेन्डर | .. | २,५०० | १७५ १० | | |
| | | (ख) उच्च न्यायालय के लिये कैलेन्डर | .. | ३,००० | ८४० ११ | | |
| ८ | श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश | (क) श्रमजीवी | हिन्दी साप्ताहिक | ४२,८०० | ४,०५० | | |
| | | (ख) लेबर बुलेटीन .. | अंग्रेजी मासिक | ६,६०० | १७,६९० १४ | | व्यय के आंकड़े दस मास के लिये हैं। |
| ९ | संचालक, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क। | (क) कैलेन्डर | .. | .. | .. | | वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कैलेन्डर छपवाया गया था। |
| १० | इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश। | (क) जन-सेवक | हिन्दी त्रैमासिक | .. | .. | | सन् ५५-५६ में छपवाने का प्रबन्ध न होने के कारण पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ। |
| ११ | इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश | (क) जनरल आफ करेक्शनल वर्क | अंग्रेजी वार्षिक | ५०० | १,००० | | आंकड़े सन् १९५५ व ५६ दोनों वर्षों के लिये हैं। |

संविधान सभा

| क्रम-संख्या | विभागों के नाम जिनसे प्रकाशन होता है | पत्र, पत्रिकाओं व कैलेन्डरों के नाम | विवरण | सन् १९५५-५६ में प्रकाशित प्रतियां | सन् १९५५-५६ में प्रकाशित पत्र आदि पर व्यय | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | | ७ |
| | | | | | रु० आ० पा० | | |
| १२ | उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश | (क) कैलेन्डर | .. | .. | .. | | सन् १९५६-५७ में क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत एक कैलेन्डर छापा गया। |
| १३ | अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश | (क) कैलेन्डर पैड | .. | ५,८०० | ९,२६५ २ | | |
| | | (ख) कैलेन्डर स्लिप | .. | २१,००० | २३५ १० | | |
| १४ | सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश | (क) उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य | हिन्दी पाक्षिक | ९,४६,३३१ | ३,५३,६१८ | ७२ नये पैसे | |
| | | (ख) त्रिपथगा* | हिन्दी मासिक | ५,९९२ | ६,३३१ | | *पत्रिका का प्रकाशन अक्टूबर, १९५५ से आरम्भ हुआ। |
| | | (ग) उत्तर प्रदेश | अंग्रेजी मासिक | ३८,७८१ | ४,७४७ | १२ नये पैसे | |
| | | (घ) नया दौर | उर्दू मासिक | ३५,४८४ | ४,१३६ | | |
| | | (च) कैलेन्डर (१९५६) | .. | २,००० | १२,५०१ | ५० नये पैसे | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

| अपराधी | थाना | रिपोर्ट | जांच की गई | चालान | सजायाब | रिहा हुए | विचाराधीन न्यायालय | जांच हो रही है | लापता होने पर अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डकैती | मोहनलाल गंज | १ | १ | १ | .. | .. | १ | .. | .. |
| कत्ल | ,, | ४ | ४ | २ | .. | २ | .. | १ | १ |
| राहजनी | ,, | ५ | ५ | ३ | .. | .. | ३ | १ | १ |
| चोरी | ,, | १२ | १२ | ४ | .. | .. | ४ | २ | ६ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

| घटना | नाम गांव, जहां घटना हुई | घटना | नाम गांव, जहां घटना हुई |
|---|---|---|---|
| डकैती | करवी गांव गडरियापुरवा | चोरी | सलेमपुर |
| | | | महुआ गांव |
| कत्ल | लक्खा पुरवा मौजा फुफवारा | | रामपुर सरसौल |
| | महुआ गांव | | फुफवार राज थोक |
| | जरकला | | महराजपुर |
| ,, | महुआ गांव | | मुरवामीर |
| | | | उढगा खेरा सरसौल |
| चोरी | लालापुरवा खुउजपुर | | नजदीक रेलवे स्टेशन, सरसौल |
| | लाहौरपुर | | रूमा |
| | रेलवे स्टेशन सिरसौल | | सेखपुर |
| | भेबली सिरसौल | | भेबली |
| | तिलसाहरी खुर्द | | चकेरी |
| | चकेरी | | .. |
| | महराजपुर | मारपीट | |
| | सरौल | | ऐमा जहागीरपुर |
| | सेमसी डोमनपुर | | सिकठिया |
| | कुढवा | | दीपपुर उचैटी |
| | तिलसाहरी खुर्द | | हाथीगांव |
| | बवसर | | गाजियापुरवा करबीगाँव |
| | फुफवार | | घाटखेड़ी फुफवार |
| | छतमरा | | सेमसी |
| | रेलवे स्टेशन रूमा | | बिटारा |
| | तिलसहरी | | महुआ गांव |
| | मदारपुर | | तिलसहरी |
| | हाथीगांव | | पुरवा सिकठिया |
| | तिलसहरी खुर्द | | करबीगांव |
| | फबवार सुईथोक | | सीतलखेड़ा |
| | फुबबार | | सलेमपुर |
| | फबवार | | सरसौल |
| | बेसिक प्राइमरी स्कूल, कुढ़वा | | मदनपुर |
| | अमौली | | खजुरिया |
| | कुलगांव मदनपुर | | |
| | रूमा क्वार्टर रेलवे स्टेशन | | |
| | रूमा | | |

## नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

## उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विधान मंडल की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम संयुक्त प्रवर समिति के निम्न हस्तों की सदस्यगण, जिनको कि उत्तर प्रदेश गोबध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ विचारार्थ अभिदिष्ट हुआ था, निम्नलिखित प्रतिवेदन देते हैं:—

२—संयुक्त प्रवर समिति की बैठकें विधान भवन, लखनऊ में ११,२१ तथा २२ अगस्त, सन् १९५८ को हुईं।

३—विधेयक पर खंडशः विचार करने के पूर्व संशोधक विधेयक के मूलभूत सिद्धांत पर सामान्य चर्चा की गई। इस विषय में सब एक मत हुये कि गाय तथा उसकी संतति के वध का निषेध, जिसका कि उत्तर प्रदेश गोबध-निवारण अधिनियम, १९५५ (जिसे कि आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में विधान है, लोकमत का यथोचित ध्यान करके किया गया था, किन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय के २३ अप्रैल सन् १९५८ के निर्णय को दृष्टि में रखते हुये कुछ परिवर्तन आवश्यक समझे गये। विचार-विनिमय के फलस्वरूप जो मुख्य संशोधन निर्णीत हुये, वे निम्नलिखित हैं :—

खंड २ १—"गोमांस" शब्द की परिभाषा जो कि मुख्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा २ (१) (क) में दी गई है उसको निम्न प्रकार से परिवर्तित कर दिया गया है:—

"गोमांस" का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड़ या बैल के मांस से है जिसका बध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं आता है जो सील बन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो।

खंड ३ २—मुख्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३ में निम्नलिखित संशोधन किये गये,

(१) उपधारा (२) को यह व्यवस्था करने के लिये संशोधित कर दिय गया है कि किसी ऐसे सांड़ या बैल का जिसके विषय में प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो प्रमाण-पत्र दिये जाने के २० दिन के अन्दर वध नहीं किया जायगा। (२) उपधारा (३) (क) में दी हुई १५ वर्ष की आयु की अवधि बढ़ा कर २० वर्ष कर दी गई है। साथ ही इस उपधारा में आने वाले शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया गया है, जिसका कि उद्देश्य यह है कि नियत आयु पूरी कर लेने पर भी यदि कोई सांड़ अथवा बैल प्रजनन, भार-वहन या कृषि कार्य के लिये उपयोगी रहता है तो उसका वध न किया जाय।

३—उपधारा (३) (बी) का इस दृष्टि से संशोधन कर दिया गया है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किसी सांड़ का वध तभी अनुमत होगा जब कि वह प्रजनन के कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य और अनुपयोगी हो गया हो तथा बैल का, जबकि वह भार-वहन तथा किसी भी प्रकार के कृषि-कार्य के लिये स्थायी रूप से अनुपयोगी हो गया हो।

४—उपधारा (४) का इस दृष्टि से संशोधन किया गया है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि अपील सक्षम प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से १५ दिन की वर्तमान अवधि के स्थान पर २० दिन की अवधि के अंदर की जा सकती है।

५—विधेयक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकारी बिनांक २४ जूलाई, १९५८ के असाधारण गजट में हुआ था। हमारी राय में विधेयक में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि उसका सरकारी गजट में पुनः प्रकाशन आवश्यक समझा जाय।

मोहन लाल गौतम, कृषि मंत्री।
एम० ए० किदवाई, एम० एल० सी०।
रामकुमार शास्त्री, एम० एल० सी०।
शिववचन राव, एम० एल० ए०।
रामसनेही भारतीय, एम० एल० ए०।
रामनाथ पाठक, एम० एल० ए०।
पीताम्बर दास, एम० एल० सी०।
अवधेशप्रताप सिंह, एम० एल० ए०।
शिवप्रसाद सिन्हा, एम० एल० सी०।
यादवेन्द्रदत्त दुबे, एम० एल० ए०।
शिवनाथ काटजू, एम० एल० सी०।
हरीसिंह, एम० एल० ए०।

## उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५६

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

### विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५६

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त गवर्नर द्वारा १३ जून, १९५८ को उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया था ;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५८

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ की (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

["(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय, सांड, अथवा बैल के मांस से है किंतु इसके अन्तर्गत न तो ऐसा मांस है जो सील-बन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो न ऐसे सांड या बैल का मांस है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं है।"]

(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड अथवा बैल के मांस से है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है; किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो ।

(२) खंड (ख) में शब्द "अन्तर्गत" तथा "बछिया" के बीच में आये हुए शब्द तथा कामा "सांड बैल" तथा कोष्ठक के अन्दर क शब्द तथा कामा "bull, bullock" निकाल दिये जायं ; तथा

(३) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (गग) के रूप में जोड़ दिया जाये---

"(गग) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके सक्षम प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने लिये ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये, जायें नियुक्त किये जायें ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ३ का संशोधन ।

३---मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"३---(१) उन दशाओं को छोड़ कर जिनके लिये कि यहां आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में---

(क) गाय का, अथवा

(ख) सांड या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से जहां कि उस सांड या बैल का वध किया जाना है, उसके सम्बन्ध में यह लिखित प्रमाण-पत्र कि वह वध करने के योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो, न तो वध करेगा और न वध करायेगा न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो ।

(२) किसी सांड़ या बैल का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (१) (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर, अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से बीस दिन के अन्दर, वध नहीं किया जायगा ।

(३) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) (ख) के अधीन, प्रमाण-पत्र केवल तब दिया जायगा जब कि वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् यह प्रमाणित कर दे कि [सांड़ या बैल]--

(क) सांड़ या बैल (१५) बीस वर्ष से अधिक आयु का है ।

[अथवा] तथा

[(ख) भार-वहन या किसी भी प्रकार का कृषि कार्य करने अथवा प्रजनन के लिये स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है ।]

(ख) वह सांड़ प्रजनन कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है या वह बैल भार वहन तथा किसी प्रकार के कृषि-कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है ।

प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिता जानबूझ कर उत्पन्न न की गई हो ।

(४) सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन [प्रमाण-पत्र जारी करने की अस्वीकृत की] आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से [१५] २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे ।

(५) राज्य सरकार किसी भी समय इस धारा के अधीन किये गये कार्य की वैधता या उसके औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकती है तथा उसकी जांच कर सकती है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे ।

(६) यहां दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस धारा के अधीन किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ४ का संशोधन ।

४--मूल अधिनियम की धारा ४ में, जहां कहीं भी शब्द "गाय" आया है उसके स्थान पर शब्द "गाय सांड़ अथवा बैल" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा १० का संशोधन ।

५--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में--

(१) खंड (क) में शब्द "गायों" के स्थान पर शब्द "गायों सांड़ों अथवा बैलों" रख दिये जायें ।

(२) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाये--

"(कक) धारा ३ के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र, तथा आवेदन पत्रों और अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया ।"

६--उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरलक्जाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन रहा हो । निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५८ । यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५६) की संवैधानिक वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२ के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी ।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश का उपर्युक्त अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से उस आयति तक वैध है जिस तक कि वह सभी उम्रों की गायों तथा गायों के बच्चों, अर्थात् बछड़ों और बछियों का वध निषिद्ध करता है किन्तु उस आयति तक जिस तक वह उनकी उम्र, प्रजनन शक्ति अथवा उपादेयता के सम्बन्ध में कोई जांच अथवा अपेक्षा नियत किये बिना प्रजनक सांडों तथा काम करने वाले बैलों के वध का पूर्ण निषेध करता है, अनुच्छेद १९ (१) (छ) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तथा उस आयति तक प्रभाव-शून्य है । उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (छ) के उपबन्धों के अनुरूप लाने के निमित्त यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, १९५५ को प्रस्तावित संशोधन विधेयक के योजनानुसार संशोधित किया जाय ।

मोहनलाल गौतम,
कृषि मन्त्री ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१३५ एल० ए० --१९५८--८३७ ।